खण्ड-350, अंक-3
शनिवार, 23 फाल्गुन, शक संवत् 1902
(14 मार्च, 1981 ई0)

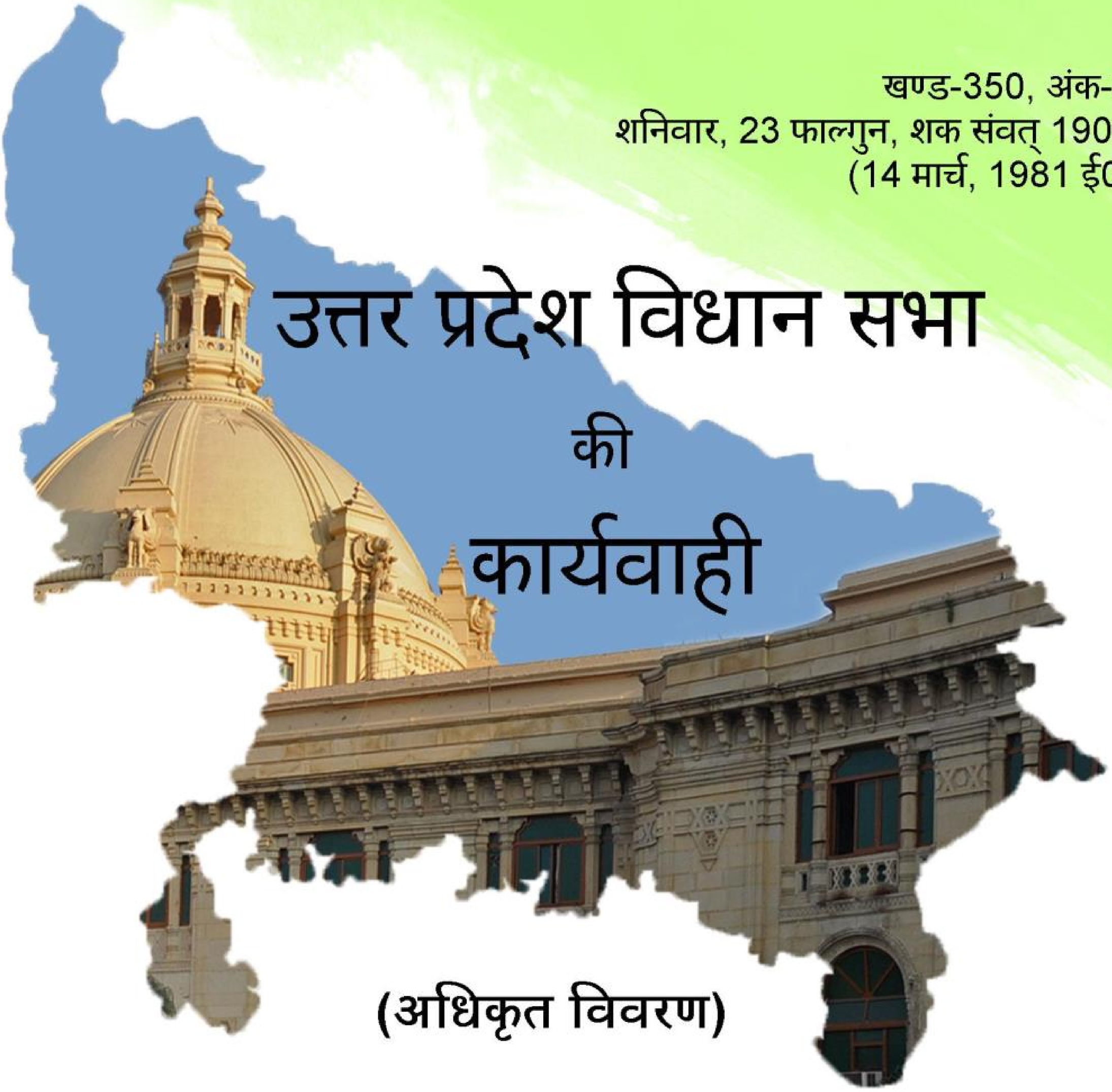

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 350 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	189–192
वाराणसी जिले के ग्राम मानिकपुर व चरयें में डकैती से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु तथा पुलिस की निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	193
हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट के प्रश्नों को गेस पेपर व गाइड बुक के रूप में छापे जाने पर आपत्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	193–194
मुरादाबाद में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा साम्प्रदायिकता बढ़ाने के आरोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	194
जिला अल्मोड़ा, ग्राम नौगांव निवासी श्री प्रेमसिंह की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	195
हरदोई जनपद के मल्लावां क्षेत्र में शारदा नहर हरदोई ब्रांच के फटने से कतिपय ग्रामों में फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	195–196
दिनांक 29 अगस्त, 1980 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य ..	196
काम-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	196–198
मुख्य मंत्री द्वारा विशेष अदालतों के गठन एवं लोक सभा का चुनाव लड़ने सम्बन्धी घोषणा सदन में न करके पत्रकार सम्मेलन में किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	198–199
मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना के सम्बन्ध में कतिपय मंत्रियों द्वारा वक्तव्य दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	200–203
1980–81 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा ..	203–249
1980–81 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या 3—मंत्रिपरिषद् (स्वीकृत) ..	249
अनुदान संख्या—7 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् एवं अन्य व्यय) (स्वीकृत)	249–250
अनुदान संख्या 9—स्वायत शासन एवं नगरपालिका विभाग (स्वीकृत)	250
अनुदान संख्या 11—परिवहन (स्वीकृत)	250
अनुदान संख्या 17—सचिवालय	250

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 19--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)--(स्वीकृत)	251
अनुदान संख्या 20--सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग (स्वीकृत)	251
अनुदान संख्या 22--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत) ..	251
अनुदान संख्या 23--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)	251-252
अनुदान संख्या 24--कोषागार तथा लेखा प्रशासन (स्वीकृत) ..	252
अनुदान संख्या 25--गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत) ..	252
अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत) ..	252-253
अनुदान संख्या 27--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) (स्वीकृत)	253
अनुदान संख्या 28--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत)	253
अनुदान संख्या 33--शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	253
अनुदान संख्या 34--प्राविधिक शिक्षा (स्वीकृत)	254
अनुदान संख्या 36--सांस्कृतिक कार्य (स्वीकृत)	254
अनुदान संख्या 38--चिकित्सा (स्वीकृत)	254
अनुदान संख्या 39--परिवार कल्याण (स्वीकृत) ..	254-255
अनुदान संख्या 40--सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत) ..	255
अनुदान संख्या 41--आवास भवन (स्वीकृत)	255
अनुदान संख्या 43--सूचना विभाग (स्वीकृत)	256
अनुदान संख्या 44--श्रम कल्याण (स्वीकृत)	256
अनुदान संख्या 45--श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत) ..	256
अनुदान संख्या 46--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण (स्वीकृत)	256
अनुदान संख्या 48--दैवी आपदाओं के कारण सहायता (स्वीकृत)	257
अनुदान संख्या 49--सहकारिता (स्वीकृत)	257
अनुदान संख्या 50--पर्वतीय विकास (स्वीकृत)	257
अनुदान संख्या 51--नियोजन (स्वीकृत)	257-258
अनुदान संख्या 52--कृषि (स्वीकृत)	258
अनुदान संख्या 53--औद्योगिक विकास (स्वीकृत) ..	258
अनुदान संख्या 54--गन्ना विकास (स्वीकृत)	258

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 55--ग्राम्य विकास (स्वीकृत)	259
अनुदान संख्या 56--पंचायतीराज (स्वीकृत)	259
अनुदान संख्या 57--क्षेत्रीय विकास (स्वीकृत) ..	259
अनुदान संख्या 58--खाद्य तथा रसद (स्वीकृत) ..	259-260
अनुदान संख्या 59--पशुधन (स्वीकृत)	260
अनुदान संख्या 61--मत्स्य (स्वीकृत)	260
अनुदान संख्या 62--वन (स्वीकृत)	260
अनुदान संख्या 63--भारी एवं मध्यम उद्योग (स्वीकृत) ..	261
अनुदान संख्या 64--चीनी उद्योग (स्वीकृत)	261
अनुदान संख्या 65--ग्राम एवं लघु उद्योग (स्वीकृत) ..	261
अनुदान संख्या 66--खानें तथा खनिज (स्वीकृत) ..	262
अनुदान संख्या 67--विद्युत् (स्वीकृत)	262
अनुदान संख्या 68--सिंचाई निर्माण कार्य राजस्व लेखा (स्वीकृत)	262
अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)	262-263
अनुदान संख्या 74--पर्यटन (स्वीकृत)	263
अनुदान संख्या-75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	263
अनुदान संख्या-76 सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	263-264
अनुदान संख्या 82--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	264
अनुदान संख्या 85--सहकारिता विभाग-पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	264
अनुदान संख्या 86--पर्वतीय विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	265
अनुदान संख्या 87--उद्योग विभाग-पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	265
अनुदान संख्या 93--कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	265
अनुदान संख्या 102--सिंचाई निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	265-266
अनुदान संख्या 104--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	266

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 106—पर्यटन विभाग-पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	267
अनुदान संख्या 110—स्वायत्त शासन विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	267
अनुदान संख्या 111—आवास विभाग ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	267
अनुदान संख्या 112—राजस्व विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	267
अनुदान संख्या 114—उद्योग विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	267-268
अनुदान संख्या 115—पर्वतीय विकास विभाग ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	268
अनुदान संख्या 118—उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	268
अनुदान संख्या 119—सहकारिता विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	268
अनुदान संख्या 120—कृषि विभाग ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	269
अनुदान संख्या 122—पशुधन विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	269
अनुदान संख्या 124—परिवहन विभाग ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	269
अनुदान संख्या 125—वित्त विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	269-270
उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1981 (पारित)	270-279
1974-75 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 7—भू-राजस्व (स्वीकृत)	279
अनुदान संख्या 10—राज्य आबकारी (स्वीकृत)	279
अनुदान संख्या 20—कोषागार तथा लेखा प्रशासन (स्वीकृत) ..	280
अनुदान संख्या 21—पुलिस (स्वीकृत)	280
अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री और मुद्रण (स्वीकृत) ..	280
अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें (स्वीकृत) ..	281
अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत) ..	281
अनुदान संख्या 42—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र (स्वीकृत) ..	281
अनुदान संख्या 53—उद्योग (स्वीकृत)	282
अनुदान संख्या 56—विद्युत् विकास (स्वीकृत) ..	282
अनुदान संख्या 57—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्वीकृत)	282
अनुदान संख्या 58—सिंचाई अधिष्ठान (स्वीकृत) ..	283

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 62—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान (स्वीकृत) ..	283
अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	283
अनुदान संख्या 71—आवासन पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	284
अनुदान संख्या 76—जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर (स्वीकृत)	284
अनुदान संख्या 77—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय(स्वीकृत)..	284
अनुदान संख्या 82—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	285
अनुदान संख्या 83—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	285
अनुदान संख्या 88—ऋण और अग्रिम-शिक्षा (स्वीकृत) ..	285
1975-76 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री तथा मुद्रण (स्वीकृत) ..	286
अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण (स्वीकृत) ..	286
अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवाएं (स्वीकृत) ..	286
अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें (स्वीकृत) ..	287
अनुदान संख्या 32—परिवार नियोजन (स्वीकृत) ..	287
अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत) ..	287
अनुदान संख्या 34—आवास भवन (स्वीकृत) ..	287-288
अनुदान संख्या 35—नगर विकास (स्वीकृत) ..	288
अनुदान संख्या 39—दैवी आपदाओं के कारण सहायता(स्वीकृत) ..	288
अनुदान संख्या 42—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र (स्वीकृत) ..	288-289
अनुदान संख्या 46—भूमि और जल संरक्षण (स्वीकृत) ..	289
अनुदान संख्या 48—खाद्य तथा पोषाहार (स्वीकृत) ..	289
अनुदान संख्या 49—पशुपालन (स्वीकृत) ..	289
अनुदान संख्या 58—सिंचाई अधिष्ठान (स्वीकृत) ..	290
अनुदान संख्या 59—सिविल विमानन (स्वीकृत) ..	290
अनुदान संख्या 60—सचार साधन (स्वीकृत) ..	290
अनुदान संख्या 64—सड़क तथा जल परिवहन (स्वीकृत) ..	290-291
अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	291

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 70--आवास भवनों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	291
अनुदान संख्या 76--कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	291-292
अनुदान संख्या 77--सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	292
अनुदान संख्या 81--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	292
अनुदान संख्या 82--बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	292-293
अनुदान संख्या 85--पर्यटन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	293
अनुदान संख्या 91--ऋण और अग्रिम--सहकारिता (स्वीकृत) ..	293
अनुदान संख्या 94--ऋण और अग्रिम-विद्युत् (स्वीकृत) ..	298-294
1976-77 के अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 9--भूमि और भवन कर (स्वीकृत) ..	294
अनुदान संख्या 26--अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें (स्वीकृत) ..	294
अनुदान संख्या 27--प्रकीर्ण सामान्य सेवाएं (स्वीकृत) ..	294-295
अनुदान संख्या--32 परिवार नियोजन (स्वीकृत) ..	295
अनुदान संख्या 47--क्षेत्र विकास (स्वीकृत) ..	295
अनुदान संख्या 49--पशुपालन (स्वीकृत) ..	295-296
अनुदान संख्या 52--वन (स्वीकृत) ..	296
अनुदान संख्या 57--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्वीकृत) ..	296
अनुदान संख्या 60--संचार साधन (स्वीकृत) ..	296
अनुदान संख्या 67--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	297
अनुदान संख्या 70--आवास भवनों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	297
अनुदान संख्या 81--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	297
अनुदान संख्या 82--बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	298
अनुदान संख्या 83--संचार साधनों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	298
अनुदान संख्या 85--पर्यटन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	298

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विनियोग (1974-75, 1975-76 और 1976-77 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1981 (पारित) ..	299-308
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मंडी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981 ..	308-315
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	315-316
एटा थाने के थानाध्यक्ष श्री शारदा प्रसाद दीक्षित द्वारा लगभग एक लाख रुपये की चाँदी लूटने के बाद वर्दी व असलहा सहित फरार होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन ..	316
रत्थी ..	317

विधान सभा सचिवालय

अनुवाद प्रदेश सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, दिनांक 14 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजकर 1 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—286

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवर खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्रप्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (कानपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदाबीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चारु चन्द्र जोशी, श्री (पिथौरागढ़)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद जोशी, श्री (गोरखपुर)

जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जराज पौतन, श्री (सुल्तानपुर)
झिनमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुपराय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पार्वती देवी, श्रीमती (बराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जैतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
मान्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)

मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजयपाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)

श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

नोट—मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्रम मंत्री श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे।

विधान भवन पुस्तकालय

वाराणसी जिले के ग्राम मानिकपुर व चरये में पड़ी डकैती से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु तथा पुलिस की निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 301 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुयी थीं और पांचों को स्वीकार कर लिया गया है ।

श्री ऊदल--

महोदय, फरवरी 81 के आखिरी सप्ताह में गांव मानिकपुर, थाना भदोही, जिला वाराणसी तथा 4, 5 मार्च, 1981 की रात में गांव चरयें, थाना फूलपुर, वाराणसी में सशस्त्र डकैतों ने डकैतियां डालीं । हजारों की लूट किया और दोनों डकैतियों में तीन-तीन व्यक्तियों को गोली से उड़ा दिया । मानिकपुर की डकैती के दो मरे हुए व्यक्तियों की लाश श्री शिव प्रसाद गुप्त जिला अस्पताल के बाहर पड़ी रहीं कोई पुलिस का तथा प्रशासन का उच्चाधिकारी देखने तक नहीं गया । मक्खियां भिनभिनाती रहीं । इस घटना की निन्दा उप-गृह मंत्री, श्री सुरेन्द्र सिंह ने भी की है ।

दोनों डकैतियों म एक भी डकैत अभी तक पकड़े नहीं गये । वाराणसी पुलिस की सर्वत्र निन्दा हो रही है और ग्राम जनता में असुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है । चरयें में मृतक परिवारों को कोई सहायता भी अभी तक नहीं पहुंचायी गयी है ।

वाराणसी जिले में डकैतियां बड़े जोरों पर हो रही हैं । बार-बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने पर भी आज तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है । वाराणसी पुलिस एवं उसके अधिकारी असक्षम हो गये हैं ।

इसलिए इस लोक महत्व के प्रश्न को आपकी आज्ञा से उठाते हुए सरकार से मांग करता हूं कि वाराणसी में डकैतियों को रोकने तथा ग्राम जनता की सुरक्षा की गारंटी करने और निकम्मे अधिकारियों तथा पुलिस वालों को तत्काल वहां से हटा दें ।

हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट के प्रश्नों को गेस पेपर व गाइड बुक के रूप में छापे जाने पर आपत्ति के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह--

महोदय, विगत शासन ने हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए गेस पेपर के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगा दिया था । इस वर्ष की परीक्षाओं के कार्यक्रम आ चुके हैं । मार्च महीने के अन्त में बोर्ड की परीक्षायें होने की सम्भावना है । फिर भी बाजारों में गाइड बुक्स की शक्ल में हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट के प्रश्नों को हेरफेर की शक्ल में प्रकाशित कर दिया गया है । यह माडल बुक्स 2.50 रुपये से 5.00 रुपये तक बाजारों में खुले आम बिक रही हैं और दुकानदारों का दावा है कि प्रकाशित सवाल बोर्ड की परीक्षाओं में निश्चित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहन सिंह---]

रूप से आने वाले हैं। इन माडल बुक्स के प्रकाशन से परीक्षायें मजाक बन कर रह जायेंगी और प्रदेश के परीक्षार्थियों का भविष्य अन्धकारमय हो जायेगा।

आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर आकृष्ट करते हुए इन माडल बुक्स की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाते हुए प्रकाशकों एवं विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

मुरादाबाद में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा साम्प्रदायिकता बढ़ाने के आरोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रियासत हुसैन--

महोदय, मुरादाबाद में 13 अगस्त, 1980 को अल्प संख्यकों के ऊपर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के बाद 7 महीने में मुरादाबाद में कार्यरत अधिकारियों द्वारा किसी प्रभावशाली कदम के न उठाए जाने के कारण लगातार पिछले 7 महीनों में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा है। आम जनता को यह विश्वास है कि इस साम्प्रदायिकता के बढ़ावे में अधिकारीगण अधिक भागीदार हैं। आज भी छुटपुट घटनायें हो रही हैं। दिनांक 11 मार्च, 1981 को घूड़े के चौराहे पर एक आदमी को मारा गया है जिसको जिले के अधिकारीगण छिपाने का प्रयास कर रहे हैं जब कि 10 सितम्बर, 1980 को और 25 अक्तूबर, 1980 को बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिकता के दंगे हुए जिसमें अनगिनत लोगों की जानें गयीं और करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ। इस समय होली का त्योहार आ रहा है और चूंकि शासन का जिले के अधिकारियों के ऊपर कोई नियन्त्रण न होने के कारण जिला अधिकारियों का पक्षपातपूर्ण रवैया हो गया है और वह अपनी मनमानी कर रहे हैं। जिसके फलस्वरूप मुरादाबाद शहर से 15-15 मील तक जहां जनता का रोजाना के जनजीवन में मुरादाबाद शहर से सम्बन्ध है जैसे कस्बा कुंदरक पाकबाड़ा, अगवानपुर, भोजपुर, दलगतपुर, हकीमपुर की जनता में व्यापक रूप से प्रभावित हुई है। यह भी ज्ञात हुआ है कि तहसील बिलारी तथा सदर के अधिकारीगण द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लाइसेंसदारों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। जिसकी वजह से असुरक्षा की स्थिति और बढ़ गई है। साथ ही साथ जनता का व्यापक रूप से विरोध होने के बावजूद भी शराब की दूकानें खोल दी गई हैं और जो लोग एन0 एस0 ए0 में बन्द किए गए थे उनमें एक वर्ग के लोगों को तो छोड दिया गया है परन्तु दूसरे वर्ग के लोग अभी तक बन्द हैं, गलत अफवाहें फैलाने वालों के ऊपर भी कोई नियन्त्रण नहीं है। कुछ लोग यह समझते हैं कि मुरादाबाद की हालत बिगड़ी ही बनी रही तो उनके व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि होती रहेगी। और चूंकि 13 अगस्त, 1980 और उसके बाद में होने वाली दुर्घटनाओं से किसी भी कर्मचारी, अधिकारी को कोई दंड नहीं मिला है इन सब कारणों से मुरादाबाद जनपद विशेषरूप से मुरादाबाद शहर और 20 कि0मी0 चारों तरफ हर वर्ग की जनता में भय और असुरक्षा, चिन्ता, अविश्वास, असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई है।

अतः मैं, लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर माननीय सदन द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला अल्मोड़ा, ग्राम नौगांव निवासी, श्री प्रेम सिंह की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपी नाथ वर्मा--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं, आपकी आज्ञा से सदन के संज्ञान में एक अभी हाल में घटी घटना के अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना देना चाहता हूं। घटना का विवरण इस प्रकार है :--

जिला अल्मोड़ा के अन्तर्गत तहसील रानीखेत के ग्राम नौगांव, तड़ावताल, निवासी, श्री प्रेमसिंह की कुछ अराजक तत्वों ने नृशंस हत्या कर दी। श्री प्रेम सिंह सेना में नायक पद से सेवा निवृत्त हुए थे और अपने गांव में रह रहे थे। श्री प्रेम सिंह को कुछ व्यक्तियों से अपने जानमाल का खतरा बना हुआ था और इस खतरे की सूचना अपनी मृत्यु से पूर्व उन्होंने खंड विकास अधिकारी, परगना अधिकारी तथा सैनिक कल्याण बोर्ड, अल्मोड़ा को दी थी। जिस दिन श्री प्रेमसिंह की हत्या की गई, उस दिन उनकी पत्नी मायके गई थी। श्री सिंह की हत्या इतनी बर्बरता पूर्वक की गई कि श्री सिंह को उनके घर पर मारा गया और पुआल (सूखी घास) डाल कर उसमें आग लगाई गई और कातिलों द्वारा बाद में यह अफवाह फैला दी गई कि श्री सिंह ने आत्महत्या कर ली है। श्री सिंह की पत्नी के विरोध करने पर भी उनकी लाश को बिना पोस्ट मार्टम कराए सरकारी अधिकारियों ने जला दिया।

स्व0 श्री सिंह की पत्नी ने इस सम्बन्ध में कई शिकायती-पत्र कुमाऊं मंडल के आयुक्त, गृह मंत्री तथा मुख्य मंत्री को लिखे हैं किन्तु अभी तक उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। श्री सिंह की विधवा को रोजाना कानूनगो एवं पुलिस द्वारा धमकी दी जा रही है कि यदि इसमें उसने कोई कार्यवाही की तो उसके बच्चों को जान से मार दिया जायेगा। मैं इस सम्बन्ध में शासन से हत्यारों को पकड़वाने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अविलम्बनीय कार्यवाही की मांग करता हूं तथा श्री सिंह की विधवा पत्नी को आर्थिक सहायता तथा पूरे मामले की अभिसूचना विभाग द्वारा जांच की सबल मांग करता हूं।

हरदोई जनपद के मल्लावां क्षेत्र में शारदा नहर हरदोई ब्रांच के फटने से कतिपय ग्रामों में फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, अल्प संशोधनों के साथ मैं पढ़ना चाहूंगा। मान्यवर, हरदोई जनपद के मल्लावां क्षेत्र में 1979 में शारदा नहर, हरदोई ब्रान्च के मील नं0 106 पर फट जाने से आसपास के अनेक गांव--हथौरा, परचल, बढ़नवां, गौरा, परसौला, बथियारो आदि बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। फसलें नष्ट हो गई थीं। तत्कालीन शासन ने सूबा की स्थिति को देखते हुए किसानों से किसी भी तरह का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्लेखन नहीं किया।

[श्री राम आसरे वर्मा--]

तावान वसूल न करने की घोषणा की थी। किन्तु इस शासन ने उक्त क्षेत्र के आम किसानों से सिंचाई का पैसा मय तावान के वसूल करना शुरू कर दिया है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि उक्त क्षेत्र के किसानों से तावान और सिंचाई की वसूली निरस्त की जाय।

दिनांक 29 अगस्त, 1980 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

सहकारिता मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 29-8-80 को विधान सभा में तारांकित प्रश्न संख्या-7 के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्नोत्तर काल में एक सदस्य द्वारा साक्षात्कार रोकने के सम्बन्ध में यह पूछा गया था कि 'क्या निबन्धक को ऐसा करने का अधिकार था" इसके उत्तर में तत्कालीन सहकारिता राज्य मंत्री श्री राम नारायण पाठक ने उत्तर दिया था "मान्यवर, निबन्धक ने जो किया वह सहकारी समिति के नियमों के अन्तर्गत किया।"

2--वह उत्तर ठीक नहीं था। सही उत्तर इस प्रकार है जैसा कि मूल प्रश्न के उत्तर में कहा गया था "अभ्यर्थियों की शिकायत के आधार पर उप-निबन्धक (केन्द्रीय), लखनऊ ने अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक, सीतापुर से साक्षात्कार स्थगित करने का अनुरोध किया।"

3--उसी प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न के रूप में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने प्रश्न किया था "उस तिथि को अधिनियम में जो प्रक्रिया निहित थी उस प्रक्रिया में किस अंश का उल्लंघन हुआ।" इसके उत्तर में सहकारिता राज्य मंत्री जी ने यह कहा कि "जो प्रक्रिया थी, उस सम्बन्ध में ही शिकायत थी कि पहले जो इन लोगों का चयन किया जाता था, उस नियम के बारे में ही शिकायत थी।" यह अंश भी ठीक नहीं था, वस्तुतः शिकायत यह थी कि बैंक में तदर्थ रूप से नियुक्त 26 कर्मचारियों में से 23 कर्मचारियों को साक्षात्कार में बुलाया गया तथा इन कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता स्नातक तृतीय श्रेणी के होते हुए भी बुलाया गया जब कि अन्य बाहरी अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय श्रेणी के पास होने की शर्त रखी गई है।

4--मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न हैं।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 317 पर।)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत 3 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो कि अस्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्री मोहन सिंह की गत 13 मार्च, 1981 को दिन के लगभग 9 बजे चारबाग स्थित मोहन होटल के सामने से उन्नाव ग्रामोद्योग के सचिव, श्री उमाशंकर पांडेय का असामाजिक तत्वों द्वारा अपहरण कर लिए जाने के विषय में ।

दूसरी, श्री प्रदीप कुमार यादव की सरकार द्वारा प्रतिबन्ध के बावजूद बदायूं, मेरठ और आगरा के प्रशासकों द्वारा गेस पेपर के नाम पर हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों को आउट करने के सम्बन्ध में है ।

तीसरी, श्री गोपी नाथ वर्मा की है । मुझे लगता है कि माननीय मोहन सिंह जी ने मात्र औपचारिकता के आधार पर यह सूचना दे दी है और वे इसके विषय में सीरियस नहीं हैं ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है । माननीय कृषि मन्त्री जी ने इशारा किया और मुझे ऐसा लगा कि अपहरण में उर्मिला जी थीं, इसलिए मेरा ध्यान उधर चला गया था ।

श्री उपाध्यक्ष--

तीसरी सूचना दिनांक 28 मार्च, 1981 को फतेहगढ़ केन्द्रीय कारागार में डिप्टी जेलर सगर द्वारा बंदी रक्षक के लड़के की हत्या करने एवं शव को जेल की दीवार में चुना देने के विषय में है ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, अब तक जो चर्चा हो रही है । अब तो लखनऊ शहर में ऐसी वारदातें होने लगीं और समाचार-पत्रों में ऐसी खबर छपी हैं कि सत्ताधारी पक्ष के एक सम्माननीय विधायक, जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट खाली कर दी, वे उत्तर प्रदेश ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं । तो जब ऐसे ज्वलंत प्रमाण समाचार-पत्रों में प्रकाशित हों तो सार्वजनिक जीवन कलंकित होता है । यहां के जो पुलिस अधीक्षक हैं, तो मान्यवर, इतनी महत्वपूर्ण घटना राजधानी के अन्दर हो जाय, खुलेआम हो जाय, सड़क पर हो, सबकी मौजूदगी में हो और शासन उसे रोकने में अक्षम रहे । इस पर अगर आप वक्तव्य भी नहीं दिलायेंगे तो इस सदन के प्रति इनका जो उत्तरदायित्व है, उसका निर्वाह ये नहीं कर पायेंगे । सम्पूर्ण सदन के दायित्व को भी हम पूरा नहीं कर पायेंगे इसको आपने कार्य-स्थगन में तो अस्वीकार कर दिया, लेकिन कृपापूर्वक इस पर वक्तव्य दिला दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

सामान्य प्रशासन और गृह का बजट आने वाला है ...

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह मामला प्रशासन और गृह से भी महत्वपूर्ण है ।

(श्री मोहन सिंह के खड़े होने पर ।)

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपको एक और सुझाव देता हूं। जब मैं बोल रहा हूं, तो आपको बैठना चाहिये।

मैं आपको एक चीज और याद दिलाऊंगा कि आज सप्लीमेन्टरी अनुदानों पर भी आप बोलेंगे और इस पर भी आपको बोलने का मौका मिल जायगा और उसका उत्तर माननीय मन्त्री देंगे तो इन बातों का आपको जवाब मिल जायगा।

श्री मोहन सिंह--

दुर्भाग्य तो यही है कि यह कोई उत्तर नहीं देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

इस बार आपका दुर्भाग्य साथ नहीं देगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, सामान्य प्रशासन के बजट पर आप यह कह देते हैं कि इसकी सूचना अलग से दीजियेगा।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं, माइक उठा रहे थे।

मुख्य मन्त्री द्वारा विशेष अदालतों के गठन एवं लोक सभा का चुनाव लड़ने सम्बन्धी घोषणा सदन में न करके पत्रकार सम्मेलन में किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न तो ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रस्तुत कीजिये।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत मैंने औचित्य के प्रश्न की यह सूचना दी है कि बार-बार पीठासीन अधिकारी की ओर से इस सदन में और इसकी तरह के अन्य सदनों में भी बारम्बार यह व्यवस्था दी गयी है कि जब सदन चले तो शासन की ओर से महत्वपूर्ण घोषणायें सदन के अन्दर ही की जानी चाहिये। जो 164 धारा संविधान की है, इसमें भी कहा गया है कि शासन विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन मुझको अफसोस है कि जब यहां सदन कल बैठा था तो आदरणीय मुख्य मंत्री इस सदन के बाहर पत्रकार सम्मेलन में, जिसका उनको एक रोग हो गया है, मैं यह इल्जाम लगाना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्य मंत्री ने इस सदन को जितना अपमानित किया है उतना किसी मुख्य मन्त्री ने नहीं किया है क्योंकि एक तो जब सदन चल रहा है तो उनकी उपस्थिति यहां नगण्य रहती है, दूसरे बाहर उन्होंने बयान दिया, जिसमें मुख्य मन्त्री ने प्रशासकीय राजनैतिक घोषणायें की हैं। एक घोषणा किया है कि विशेष अदालतों के बारे

में और दूसरी घोषणा किया है कि वह लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन दो घोषणाओं से प्रदेश का शासन अस्त-व्यस्त हो गया है। उनकी जगह पर दूसरे मंत्री यहां उपस्थित रहते हैं कि मुख्य मंत्री पद कौन सम्भाले, जिसकी सरगर्मी बढ़ गयी है। इसलिये प्रदेश का प्रशासन कठिनाई में पड़ गया है और इसलिये जो अनुउत्तरदायी कार्य किया गया है उसमें मैं औचित्य का प्रश्न उपस्थित करता हूं।

* संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मोहन सिंह ने जो बात कही उसमे मैं नहीं कह सकता कि किसी प्रकार का कोई भी सत्य नहीं है क्योंकि उससे न तो यहां कोई संवैधानिक कठिनाई हो गयी है, जो मुख्य मंत्री ने कल कहा। यह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराधी जो हैं, उनको वह दूर करना चाहते हैं इसलिये जुडिशियल आफिसर, अलग अदालतें खोलकर, इस काम के लिये कर दिये जायेंगे, जिससे वहीं उनके मामले तय हों जैसे चकबन्दी में है ताकि उका निस्तारण जल्दी हो सके।

दूसरी बात जो उन्होंने लोकसभा से लड़ने की कहीं है तो वह बिल्कुल ऐसी बात है जो अखबारों के जरिये आयी है, उसमें सत्यता नहीं है और किसी प्रकार की इनको चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि मंत्रीगण आपस में मिलकर बैठे हैं कि कौन उनको सक्सीड करने आयेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिये इसमें मान्यवर, कोई औचित्य के प्रश्न का सवाल नहीं है।

श्री मोहन सिंह--

दिक्कत अब यह हो गयी है कि इनकी सरकार न केवल सदन का अपमान करती है बल्कि अखबारों का भी करती है। पत्रकार सम्मेलन में जो कहते हैं उसका यह हमेशा यहां सदन में प्रतिकार करते हैं। इसलिये यह और भी औचित्य का प्रश्न बनता है।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मेरा मतलब यह नहीं था कि समाचार-पत्रों या जो पत्रकार हैं उनको किसी प्रकार हम कोई गलत बात कह रहे हैं। सिर्फ यह है कि मुख्य मन्त्री ने जो कहा है उसी के सन्दर्भ में मैंने कहा कि अखबार की चीज को लेकर यहां कोई बात कहना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी तो 24 घंटे भी नहीं गुजरा है क्योंकि कल इसी पीठ से निर्णय हुआ है कि ऐसे विषय नियम 300 के अन्तर्गत में नहीं आते हैं। फिर उसके बाद औचित्य का प्रश्न उठाना मैं समझता हूं कि विषयान्तर है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के सम्बन्ध में कतिपय मंत्रियों द्वारा वक्तव्य दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मैंने एक औचित्य के प्रश्न की सूचना दिया था, जिसको मैं आपकी आज्ञा से उठाना चाहता हूं। मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह फैशन हो गया है सरकार का कि सदन से बाहर बयान देंगे और उसके बाद में संसदीय कार्य मन्त्री केवल लीपापोती करेंगे कि अखबार में निकल गया उसके आधार पर कोई बात नहीं है। मैं ऐसी बात उठा रहा हूं कि 3 तारीख को इस सदन में उच्च न्यायालय की खंड पीठ का मामला उठाया गया, न्याय मंत्री बैठे हैं, उनसे बारबार पूछने पर उन्होंने कहा कि यह मामला विचाराधीन है। जब पूछा कि सिद्धान्त रूप से इस मामले को आप स्वीकार करते हैं। तो भी उन्होंने यही कहा कि यह मामला विचाराधीन है। माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद थे उन्होंने भी कहा कि मामला विचाराधीन है। इसके बाद दो कैबिनेट मंत्री दौरे पर निकलते हैं और बयान देते हैं। खेल कूद मंत्री स्टेडियम नहीं बनवा रहे हैं, हाईकोर्ट के बेंच की स्थापना करने का भाषण देते हैं। खेलकूद मन्त्री जी मुजफ्फरनगर गये और वहां पर वकील संघ के सामने मेरी मौजूदगी में यह घोषणा किय कि उत्तर प्रदेश सरकार सिद्धान्त रूप से बेंच की स्थापना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करने को सहमत हैं। और मान्यवर, एक कदम और बढ़े और यह कह दिया कि अगर मुजफ्फरनगर में बेंच की स्थापना कर दी जाय तो खर्च वे खुद कर देंगे। 40 लाख रुपया बिजली का ले बैठे हैं।

उसके बाद वरिष्ठ मंत्री ब्रह्म दत्त जी देहरादून घूमने गये और घोषणा किया कि प्रदेश सरकार कटिबद्ध हैं बेंच की स्थापना करने के लिये। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने मंत्री बैठे हैं क्या हर मंत्री को इस सदन का अवमान करने, सदन में दी गई सूचना के विरोध में बयान देने का अधिकार हो गया है? अगर तीन तारीख के बाद जिस समय सवाल उठाया गया था यदि सरकार ने नीति रूप में खण्ड पीठ की स्थापना स्वीकार किया है तो सबसे पहले उसे इस सदन में घोषित करना चाहिये। मैं नहीं समझता हूं कि संयुक्त उत्तरदायित्व, श्रीमन्, एक मंत्री का बयान सम्पूर्ण कैबिनेट का बयान माना जाता है, एक मंत्री यहां कुछ कहे और बाहर जाकर कुछ बात कहते हैं। मान्यवर, इस प्रकार जैसा सरकार का अनुचित तरीका, गलत परम्परा पर रहने का तरीका बन गया है। मैं कहना चाहता हूं। कि इस प्रश्न को औचित्य का प्रश्न माना जाय और सरकार का इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा जाय कि किन परिस्थितियों में सारे मंत्री अपना अलग-अलग तरीके से अलग-अलग बयान देते फिर रहे हैं।

श्री ऊदल--

मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने श्री ब्रह्म दत्त को इजाजत दी है इसके बाद आपको सुनूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

माननीय सदस्य ने चूंकि मेरा नाम लिया है। मैं देहरादून में सार्वजनिक सभा बार एसोसिएशन में किया था उसमें सारे प्रश्न मेरे सामने रखे गये थे। मैंने कहा कि यह एक प्रस्ताव था एक जमाने में पास हुआ था हमने इस प्रस्ताव को निरस्त नहीं किया है हम विचार करेंगे, बहुत शीघ्र निर्णय लिया जायेगा। इसके अलावा और जो कुछ छपा है, मैंने जो कहा था दोहरा दिया, और छपने का मैं जिम्मेदार नहीं हूं।

(खेलकूद मंत्री का नाम पुकारे जाने तथा उनके अनुपस्थित होने पर)

(खेलकूद मंत्री अनुपस्थित थे)

श्री ऊदल--

मैं 2-3 तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला तो यह कि सरकार की ज्वाइंट रिस्पांसबिल्टी है और कोई भी मंत्री अलग से कोई बयान नहीं दे सकता है इस बात पर आपको विचार करना चाहिए। एक प्रश्न इसी तरह का कुछ समय पहले माननीय सदन के सामने आया था कि एक कैबिनेट मंत्री जी ने यह कह दिया कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा होगा, जिसका हमारे ब्रह्मदत्त जी ने जवाब दिया था कि यह व्यक्तिगत हैसियत से उन्होंने कहा था। लेकिन मैं समझता हूं कि यह विचारणीय प्रश्न है। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो बिना सरकार की सहमति के पूरे कैबिनेट के फैसले के यह किसी मंत्री की व्यक्तिगत इच्छा का सवाल नहीं है। न व्यक्तिगत बयान का सवाल है। दूसरी बात यह जो एक मामला आया था गन्ना विकास मंत्री के सम्बन्ध में और हमारे मोहन सिंह ने प्रश्न उठाया था तो माननीय अध्यक्ष जी ने गन्ना विकास मंत्री का जवाब पढ़ कर सुनाया। तो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि हमने यह बात वहां नहीं कही थी। तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह माननीय न्याय मंत्री जी ने सदन में कहा था, उन्होंने कहा कि यह मामला सरकार की कैबिनेट के विचाराधीन है और जब कैबिनेट का निर्णय हो जायगा तो सूचित किया जायगा। श्रीमन्, उसके बाद अगर इस तरह के बयान होते रहेंगे और हमारे मंत्रीगण लोग इस हाउस में कहेंगे कि अखबार ने पता नहीं कैसे छाप दिया तो उनकी मंशा क्या है? मैं समझता हूं कि इसके ऊपर गम्भीरता से आपको विचार करना चाहिए कि बाहर कुछ कहा जाय और जब वह छप जाय तो यह कहा जाय कि हमने यह नहीं कहा था। इसकी वजह से पत्रकारिता जगत की आलोचना हो जाती है कि हमने तो कुछ नहीं कहा था लेकिन पत्रकारों ने पता नहीं कैसे छाप दिया। इसकी सफाई हो जाय। श्रीमन्, आप चाहें इस पर निर्णय आज न दें, इसको जरा विचार रखें और इसके ऊपर निर्णय अवश्य दें।

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक बात कहना चाहता हूं। जो मंत्रीगण बाहर वक्तव्य देते हैं या यहां पर वक्तव्य देते हैं उसमें विरोधाभास होता है और जो आचरण करते हैं उससे और भी विरोधाभास बढ़ जाता है। लगता है कि कुछ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम आसरे वर्मा]—

प्रशिक्षण की कमी है । अगर आप अपनी पीठ से इस बात की व्यवस्था करवा दें कि माननीय मंत्रियों के लिए एक निश्चित अवधि तक प्रशिक्षण दिया जाय तो यह जो रोज औचित्य के प्रश्न उठते हैं इनके उठने की नौबत नहीं आयेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी, मैं तो स्वयं आपकी पीठ पर बैठा हूं । फिर अपनी पीठ से कैसे व्यवस्था दे सकता हूं ? इसमें मैं आपका सहयोग चाहता हूं । कृपया आप ही प्रशिक्षण की व्यवस्था करें ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं एक मिनट के लिए कहना चाहता हूं । सुन लें ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

उपाध्यक्ष जी, एक मिनट हमको भी सुन लीजिएगा ।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीगण दो मुंह से बोलते हैं, बाहर ही नहीं यहां पर भी बोलते हैं । आपको स्मरण है कि जिस दिन उर्दू को द्वितीय भाषा बनाने की बात आयी थी तो पहले उन्होंने कह दिया कि जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता । लेकिन जब अनुपूरक प्रश्न पूछा गया तो कहा कि विचार किया जा रहा है । तो जब यहां दो जीभ से बोल सकते हैं तो बाहर भी दो जीभ से बोलते हैं इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है । अभी माननीय मुख्य मंत्री सहारनपुर गए थे, वहां पर उन्होंने खंडपीठ के बारे में बताया कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी के समय की सरकार ने जो फैसला किया था उस पर हम अटल हैं । कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं । दुर्भाग्य की बात है कि इलाहाबाद के कुछ वरिष्ठ पुराने अधिवक्ता जिनका अपना निहित स्वार्थ है कि खंड पीठ उठ कर जाने न पाए उनका एक डेलीगेशन जा रहा है । दुर्भाग्य इस प्रदेश का है कि मुख्य मंत्री और न्याय मंत्री दोनों इलाहाबाद शहर के हैं । दोनों के ऊपर दबाव पड़ता है । जब इलाहाबाद का दबाव पड़ता है तो कह देते हैं कि जाने का प्रश्न नहीं उठता है । लेकिन जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायक और जनता और वहां के मंत्रियों का दबाव पड़ता है तो कहते हैं कि हम तो सहमत हैं, इस राय से, दिल्ली की सरकार को फैसला करना है ।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आपके यह तर्क औचित्य के प्रश्न को बल दे रहे हैं ?

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह दो मुंह से बोलना चाहते हैं, यहां भी बोलते हैं और सदन के बाहर भी बोलते हैं । मान्यवर, सभी मंत्रियों ने परस्पर विरोधी बयान दिए हैं इसलिए आप ही स्पष्ट करा दें कि शासन की स्पष्ट नीति क्या है ? न्याय मंत्री जी बैठे हैं औचित्य का प्रश्न अपने आप ही वापस हो जायगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

सवाल यह है कि सरकार अपनी नीति साफ करे और यहां क्या कहा गया है उस पर विचार किया जाय। सवाल यह है कि यह जो औचित्य का प्रश्न हमारे सामने उपस्थित किया गया है उस पर क्या होना चाहिए? ऐसी चीजों के औचित्य को तय करने के लिए हम अपने द्वारा बनाए गये नियमों से प्रतिबन्धित हैं, और अगर हम अपने द्वारा बनाये गये नियमों से प्रतिबन्धित हैं तो हमें अपनी नियमावली के पेज 84 पर अंकित नियम 301 और 302 को पढ़ना चाहिए। जो घटना सदन के बाहर हुयी है या घटना किसी अखबार से सम्बन्धित है, तो उसके ऊपर औचित्य का प्रश्न नहीं बनता और इस तरह आपने यह जो प्रश्न उठाना चाहा है, उस पर भी औचित्य का प्रश्न नहीं बनता।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, यह तो जो घटना सदन में घटी है, उसके बारे में है?

1980-81 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा

[11 बजकर 35 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष--

मद-संख्या-6 अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा 3 बजे तक चलेगी।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह दूसरा अनुपूरक अनुदान है, जो माननीय मंत्री जी ने इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है। एक संसदीय परम्परा के इतिहास में जो पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया था वह भी एक अद्वितीय मिसाल था अपने में, और अब पुनः एक दूसरा अनुपूरक बजट सदन के सामने आया है। जो पहले मान्यवर, लोक लेखा समिति द्वारा अनुमोदित बजट प्रस्तुत हुआ, उसके बारे में मैं साफतौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि संयोग से उस लोक लेखा समिति में मैं एक सदस्य था, जिसने उन मांगों पर अनुमोदन करने का आग्रह किया था, उसके बारे में एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आपकी जो प्लानिंग और डिजाइनिंग विभाग है। इसके अन्दर वही अधिकारी भेजे जाते हैं जो किसी मामले में दण्डित किए जाते हैं, जो वहां जाकर बिल्कुल बे-मन से काम करते हैं, जब कि वह इतना महत्वपूर्ण डिपार्टमेन्ट है और वहां योग्य आदमियों को रखा जाना चाहिए, वहां नहीं रखा जाता है।

एक योजना बनती है, उसके नक्शे और डिजाइन तैयार होते हैं, वह फाइनल नहीं होने पाते कि वहां दूसरे दण्डित अधिकारी आ जाते हैं और वह अपने हिसाब से सब देखते हैं और पहला अधिकारी अपनी इन्ट्री अच्छी लिखाकर वहां से चला जाता है। इस प्रकार से जो धन होता है वह अधिक खर्च होता है और संचित निधि के समाप्त हो जाने के बाद आकस्मिकता निधि से पैसा दे देते हैं और फिर लोक लेखा समिति द्वारा अनुमोदन कराने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है। इसमें अब चाहे कोई विभाग हो, चाहे सिंचाई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह—]

विभाग हो या सार्वजनिक या इसके प्लानिंग और डिजाइनिंग विभाग हों। इसके एक सेपरेट कैडर बनाइये और जब यह एक सेपरेट केडर बनेगा तो जो इस तरह की सम्भावनाएं आती हैं कि कोई फील्ड में रहने वाला इंजीनियर जो दन्डित किया जाता है, वह प्लानिंग एवं डिजाइनिंग विभाग में भेज दिया जाता है और वह वहां गिरे हुए मन से काम करता है, ठीक से काम नहीं करता है। तो इस तरह जो अनपेक्षित ढंग से खर्चे जो हैं, उसकी बचत करने की जरूरत है और दूसरे मान्यवर, यह जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है, इसके लिए हमारा शुरू से ही इल्जाम रहा है। यह जो भी काम करते हैं अपने ठीक दिल दिमाग से नहीं करते, नियोजित ढंग से काम नहीं करते। सारे खर्चे अनुपयोगी ढंग से किये जाते हैं, उसके बाद फिर आकस्मिक निधि का सहारा लिया जाता है और फिर उसे लोक लेखा समिति द्वारा अनुमोदित कराया जाता है।

दूसरे मान्यवर, देखिये मुरादाबाद में कमिश्नरी बना दी। कहते हैं कि मुरादाबाद मन्डल में बड़ी अशान्ति का प्रश्न तब तक उठता रहता है, खैर बना दी। ठीक है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि वहां अकेले अधिकारियों के आवास निर्माण के लिए ही रुपया 7 लाख बीस हजार कैसे ले लिया? आपने दिया है, इसमें लिखा हुआ है। एक मद है केवल आवास निर्माण की, उसके अलावा वहां अधिकारी रहने जायेंगे, उनका अपना वेतन, उनकी साज-सज्जा न केवल कमिश्नरी की बल्कि विभिन्न मदें हैं वहां पर डी0 आई0 जी0 रहेंगे, उनका बंगला बनेगा, उसके रख-रखाव और साज-सज्जा सभी का खर्चा बढ़ेगा। जितने विभिन्न विभाग हैं, सभी की मदों के लिये आपने पैसा मांगा है। यदि सभी मदों का इस तरह से निस्तारण किया जाय तो मैं कहूंगा यह सब उन्होंने अनावश्यक रूप से खर्च किया।

आपने एक बांदा तहसील बनाई है। क्या आवश्यकता थी उस तहसील के बनाने की मैं मानता हूं कि आवश्यकता है लेकिन बाकी जगहों के लिये जब हम मांग करते हैं तो हम लोगों को उत्तर मिल जाता है कि हमारे गरीब खजाने में इसके लिये पैसा नहीं है। वहां की जनता को प्रभाव में लाने के लिये बांदा तहसील बना दी गयी क्योंकि चुनाव यह जीत नहीं सकते इसलिए मुकामी जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये वहां बांदा तहसील खोल दी और एक लाख कुछ हजार रुपये का खर्चा दिखा दिया, इसके अलावा 30 हजार रुपया वहां की साज-सज्जा के लिये खर्च किया है। आकस्मिक निधि से यह खर्चा दे दिया और हमसे मांग करने आ गये, तो हम इस अनावश्यक खर्च के लिये इजाजत देने के लिये तैयार नहीं हैं, लेकिन उन जगहों को दिखा करके केवल रिकवरी के आधार पर अपने घर, अपने गांव का भला करेंगे। यहां मेरी जानकारी के मुताबिक उस तहसील में एक कानूनगो है जो अब नायब तहसीलदार हो गये हैं आजीवन वहां पर पोस्टेड हैं क्योंकि सीलिंग की जमीन का हेर-फेर वो करते रहते हैं। शायद कुछ दिनों में उसको तहसीलदार बना कर वहां से रिटायर्ड किया जायेगा।

कानपुर देहात भी जिला बनेगा। उसके लिये आपने अनुपूरक प्रश्न में उत्तर दिया कि ऐसा कोई प्राविधान नहीं किया गया है, परन्तु कानपुर देहात का जिला बन रहा है। मेरा विचार है कि आज उसके लिये आकस्मिक निधि से पैसा ले लिया होगा, बाद में शायद उसके लिये अनुदान स्वीकार करा लेंगे। मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी उस जगह का उद्घाटन रेंगे और इस तरह से प्रशासकीय खर्चे अनावश्यक रूप से बढ़े हैं।

अभी इन्होंने सुलहकुल किया यहां सदन में अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में इन्होंने कहा कि 1 लाख 60 हजार रुपये राष्ट्रीय एकीकरण विभाग की मद में से खर्च किया गया इसमें। और उसके बाद चूंकि हमारी नजर शायद वहां न जाय कि इतना बड़ा खर्च हुआ है, इसलिए 1 लाख 60 हजार रुपये इन्होंने राष्ट्रीय-एकीकरण विभाग से चुपके से ले लिया और इस विभाग की मद के अलावा जो चुपके से शिक्षा विभाग से 70 हजार रुपये लिये गये और यह पैसा घुसेड़ दिया जो इनका मुशायरा हुआ था उसमें। इसके अलावा मन्त्रियों के आने-जाने में, उनकी आवास व्यवस्था में, उनके अतिथि सत्कार में जो पैसा खर्च हुआ है जो आपने अनुदान में मांगा है इससे कहीं ज्यादा है। इसके अलावा जो अधिकारी जुटे, उन पर जो खर्च किया गया, उसका कोई विवरण हमारे सामने नहीं है क्योंकि वह गुप्त प्रशासकीय खर्चा है।

अभी आपने लखनऊ में लखनऊ महोत्सव किया। इस लखनऊ महोत्सव में दो लाख रुपया खर्च हुआ, उसके लिये भी आपने अनुदान की मांग हमसे की है। इस लखनऊ महोत्सव का उद्देश्य क्या था? प्रदेश की जनता को इससे क्या लाभ हुआ? इससे लखनऊ की जनता को क्या लाभ पहुंचा? इसके बारे में हम को बताना पड़ेगा, आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा क्योंकि इस तरह से हम लोगों के, गरीबों के पैसे को बरबाद किया जा रहा है। अभी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रधान मन्त्री आयी थीं, जब हम यहां मामला उठायेंगे तो यह कह देंगे कि यह मामला भारत सरकार का है, वहां विज्ञान की एक कांफ्रेंस हुई, उससे हमारे प्रदेश को कुछ लेना देना नहीं था लेकिन 2 लाख रुपया हमारे गरीब खजाने से निकाल कर दे दिया। इसके अलावा जो आलम था वहां पर, क्योंकि अखबारों में खबर निकली थी, कि कुछ प्रदर्शन होने वाला है प्रधान मन्त्री के सामने, हमारे गृह राज्य मन्त्री वहां विद्यमान थे, उन्होंने अखबारों में बयान दिया कि इतनी ज्यादा तादाद में पुलिस और पी० ए० सी० इसलिए लगानी पड़ी कि प्रधान मन्त्री की जिन्दगी को खतरा था। सदन में कुछ कहते नहीं, कहते हैं बाहर और जब बाहर की बात हम सदन में उठाना चाहते हैं तो आप कह देते हैं कि यह मामला सदन के बाहर का है इसलिए आप की ओर से...

श्री उपाध्यक्ष--

मेरी ओर से नहीं बल्कि आप द्वारा बनाये गये नियमों की ओर से।

श्री मोहन सिंह--

कोई भी शर्मदार सरकार सदन में ही जिम्मेदार है और सदन में ही बातें कहेंगी और यह बेशर्म सरकार सारी योजनाएं....

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या 'बेशर्म' शब्द संसदीय है? इस को आप स्पष्ट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो पहले व्यवस्था हो चुकी है कि कोई भी शब्द अगर विशेषण के तौर पर प्रयुक्त हो तो संसदीय है और अगर संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो तो असंसदीय है।

श्री त्रिवेनी--

यह बेशर्म शब्द संसदीय है ?

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप हिन्दी वांग मय के व्याकरण के अंश को देखें तो यह शब्द विशेषण के रूप में आता है, इसलिए यह असंसदीय नहीं कहा जा सकता ।

श्री मोहन सिंह--

तो मैं कह रहा था कि इतना जबरदस्त बयान दिया, हम को भी इस बात से अवगत कराना चाहिए कि वहां कौन से सूल है जिन से उन को जानकारी मिली कि उनकी जान व माल का खतरा है । इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि आदरणीय स्वर्गीय चन्द्र भानु गुप्त के शव को लाने के लिये जो विशेष वायुयान किया गया उस पर 50 हजार रुपये खर्च हो गये । हम को जानकारी यह है कि और उस समय छपा था जिस आदमी ने इतना त्याग और तपस्या की उसका शव उत्तर प्रदेश में, लखनऊ आना चाहिये और नागरिकों को दिखाना चाहिये, उत्तर प्रदेश शासन के पास हेलीकाप्टर और प्लेन दोनों हैं और मुख्य मन्त्री तो प्लेन का इस्तेमाल स्कूटर की तरह करते हैं विश्राम के लिए दिल्ली चले जाते हैं और फिर सुबह को लखनऊ में हाजिर । हैलीकाप्टर और प्लेन का इतना दुरुपयोग करने के बाद भी उनके शव को लाने के लिए इनके पास प्लेन नहीं था । लोगों ने चन्दा करके 50 हजार रुपये की व्यवस्था की, एक प्लेन चार्टर किया और शव को लाया गया । आपने लिखा है कि 50 हजार रुपये उनके परिवार को दिये गये प्लेन का खर्चा । उनके परिवार में कोई है ऐसा मैं जानता नहीं हूं क्योंकि जब उनकी वसीयत मैंने पढ़ी है उसमें उन्होंने लिखा है कि 'मैं फकीर की तरह आया था और फकीर की तरह जाना चाहता हूं । मेरा सब कुछ ट्रस्ट को दे दिया जाये ।'

श्री त्रिवेनी--

उनके सम्बन्धी आज भी हैं ।

श्री मोहन सिंह--

इसके द्वारा उस व्यक्ति को भी लांछित करने की कोशिश की जा रही है ।

एक और दिलचस्प बात है इसमें मान्यवर, और दिलचस्प बात वह यह है कि (श्री त्रिवेनी राय को सम्बोधित करते हुए) आप मेरे बुजुर्ग हैं, आपसे प्रशिक्षण लेने को मैं तैयार हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मोहन सिंह जी, आपको माननीय त्रिवेणी राय से प्रशिक्षित होने म कोई परेशानी नहीं है ।

श्री त्रिवेनी--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनका गुरु भी हूं ।

श्री मोहन सिंह--

जब भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री कमलापति त्रिपाठी इनके चेले रह चुके हैं तो मुझे इनकी चेलवई करने में कोई एतराज नहीं है ।

मान्यवर, जो दिलचस्प बात मैं कह रहा था वह यह है कि मोदी के खिलाफ किसी मामले में उपनिबन्धक ने 49 हजार रुपये की डयूटी लगा दी और मोदी साहब अदालत में पहुंच गए। अब अदालत ने फैसला कर दिया कि सूद सहित स्टेट एस्चेकर का रुपया वापस किया जाय। अब सब रजिस्ट्रार की नालायकी से सूद सहित स्टेट एस्चेकर में मोदी को 95 हजार रुपये रिफन्ड किया जा रहा है। यह आपकी प्रशासकीय अक्षमता का नतीजा इस प्रदेश के गरीब खजाने के ऊपर लादा जा रहा है। यह बात अखबारों में कई बार उठाई जा चुकी कि इसमें जो सब-रजिस्ट्रार नियुक्त हैं, वह विभागीय लोग हैं और तमाम इसमें क्लर्क हैं, वह नियमित भी नहीं हैं, उनको आप प्रमोट करके सब-रजिस्ट्रार बना देते हैं। क्यों नहीं आप पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एप्रूव लोगों को इसमें रखते ? अभी 91 लोगों की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हुई लेकिन मुझको अफसोस है कि इस तरह के गलत नतीजे सामने आने के बाद भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एप्रूव लोग थे, आज भी उत्तर प्रदेश का शासन उनको अपनी जगहों पर बहाल नहीं कर रहा है और उनको घर बैठे वेतन दिया जा रहा है और आज भी वहां क्लर्क्स काम कर रहे हैं और उसी का यह नतीजा है कि 95 हजार रुपया एस्चेकर में हमारी रियासत से, हमारे खजाने से मोदी जैसे प्रमुख उद्योगपति को आप अदा करने जा रहे हैं। उसको 45 हजार रुपये की जगह 95 हजार रुपया वापस करने जा रहे हैं।

एक बात और इसी सम्बन्ध में कि जब माननीय मुख्य मन्त्री यहां आये और मुख्य मन्त्री बने तब बड़ा भारी ढकोसला उन्होंने तैयार किया और अखबारों में खबर छपी कि बहुत बड़े कवि हैं, सहनशील हैं, उनका हृदय विराट है आदि। अपने बेटे की भी शादी में वह बस में गए, किसी को ले नहीं गए। कोई शैडो या चपरासी भी नहीं ले गए और होटल में टिके। कोई मिलने गया तो उन्होंने कहा कि मुख्य मन्त्री से नहीं, विश्वनाथ प्रताप सिंह से यदि मिलने आए हों तो, उनसे मिले। इतना बड़ा स्वांग किया गया, लेकिन यह जो अनुपूरक आया है इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग की जितनी अनुदानों की रकम मांगी गई है उसमें मेरी जानकारी है कि माननीन मुख्य मन्त्री जिस अतिथि निवास में रहते हैं, कालिदास मार्ग पर, उसकी साज-सज्जा के ऊपर 1 लाख 20 हजार रुपये खर्च किये गए हैं। जो आदमी बस में जाय, जनता के सामने इतना बड़ा आडम्बर करे, यह भी पता चला है कि वे अपना घर छोड़ने वाले हैं और माल एवेन्यू में घर लेने वाले हैं उस घर के ऊपर भी मैं समझता हूं कि कितना पैसा खर्च होगा, लाखों रुपया उसकी भी साज-सज्जा और ठीक करने में खर्च हो रहा है 1 लाख 20 हजार, जिसमें वह रहते हैं उसमें खर्च किया गया है। यह सब हमारे गरीब खजाने के ऊपर इतनी बड़ी फिजूल खर्ची हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये बेचारे वहां जाते रहते हैं और आपस में मार-पीट होने लगती है।

एक सदस्य--

सात कहां हैं....

श्री मोहन सिंह--

आप ने अनुपूरक में मांग रखा है।

श्री त्रिवेनी--

आपने मार-पीट नारायणपुर में....

[श्री मोहन सिंह]—

सरकिट हाउस में पांच कमरे बनेंगे क्योंकि मंत्रियों को तकलीफ होती है और पांच कमरे बनाने पर साढ़े पांच लाख रुपये खर्च करने जा रहे हैं। आप ने मांगा है तो मैं कह रहा हूं। इसी वर्ष एक लाख बीस हजार रुपया खर्च कर दिया जायेगा।

तो मैं कहना चाहता हूं कि मैंने ये कुछ उदाहरण आप के माध्यम से इनके सामने रखे कि जितनी आप ने अनुदानें हमारे सामने मांग के रूप में पेश की हैं ये अधिकांश मांगे अनावश्यक खर्च की हैं, हमारे प्रदेश के गरीब खजाने में बोझ के रूप में हैं, आप के ठाट-बाट फिजूल खर्ची के खर्चे हैं। मैंने विधान सभा के अन्दर सवाल किया था। वह सवाल इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि अतारांकित था। मैंने यह प्रश्न किया था कि उत्तर प्रदेश के पांच मंत्रियों का पांच महीने का कितना टेलीफोन का बिल आया। विधान सभा से ही इस का आप का लिख कर भेजा हुआ उत्तर है। माननीय मुख्य मन्त्री सर्वोदयी हैं, जो सब से ज्यादा निष्पृह हैं, जो सब से ज्यादा कम खर्च वाले हैं, उन्हीं के लिए पांच महीने में केवल डेढ़ लाख रुपये का टेलीफोन का बिल दिया। सबसे कम हमारे अम्मार रिजवी साहब का बिल आया लेकिन यह बैठा करीब-करीब 70,000 रुपये घर का और दफ्तर का बिल मिला कर। स्वास्थ्य मन्त्री जी भी करीब-करीब एक लाख रुपये टेलीफोन के ऊपर बिल के रूप में खर्च किये हैं। पांच मंत्रियों का हिसाब लगाने पर चार लाख रुपये के करीब खर्च आता है। केवल टेलीफोन के ऊपर इतना खर्च हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की अनावश्यक फिजूलखर्ची प्रशासन को रोकनी चाहिए। अनावश्यक ठाट-बाट, रख-रखाव में फिजूलखर्ची को रोका जाना चाहिए। आठ डिप्टी मंत्रियों को आप ने गाड़ी दी। पांच लाख रुपये उस पर आप ने खर्च किया है। इस की अब तक मांग की है। अभी 16 आप और नियुक्त करने वाले हैं हमने तो प्लान बनाया था और आप ने रोलिंग मिनिस्ट्री बनाई है जो रोज बनती है और रोज बिगड़ती है। हमारे राजा साहब के मंत्रिमन्डल में एक चिट्ठीरसा मन्त्री भी मुकर्रर कर दिये गये हैं। कल ही अखबार में मैंने पढ़ा। बड़े जोर से उन्होंने कहा है कि कोई एक राज्य मन्त्री जी हैं माननीय मुख्य मन्त्री जी की चिट्ठी पत्री, खत व किताबत को देखते रहेंगे। एक नया विभाग उन्होंने सृजित कर दिया है। डाकिया मिनिस्टर। आज तक यह विभाग उत्तर प्रदेश में नहीं था। नये विभाग का सृजन इन्होंने कर दिया। मैं समझता हूं जब मन्त्री डाकिया होंगे तो उन के सचिव भी डाक महानिरीक्षक के रूप में बैठेंगे, कोई विशेष सचिव बैठेंगे, उप सचिव बैठेंगे।

मैंने पिछले साल उद्योग विभाग के अनुदान के कटौती के सम्बन्ध में कहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में निर्यात निगम है। पिछले साल मैंने कहा था कि आई० ए० एस० के हाथ में खेलने वाली सरकार है और केवल आई० ए० एस० को संतुष्ट करने के लिए भिन्न-भिन्न विभागों का सृजन किया जाता है। इन्होंने अपने स्पष्टीकरण में कहा था कि निर्यात विभाग इसलिए खोला क्योंकि हमारे प्रदेश से मैटीरियल बाहर नहीं जाते। पहले से निर्यात निगम बना हुआ है। उस की गतिविधि से मैं संतुष्ट नहीं था। लेकिन इस साल उस में कई हजारों....।

श्री त्रिवेनी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आप के माध्यम से माननीय मोहन सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि तीन वर्ष उनकी सरकार रही क्या आई० ए० एस० हटा दिये गये थे, उनके बगैर शासन किया गया था ?

श्री उपाध्यक्ष—

त्रिवेनी राय जी यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री मोहन सिंह—

इन की फिजूलखर्ची की नीति यह है कि केवल मंत्रियों के घरों में जो विद्युत् उपकरण रखे गये हैं, अभी इनकी सरकार बने ग्यारह महीने हुये हैं और ग्यारह महीनों में पूरे मन्त्री भी नहीं बनाये गये हैं, उनके ऊपर 50 हजार रुपया खर्च विद्युत् अनुरक्षण के ऊपर 50 हजार रुपया खर्च किया गया है । मैं यह इसलिये कहना चाहता हूं कि आपको इस प्रदेश के गरीब खजाने का एहसास नहीं है । विधान सभा में बजट आया था हरिजन समाज कल्याण का और हरिजन कल्याण विभाग का । उसमें अपने हमसे बजट मांग लिया कि दो अलग-अलग विभाग होंगे । आप इस वर्ष विकलांग वर्ष मनाने जा रहे हैं और इसमें कुछ पैसा बाहर से भी आने वाला है इसलिये जो विकलांग हैं, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने देश के लिये इतनी बड़ी कुर्बानी की है और आज जिसकी वजह से हम यहां पर आपस में बैठकर चर्चा करते हैं, उन सब के उत्थान के लिये तथा हमारे प्रदेश में जो विधवायें हैं, महिलायें हैं, जिनकी स्थिति बड़ी खराब है उन सब के लिये समाज कल्याण विभाग अलग से बनाया गया था कि इस विभाग के द्वारा उनका कल्याण हो सकेगा । उसके लिये कैबिनट की स्वीकृति भी हो चुकी थी बजट भी ले लिया था । उसका अनुमोदन भी हो गया था । लेकिन कुछ समाचार-पत्रों में खबर आ रही है कि किन्हीं खास दबाव में दोनों विभागों को फिर से एक किया जा रहा है ।

हमने बजट पास कर दिया, केबिनट ने कानून बना दिया लेकिन सब कार्य ही गलत हो गई । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसको तो आप पास कर ही लेंगे क्योंकि आपके पास बहुमत है लेकिन आप हमारे इस प्रदेश की गरीब संचित निधि के साथ इस तरह का मजाक मत करिये वरना इस गरीब प्रदेश के लोगों की अंतड़ियों की ज्वाला भड़क उठेगी और आप भी सब उसमें झुलस जायेंगे और तब आप कहेंगे कि आपने भी सही विरोध पक्ष का निर्वहन नहीं किया था । इन शब्दों के साथ इस अनुपूरक बजट को चुनौती देते हुये इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों से जिनको कि जनता के बीच में जाकर जवाबदेही करनी है, उनसे कहूंगा कि वे इसको पास न होने दें ।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुपूरक बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपकी आभारी हूं । मान्यवर, मैं महसूस कर रही थी जब हमारे सम्मानित सदस्य भाई मोहन सिंह जी बोल रहे थे तो मैं ऐसा सोचती थी कि वे कुछ ऐसी बातें कहेंगे जो तथ्य की बातें होंगी ।.... (व्यवधान) अकलमन्दी शब्द का तो मैं प्रयोग नहीं करती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती प्रेमवती तिवारी--]

लेकिन हर एडजेक्टिव की अपनी मर्यादा हुआ करती है और हमारी मर्यादा में "अकलमन्दी" नहीं आती, तथ्य की बात आती है। मैंने उनका भाषण बड़े गौर से सुना। उन्होंने अनुपूरक बजट को शुरू से आखीर तक थोथा पाया और जितने भी एडजेक्टिव वे लगा सकते थे जो कि तथ्य से परे थे, वे सारे उन्होंने लगाये और उनको थोथा कहा। मान्यवर, उनकी कुछ बातों की तरफ में आपका ध्यान दिलऊंगी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में कहा कि उन्हें क्या सुविधायें दी गईं ? मैं कहना चाहती हूं कि जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी तो उनको कौन सी सुविधा की जरूरत थी उनको तो किसी चीज की जरूरत नहीं थी। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहती हूं कि डी० आई० आर० और मीसा में जो लोग बन्द हुये थे उनकी भी कुछ सेवायें थीं ? उनको पेंशन देने की योजना बनायी गई और उसका शुभारम्भ किया गया और वह उनके लिये किया गया जो डी० आई० आर० और मीसा में बन्द हुये थे उन सबको इस तरह से पेंशन दी गई।

श्री मोहन सिंह--

डी० आई० आर० का पेंशन तो वित्त मंत्री जी पा रहे हैं।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

ये सदन में गलत बयानी कर रहे हैं। मैं कोई पेंशन नहीं पा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

जो मीसा या डी० आई० आर० में बन्द हो गया और अगर उसको किसी नौकरी की जरूरत होती थी। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, योग्यता की जरूरत नहीं, पास करने की जरूरत नहीं, डिवीजन की जरूरत नहीं है और नौकरी चाहिये तो डी० आई० आर० का सर्टिफिकेट ले आइये और अच्छी जगह पर चले जाओगे। मान्यवर, यह सही बात है कि अगर सम्मानित विरोधी पक्ष के सदस्य इस चीज को चुनौती देंगे तो मैं उसको स्वीकार करते हुए इस प्रकार के तथ्य रखने के लिए सक्षम हूं यह मैं मजबूती के साथ कह रही हूं।

मान्यवर, जो अनुपूरक बजट आया है इसका अपना कुछ महत्व है। कुछ इस तरह के खर्चे हमारे पास आ जाया करते हैं जिनकी हम पहले कल्पना नहीं करते और हमको ऐसा लगता है कि उनकी जरूरत हमको नहीं है लेकिन कुछ हालात बन जाते हैं जिनकी वजह से ऐसे खर्च करने होते हैं। मान्यवर, बाढ़ की विभीषिका इतनी जबरदस्त थी, मैं अपनी सरकार को इस चीज के लिए बधाई देना चाहती हूं कि अगर वक्त पर उन्होंने स्थिति न संभाली होती तो प्रदेश बाढ़ के चपेट में इस तरह आ जाता कि जो नुकसान हुआ है उससे भी आगे बढ़ना पड़ता उससे ज्यादा खर्च करना पड़ता।

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने कहा कि हम कुछ अधिकारियों को तमाम प्रकार की सुविधायें देने पर फिजूलखर्ची करते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि उस जगह फिजूल खर्ची नहीं होती है जिससे कुछ काम लिया जाता है, उसके

लिए कुछ सहूलियतें दी जाती हैं जिस प्रकार से हम चाहे उधर के बैठने वाले सम्मानित सदस्य हों या इधर के बैठने वाले हों उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है उनको वह सारी सुविधायें देने की कोशिश की जाती है जिनको देकर हम अपेक्षा करते हैं कि वह उन सुविधाओं को प्राप्त करने के बाद जो उनकी काम करने की क्षमता है वह बढ़ेगी और उसमें उनके किसी प्रकार के सुझाव आते हैं तो उनको देने की कोशिश करते हैं। तो मान्यवर, अगर इसे फिजूलखर्ची कहा जाय तो यह फिजूल खर्ची नहीं है। यह तो उनसे जो सरकार अपेक्षा करती है उसके लिए दिया जाता है।

मान्यवर, दवाइयां महंगी हो गयीं उसके बाद भी मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहती हूं कि क्या उन दवाओं में कोई कटौती हुई है? अगर कटौती नहीं हुई है और इस बढ़े हुए दामों पर अधिक से अधिक दवाइयां ली जाती हैं जिनका रिकार्ड आप देख लीजिये दारुलशफा के डाक्टर के कार्यालय से, तो वहां से कितनी दवाइयां ली जाती हैं उस बढ़े हुए दाम पर चाहे यह उधर के विधायक हों या इधर के विधायक हों, उस बढ़ी हुई कीमतों के लिये जो धन है सरकार के पास कोई ऐसा चिराग तो है नहीं कि धन आ जाय और अनुपूरक बजट न लाना पड़े। तो मान्यवर, उसके लिए अनुपूरक अनुदान लाना पड़ता है।

बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए हमारा बड़ा पैसा खर्च हुआ। हमने उन लोगों को जो बाढ़ की चपेट में आ गये थे उनके लिए बड़े-बड़े कैम्प लगाये और आप कहें कि उसको क्या जरूरत थी या तम्बू की कौन सी जरूरत थी तो हम इतने निर्दय या निर्मम नहीं हैं जो उनको न बचाते और जो इंतजाम हम कर सकते थे वह हमने किया। तो उसमें जो खर्च हुआ उसको कहें कि यह फिजूलखर्च है, उचित नहीं। यही नहीं हमें कुछ अधिकारियों को भी वहां रखना पड़ा, उनके लिए कुर्सी और मेज भी रखने पड़े, यही नहीं जरूरत पड़ी तो कहीं-कहीं पर टेलीफून भी करवाने पड़े अब आप कहिये कि इसकी क्या जरूरत थी यह तो फिजूलखर्ची है? तो यह फिजूलखर्ची नहीं है। हमें कभी-कभी जरूर करना पड़ता है और हमें तुरंत सूचना लेकर उसके आधार पर काम करना पड़ता है। उस काम के लिये हमने टेलीफोन लगवाया, जिससे उस पर हमारा खर्च हुआ और उसी के लिए आज हम अनुपूरक बजट मांग रहे हैं।

इसके आगे मैं कहना चाहती हूं, गरीबों के घर गिरे और उसके बाद इस लोकप्रिय सरकार ने एक फैसला मन से लिया कि जिनके घर गिर गये हैं, उनकी पूरी क्षतिपूर्ति का नहीं किन्तु किसी न किसी तरह उनको सान्त्वना देने के लिए, उनको यह बताने के लिए हम तुम्हारे दुख से पूरी तरह से दुखी हैं, हमने छोटी से छोटी धनराशि पहुंचाकर उससे सम्पर्क किया। 100-200 रुपये की धनराशि सैकड़ों, हजारों में नहीं लाखों की तादाद में हमने जा जाकर अपनी तहसीलों के माध्यम से घरगिरी के अनुदान का रुपया बंटवाया। मैंने कई बार सदन में सुना और उसका मैं जवाब देना चाहती हूं। कहा यह गया कि दिया 2 सौ रुपया, लेकिन मिला उसको 50 रुपया, तो यह किसकी गलती है? मैं बड़ी मजबूरी के साथ कहना चाहती हूं, मैं भी एक विधायक हूं, और कोई भी हो चाहे मंत्री हो, लेकिन प्रथम वह एक सदस्य हैं और इस नाते उसको जनता के साथ अपने कर्त्तव्य का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। मेरे सामने भी यह करने की बात आई और 7-8 और 10 घंटे तक मैंने नित्य इस कार्य हेतु देकर अपने साथियों के साथ जा-जाकर लोगों से सम्पर्क किया, घर गिरे लोगों की लिस्ट बनवाई और फिर तहसील से सम्पर्क

[श्रीमती प्रेमवती तिवारी--]

करके उस रुपये को वितरित किया। मैं अधिकारियों को बिल्कुल भी दोष देने के लिए तैयार नहीं हूं कि 50 रुपया देकर 200 रुपया पर हस्ताक्षर कराये। दोष वहां आता है जहां सदस्यगण अपने शक्ति भर उनकी सहायता नहीं करते हैं, अपना कार्य नहीं करते हैं। यदि कोई भी सदस्य अपने क्षेत्र में इस काम को मेहनत के साथ ले, तो जो अधिकारियों और कर्मचारियों पर आक्षेप किया जाता है, उसकी नौबत कभी नहीं आएगी। हमने जो धनराशि बंटवाई, मैं दावे के साथ कहना चाहती हूं, उसमें से किसी कर्मचारी ने एक पैसा भी अपने पास नहीं रखा, हमने पूरा का पूरा सही ढंग से बंटवा दिया। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, आप हमें बता दें कि कितना समय लगेगा जिससे मैं उस हिसाब से बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष--

सदस्यों के लिए 7 मिनट और मंत्रियों के लिए 20 मिनट निर्धारित हैं।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'--

इनको आप और ज्यादा समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

रणजीतसिंह जूदेव कह रहे हैं तो मैं दो मिनट उनको और दे रहा हूं।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

एक बात और कही कि आपने तहसील क्यों खोली है। यह नहीं होगी तो काम कैसे होगा और क्या बिना इमारत के कोई काम चलता है यदि आज हम कहें कि इस सदन की क्या जरूरत है, किसी पेड़ की छाया में बैठकर यह काम क्यों नहीं होता, तो फिर मेरी समझ में नहीं आता है कि कैसे और किस प्रकार से काम चलेगा ? एक बात मुरादाबाद को मंडल बनाने के बारे में कही गई। यह शासन की जिम्मेदारी है, जहां वह महसूस करती है कि यहां व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए जरूरत होगी, तो हम मंडल खोलेंगे। जिला कानपुर के दो भाग किये गये, मेरठ में दो जिले किये गये, इसकी भी बात कही गई। तो जब हमें जरूरत होगी शासन को बनाने के लिए तो मैं सम्मानित सदस्यों से कहना चाहती हूं कि वह शासन को इस तरह के कार्य के लिए पूरी तरह से आज्ञा दें कि जो भी शासन को चलाने के लिए आवश्यक हो उसको आप करें और इसमें हम भी आपके साथ हैं। तब ही तो शासन चलेगा। कहा गया है कि कुर्सी मेज क्यों आई जमीन पर कौन बैठेगा ? अगर एक मंडल खुलेगा तो वहां पर भवन भी बनेंगे, फर्नीचर भी आयेगा। निरीक्षण भवन बना तो कहा गया कि क्यों बनाया गया ? उसकी जरूरत थी तो बना। जब माननीय सदस्य वहां पर जायेंगे तब कहेंगे कि मंडल तो बना दिया लेकिन हमारे रहने के लिए प्रबन्ध नहीं किया गया। आपके ही वहां पर रहने के लिए यह प्रबन्ध किया गया है कि जब आप वहां पर जायें तो आपको किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इसलिए यह भवन बनाया गया है और भी आपको अगर कहीं पर कठिनाई हो तो बनायें यह सरकार जो है वह आपके लिए काम करने में सक्षम है और वह करेगी।

कहा गया कि विकलांग वर्ष मनाया जा रहा है। हमने तो महिला वर्ष भी मनाया है और बाल वर्ष भी मनाया गया। इस समय विकलांग वर्ष मनाया जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि आप उसमें भी अपना सहयोग दें और देखें कि विकलांगों की सेवा करने में क्या आनन्द आता है।

आपने किसानों की बात कही। हम किसान वर्ष भी मनायेंगे। माननीय चौधरी चरण सिंह ने खेत कब बोया लेकिन उनको किसानों का नेता बना दिया गया। जब उन्होंने कभी खुर्पी और मेड़ देखी ? एक काम उन्होंने अवश्य किया कि जब उनके बेटे की बात आयी तो उन्होंने उसे कहा कि हिन्दुस्तान तुम्हारे लिए बेकार है, तुम अमेरिका चले जाओ, हिन्दुस्तान में रहना तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि तुम्हें यहां पर रखा जाय। यही नहीं जितने भी रिश्तेदार या नातेदार हैं जो भी हिन्दुस्तान छोड़ सकें उनको कहा गया कि तुम भी जाओ और जरूरत पड़ेगी तो हम भी आ जायेंगे।

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। यों तो बोलने का कोई अन्त नहीं है लेकिन फिर भी प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों का समर्थन करते हुए आपके प्रति पुनः आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

*श्री रियासत हुसैन––

श्रीमन्, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है एक साल में यह दूसरा सप्लीमेंटरी बजट पेश किया गया है। जिस तरीके से प्रजातंत्र में चलने के साथ–साथ ब्युरोक्रेसी के द्वारा इन शक्तियों को जो लोकतंत्र में मजबूती होनी चाहिए जिस प्रकार से धक्का पहुंचाया जा रहा है, उसके लिए मुझे बड़ा खेद है। मान्यवर, अभी 13 अक्तूबर, को हमने वर्ष 1980–81 का मूल बजट पास किया और उसके 2 घंटे बाद 13 तारीख को ही जो पहला सप्लीमेंटरी बजट आया वह 3 अरब, 15 करोड़, 36 लाख, 74 हजार रुपये का था। अभी वर्ष 1980–81 बन्द होने से पहले इस वक्त के ऊपर रखे आपका 2,04,13.31,000 का दूसरा सप्लीमेंटरी बजट आपके सामने है। इसको यों मान कर चलता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जैसा इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, यह बजट जो आया है, उसका पूरा सबूत है। उन्होंने जो अंग्रेजी में कहा उसे पढ़ कर सुनाये देता हूं। 6 मार्च, की पत्रिका के अन्दर श्री शकधर जी ने यह बात कही है।

The law was that the ministers made the policy and the Civil Service executed it. But in practice it was the other way round the civil service was laying down the policy and the ministers were implementing it. Mr. Shakdhar said.

कानून यह है कि मिनिस्टर्स पालिसी बनाते हैं और अधिकारी उसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन हकीकत में उसका उलटा है। सिविल आफिसर्स जो पालिसी बना रहे हैं मिनिस्टर्स उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उसी का एक उदाहरण यह बजट है जो आपके सामने पेश है। माननीया तिवारी जी ने अभी बड़ी जोरदार वकालत की, लेकिन वे यह भूल गयीं कि इस दूसरे सप्लीमेंटरी बजट में जो चीजें आयी हैं वे मेन बजट में रखी जा सकती थीं। 8 डिप्टी मिनिस्टर्स की जगह बढ़ीं, उनके लिए साज सज्जा तथा कारें आदि का इन्तजाम किया गया, वह इन्तजाम तुरन्त हो गया, किन्तु माननीय विधायकों के लिए टेलीफोन के बारे में जो बिल तक पास हो गया है, वह काम अभी तक नहीं हो पाया है, न ही यहां पर टेलीफोन अभी तक मिला है और न ही घरों पर। पैसा भले ही जमा हो गया हो।

एक बात और बड़े अफसोस की यह है कि मिनिस्टरों वगैरह के घरों पर जो टेलीविजन लगे हैं, उनकी लाइसेन्स फीस तक का इन्तजाम मूल बजट में नहीं किया गया। क्यों ? क्या अधिकारियों को पहले से यह पता नहीं था कि इन पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसेन--]

लाइसेन्स फीस भी पड़ती है ? उसको भी सप्लीमेन्टरी बजट में रखा गया है। शायद अधिकारियों ने पहले यह समझ रखा हो कि मिनिस्टरों के यहां टेलीविजन पर लाइसेन्स फीस न पड़े, मगर बाद को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने कहा हो कि यह देना होगी, तब यह प्राविजन कर दिया गया।

माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय आ गये हैं यह खुशी की बात है। माननीय मोहन सिंह जी जब बोल रहे थे तब वे नहीं थे। आज अखबारों में दो मुख्य खबरें छपी हैं जिनकी ओर मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं एक तो यह खबर छपी है कि मलखान सिंह एण्ड कम्पनी जो डकैतों की है, वह सरेन्डर करना चाहती है और दूसरी खबर यह छपी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी पार्लियामेन्ट का इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट चाहते हैं। उधर डकैत सरेन्डर करना चाहते हैं, इधर माननीय मुख्य मंत्री जी सरेन्डर करना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी अभी तक यहां से गैरहाजिर रहे, शायद वे डकैतों के सरेन्डर की बात कर रहे हों या अपने सरेन्डर की बात कर रहे हों।

इस बजट में फिजूलखर्ची के बारे में एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह सरकार अपने बचाव के लिए यह कह देती है कि जनता सरकार ने यह किया, किन्तु आप भी अपनी जिम्मेदारी से यह कह कर बच नहीं सकते। जब जनता पार्टी की सरकार थी तब भी मैं इसी पक्ष में बैठता था और मैंने यह बात पहले भी कही थी कि कमीशन बिठाने से ही आप इस देश की रोटी रोजी का प्रश्न हल नहीं कर सकते। चौधरी साहब ने 60-70 कमीशन नियुक्त कर दिये, बन्टाधार हो गया, उल्टे उन्हीं के खिलाफ जांच शुरू हो गई। जो भी दूसरे के लिए कुंवा खोदता है, पहले वह स्वयं उस कुंये में गिर जाता है। यह पुरानी कहावत है। वह जनता सरकार के ऊपर लागू हो गई। जो मेहमानों के लिए अतिथियों के लिए, जो सूबे में खर्च होता है उस पर जनता सरकार ने 1979-80 में एक साल में 33 000 रुपया अतिथियों के ऊपर खर्च किया, परन्तु आपकी सरकार ने जून से लेकर दिसम्बर तक 27,200 रुपया अतिथियों के ऊपर खर्च कर दिया। तो 6 महीने में इतना खर्च कर दिया, तो जब साल पूरा होगा, तो दुगुना हो जायगा। इस सवाल का जवाब असेम्बली के अन्दर आ चुका है। उसकी सूचना के आधार पर मैं वह कह रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी, इस बजट के अन्दर दो चीजें आपने ऐसी किया है जो कि काबिले तारीफ है। फ्रीडम फाइटर का 60 रुपया से बढ़ाकर 100 रुपया किया है। वह काबिले तारीफ है, अल्प संख्यकों के लिए, पुलिस की भर्ती के लिए किया है, वह काम आपका काबिले तारीफ है, बाकी आपने उप मंत्रियों के लिए कारों की सुविधा प्रदान किया, जबकि इस माननीय सदन के अन्दर यह बात बार-बार आ चुकी है कि उप मंत्री के पद को रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप स्टेट मिनिस्टर और कैबिनट मिनिस्टर को ही रखिये और अगर और जरूरत है तो पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी रखिये। उप मंत्री के पद को एबालिश कर दीजिए। अगर इन पदों को आप एबालिश नहीं करते हैं, तो इससे आपके शासन की छवि जो है, वह अच्छी नहीं होती है। इससे आपके ऊपर गलत असर पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेनी--

मान्यवर, आपके माध्यम से भाई रियासत से मैं एक सूचना चाहता हूं ?

[श्री रियासत हुसैन--]

जो माननीय सदन की कमेटियां हैं, जो मिनी सदन कहलाती हैं, अभी तक आपने उनके सभापति को स्टेट मिनिस्टर का स्टेट्स नहीं दे सके, जिससे आपके माननीय सदन की गरिमा भी बढ़ती, तो जिससे आपके माननीय सदन की समितियों की ताकत बढ़ती, वह आप नहीं दे सके। जो उनसे छोटा या स्टेट मिनिस्टर से छोटा होता है, उसके लिए सारी सुविधायें दे दिया। मैंने इसकी तरफ आपका ध्यान दिलाया। यह एक फजूल खर्ची है।

मुख्य मंत्री जी, आज मैं खुशनसीब हूं कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। मुरादाबाद का शेर आपको याद दिलाना चाहता हूं। 13 अगस्त को मुरादाबाद के अन्दर जब पुलिस का ऐक्शन हुआ था, तो 18 अगस्त को मेरी आप से बात हुई थी, मैंने आप से कहा था कि आज का मुरादाबाद वह मुरादाबाद नहीं है जो 1978 का मुरादाबाद था। आज के मुरादाबाद में बड़े-बड़े लोग मौजूद हैं, जो इस विधान सभा और इस पूरी बिल्डिंग को परचेज कर लें। आज मुरादाबाद में जरूरत है "गुडविल" क्रिएट करने की। इस पिछले 7 महीनों के अन्दर आप मुरादाबाद में "गुडविल" तो क्रिएट कर नहीं पाये। मुरादाबाद में कर्फ्यू पीरियड में अधिकारियों की मौजूदगी में मस्जिद को तोड़कर मन्दिर बना दिया। अगर कर्फ्यू न होता तो मैं हिन्दू भाइयों को दोषी करार देता। इसके बाद भी आप कुछ न कर सके बावजूद इसके कि आपके केन्द्र के मंत्री और सूबे के मंत्री सबकी वहां भरमार रही, जैसे मुरादाबाद में कोई सर्कस की कम्पनी हो, जहां कि दिल्ली से और लखनऊ से लोग जाते हैं। वहां "गुडविल" क्रिएट करना जरूरी है। होली सामने आ रही है। मुरादाबाद में कोई त्योहार नहीं मनाया गया। नियाज हसन साहब को तो मालूम होगा, न वहां होली मनायी गयी न दीवाली मनायी गयी, न ईद मनाया गयी न बकरीद मनायी गयी और न चेहल्लुम मनाया गया। चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों वहां के जिम्मेदार लोगों को बुलाकर आपने एक दिन तकलीफ कर ली होती। आपने अभी तक नहीं की। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं आप मुरादाबाद के विधायकों को, एम0 पीज0 को, जिम्मेदार लोगों को और अपने भी मिनिस्टर्स को उनको बुलाइए और बुलाकर लखनऊ में बैठकर इस पर डिसीजन कीजिये।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेनी--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(श्री रियासत हुसैन के बोलते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय रियासत हुसैन जी, आप बैठ जाइए, व्यवस्था का प्रश्न माननीय सदस्य उठाना चाहते हैं।

श्री त्रिवेनी--

मान्यवर, प्रक्रिया नियमावली को आप देख लें। यह सप्लीमेण्टरी बजट पर बोल रहे हैं या जनरल डिस्कसन मुरादाबाद पर कर रहे हैं। मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा। इन्होंने सप्लीमेन्टरी बजट पर कोई सुझाव नहीं दिया, कोई ठोस बात नहीं कही, तो मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि यह जनरल डिस्कशन है या सप्लीमेण्टरी बजट का डिस्कशन है?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय त्रिवेनी राय जी, यह अनुपूरक सप्लीमेन्टरी बजट है इसमें उस हर विभाग के बारे में कहेंगे और हर विभाग के बारे में अनुदान पेश किया जायेगा।

श्री त्रिवेनी--

कांड नहीं पेश करेंगे, ग्राण्ट पेश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

कान नहीं अनुदान पेश करेंगे। मैं कान का कोई इलाज नहीं कर सकता कि आप कान पेश करेंगे और इस पर अगर केवल मुरादाबाद का मामला लेते हैं...।

श्री त्रिवेनी--

मान्यवर, इस पर चर्चा हो चुकी है। सप्लीमेण्टरी बजट में लाने की क्या जरूरत है ?

श्री रियासत हुसैन--

त्रिवेनी जी को परेशानी हो रही है, चलिये आगे को चलें। अगर आपको मुरादाबाद में पैसा-कौड़ी की मदद करनी है तो सबसे पहला काम तो 30-32 लाख का सेल्सटैक्स का एरियर मुरादाबाद में आपका है...सेण्ट्रल कमिश्नर के यहां आ चुका है कि यह रिकवरेबिल नहीं है। अब श्रीमन्, उर्दू एकेडमी और नेशनल इंटीग्रेशन का जश्न जो लखनऊ में हो रहा है, एकता की नुमाइशें हो रही हैं, सुलहकुल हो रहा है तो इसमें अब एकता का मसला खड़ा हो गया है। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी अपने प्रदेश के अन्दर अकेले कौमी एकता को लेकर न चलें बल्कि सेक्लेरिज्म को भी लेकर चलें। क्योंकि ऐसा न हो कि एकता ही रह जाय और सेक्लेरिज्म का पल्ला गायब हो जाय। इसलिये दोनों को साथ लेकर चलें चूंकि सेक्लेरिज्म का संविधान में प्राविधान है जिसको बताने की जरूरत नहीं है।

श्रीमन्, उर्दू एकेडमी बड़ी मेहनत से बनायी गयी है। पहले यह उर्दू बोर्ड था और जवाहर लाल नेहरू के समय में उर्दू एकेडमी बनायी गयी जिसकी इस समय बड़ी खराब स्थिति है। उर्दू के प्रेस की हालत बड़ी खराब हो गयी है। बजट यहीं से पास होता है। आप 10 लाख रुपये साल भर में देते हैं लेकिन इस माननीय सदन का कोई भी माननीय सदस्य उर्दू एकेडमी की इक्ज्यूटिव और जनरल काउन्सिल का मेम्बर नहीं है। श्री खान गुफरान जाहिदी, जो उसके मेम्बर हैं, वह पत्रकार की हैसियत से हैं, एम0 एल0 ए0 की हैसियत से नहीं। मान्यवर, बजट हम पास करेंगे इसलिये इक्जोक्यूटिव काउन्सिल या जनरल काउन्सिल के अन्दर इस माननीय सदन के माननीय सदस्य उसमें रखें यह नहीं कि दूसरे लोगों को खुश करने के लिये ही रखेंगे।

श्रीमन्, जो बजट में आपने रुपया मांगा है वह स्वीकृत तो हो ही जायेगा लेकिन जिन मजदूरों ने सड़क पर काम किया है उनको मजदूरी का पैसा, चाहे वह सेंक्शन न होने के कारण या इस्टीमेट न होने के कारण रुका है, उन मजदूरों को मिलना चाहिये और उनको भुगतान कर दें।

श्रीमन्, डेरी के अन्तर्गत खर्च बढ़ा है । मैं इस राय का हूं कि आपके प्रदेश की आर्थिक स्थिति तब तक ऊपर नहीं उठेगी जब तक कि डेरी के काम को ऊपर नहीं ले जायेंगे क्योंकि डेरी से किसानों का सीधा सम्बन्ध है । लेकिन जो आपने डेरी में खर्च किया है और जो बजट में मांगा है वह भी कम है । दूध से जो डेरी चलती हैं उसमें एक-एक डेरी में लाखों रुपये का घाटा हो रहा है । जैसे दलपत दूध की डेरी 1,55,00,000 रुपये के घाटे में चल रही है । इसलिये इन डेरियों को भी आप लोन दें और यह न सोचें कि लास में क्यों जा रही है तो यह ठीक नहीं है, इसलिये इसमें आप यह सोचें कि यह कैसे प्राफिट में चले ?

श्रीमन्, स्वास्थ्य मंत्री जो यहां इस समय मौजूद नहीं हैं नेशनल लेवेल पर लखनऊ में जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसके सम्बन्ध में पैसा बजट में मांगा है तो वह ठीक है लेकिन नाम के ऊपर कन्ट्रोवर्सी जो पैदा हो गयी है वह समाप्त होना चाहिये ।

रफातपुर ग्राम के अन्दर हरिजनों की बच्चियों के लिये स्कूल कायम कराया उस स्कूल को आपकी बेसिक शिक्षा अधिकारी मिसेज शर्मा हैं पूरी ताकत लगा रही हैं रफातपुर ग्राम से भौरिया ग्राम समाज में जो सिटी ब्लाक में आता है ले जाना चाहते हैं । अभी 16 नवम्बर को वहां पर मुआयने पर गई और हरिजनों तथा मुसलमानों के घर पानी नहीं पिया और यह कह दिया कि हम मुसलमानों और हरिजनों के घर पानी नहीं पीते हैं । ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करें और हरिजनों तथा मुसलमानों के अधिकार को सुरक्षित रखें और जितना भी हरिजनों को उठाने के लिए आप इस बजट में पैसा मांगे हैं वह ठीक है मैंने अपनी बातें माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने रख दिया है मैंने कुछ सुझाव भी दिये हैं मैं आशा करता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करेंगे । अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री खान गुफरान जाहिदी--

उपाध्यक्ष महोदय मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने इस अनुपूरक डिमांड पर बोलने का मौका दिया भाई मोहनसिंह, भाई रियासत हुसैन साहब ने मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली तकरीर की, और गलत बातें कह दी । भाई मोहन सिंह की जब सरकार थी तब सारे मंत्री कुटिया में रहते थे, टेलीफोन की जगह पर कबूतरों से पैगाम भेजते थे या साइकिल पर चलते थे उस जमाने की बात कही गई । क्या यह मंत्री लोग दफ्तरों में नहीं बैठते थे पीपे पर झंडा लेकर घूमते थे अम्बेस्डर कार पर नहीं चलते थे । ऐसा मेरा ख्याल है कि उनकी सरकार ने ऐसा खर्च नहीं किया था जो उन्होंने ऐसी टिप्पणी की ।

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि इस तरह की कोई बात लेने वाली नहीं है जिसको मिलने वाली होती मिल जाया करती है । माननीय मोहन सिंह ने 3-4 बातें कहीं और ठीक उसके खिलाफ हमारे दूसरे अपोजीशन के साथी भाई रियासत हुसैन साहब ने बातें कहीं । मोहन सिंह को एतराज है कि मुरादाबाद में डिवीजन क्यों कायम किया गया और दूसरी तरफ रियासत हुसैन साहब को एतराज है कि वहां सारी कार्यवाही के बावजूद कोई कौमी एकता, बेहतर माहौल, बेहतर फिजा पैदा नहीं हुआ ? दोनों बातों में कितना अन्दर है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री खान गुफरान जाहिदी,—]

मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि वहां डिवीजन कायम करके एडमिनिस्ट्रेशन को चौकस करने के लिये जितनी आवश्यकता पड़ेगी हमारी सरकार अमन की बेहतरी पर जितना पैसा खर्च होगा, करेगी। मोहन सिंह ने इल्जाम लगाया कि सुलहकुल, जश्ने लखनऊ आदि कौमी एकता के लिये मनाया जा रहा है इस पर उनको एतराज है। इससे साफ जाहिर होता है कि विरोधी दल जिसका नेतृत्व मोहन सिंह और रियासत हुसैन साहब कर रहे हैं वे इस बात पर तैयार नहीं हैं वह चाहते हैं कि हंगामें हों और शासन सतर्क हो तो दूसरी सेकुलर . . . .

श्री रियासत हुसैन—

मुझे इस वर्ड पर एतराज है जो इन्होंने कहा कि [× × ×] मेरी स्पीच में ऐसी बात आई हो तो आप कृपा करके हमें इंगित कर दें ताकि हम हाउस से क्षमा मांग लें और वर्ड को वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय जाहिदी साहब हंगामा शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिये। उनके भाषण में यह कहीं नहीं आया है।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो बात कही है, मैं अब भी यह बात कहता हूं कि अमन कानून एत्तहाद, कौमी एकता, इस मुल्क की जम्हूरियत की ताकतों को बढ़ाने के लिए जो सरकार के सदस्यों ने काम किया उसमें क्या ताउन अपोजीशन के साथियों ने किया है ?

श्री रियासत हुसैन—

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरी आपत्ति इस बात पर है कि उन्होंने जो हंगामें का वर्ड जोड़ा, मेरी आपत्ति उस चीज पर है। मेरी आपत्ति इस बात पर नहीं है कि उनकी सरकार ने क्या-क्या किया।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय रियासत हुसैन को मैं यह नहीं कहता कि वह हंगामा कराते हैं। मेरा स्पष्टीकरण सुन लें। मैं यह वजूहात कर रहा हूं कि माननीय अपोजीशन के साथियों ने, किसी ने उस जमाने में जबकि मुरादाबाद जल रहा था या इलाहाबाद में कुछ झगड़े थे तो उस वक्त सदस्य के रूप में जो अमन के लिए मदद देना चाहिये, कौमी एकता को पैदा करने के लिए जो मदद देनी चाहिये थी, क्या माननीय सदस्यों ने यह अपील जारी की है।

श्री मोहन सिंह—

मुझे एक मिनट सुन लें। मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं प्रोसीडिंग देखूंगा और अगर हंगामा वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो उसको निश्चित रूप से निकाल दिया जायगा।

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रियासत हुसैन--

मेरी आपत्ति ह बर्ड्स पर, सुन लें ताकि प्रोसीडिंग्स देखें तो निर्णय लेने में आसानी हो। मेरी आपत्ति इस बात पर है कि गुफरान जाहिदी साहब ने कहा कि रियासत साहब ने जो तकरीर की उससे हंगामा पैदा होने की बात उन्होंने कही है। इस चीज पर मुझे आपत्ति है। क्योंकि मैं जब बोल रहा था तो आप वहाँ पर बैठे इस बात को जज कर रहे थे कि कौन सा शब्द प्रयोग होना चाहिये और कौन सा नहीं। मैंने जो स्पीच दी तो आपकी पीठ से कहीं किसी चीज को रोकने का संकेत नहीं मिला। इसलिए मैं समझता हूं कि जो मेरी स्पीच थी वह जाबते कायदा में ठीक थी। माननीय जाहिदी साहब की आपत्ति थी कि मेरी स्पीच जो है वह हंगामा पैदा करने वाली थी। इसके ऊपर मेरी आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय रियासत साहब मैंने आपकी जो आपत्ति थी उसको सुना। मैं भी अपने को श्योर करने के लिए उन बयानों को देखूंगा और अगर उसमें कुछ ऐसी बात होगी तो उस अंश को निकलवा दूंगा।

श्री भीखा लाल--

मेरी एक बात सुन लें।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, उन्होंने एक बात गंभीर कह दी कि विरोधी दलों की तरफ से कोई बयान जारी किया गया। मान्यवर, आपके संज्ञान में यह बात है। माननीय मुख्य मंत्री और नेता विरोधी दल के हस्ताक्षर से हम लोगों ने अमन की अपील की है। इनको जानकारी नहीं है तो लांछित करने की बात न करें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कहा कि मैं उनके भाषण के उस अंश को देखूंगा और अगर किसी तरह से लांछित कर रहे होंगे तो निकाल दूंगा।

श्री ऊदल--

मैं दूसरी बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्य गुफरान जाहिदी ने यह कहा कि विरोधी दल के किसी नेता या माननीय सदस्य ने क्या मुरादाबाद में जो अशांति हुई थी उसके बारे में कोई अपील जारी किया था। मान्यवर, प्रोसीडिंग मंगाकर देख लें, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपील जारी की थी, मुझे भी बुलाया था, मेरे हस्ताक्षर थे, अपील जारी हुयी है इसलिए तथ्यों से परे बात कोई नहीं करनी चाहिये यह मेरा निवेदन है।

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, अपील जो है, हमारे विरोधी दल के नेताओं ने एक सामूहिक रूप से अपील मुरादाबाद के सम्बन्ध में जारी की है।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, अपील जारी की गयी थी उस पर मुझे खुशी है। अगर मुझे जानकारी नहीं थी तो मैं अफसोस का इजहार करता हूं। लेकिन अपील

[श्री खान गुफरान जाहिदी--]

को जारी करना और बात है और उस अपील के संदर्भ में अमन और अमान कार्य करने में मसरूफ रहना और बात है। दूसरी चीज माननीय उपाध्यक्ष जी में साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं अगर यह हमारे साथ थे, अमन कार्य करने में तो इनको मुरादाबाद में डिवीजन कायम करने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये था। सुलहकुल, जश्ने लखनऊ और कौमी एतहाद की कोशिशों पर इनके एतराज नहीं आने चाहिये थे और जो एतराज आए वह बिलकुल नाजायज थे।

मैं अब आपके सामने फिजूलखर्ची के ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहता हूं जैसा कि हमारे भाई मोहन सिंह जी ने कहा। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि इससे पहले की जो सरकार थी, उसके एक उच्च नेता के रिश्तेदार ने जिला नैनीताल में जो फिजूलखर्ची दिखाई कि एक लाख के जमीन को 9 लाख में बेची गयी। यह है फजूलखर्ची। इसके बारे में हमारे भाई ने कोई रोशनी नहीं डाली। दूसरी बात हमारे रियासत भाई ने कही कि पिछली सरकार के जमाने में जो काम हुए और जो गल्ले का भंडार था, उस हिसाब से गल्ला बेचना चाहिये था, वह नहीं किया गया। लेकिन पिछली सरकार ने जिस अंदाज से काम किया था और जो एक सरकार का कार्य होता दूसरी सरकार पर वह इस सरकार ने पूरा किया। पूरा 76 हजार टन गल्ला दे दिया गया इस सरकार द्वारा। इसके बावजूद आपका कहना यह है। भाई मोहन सिंह जी को एतराज रहा करता था कि यहां पर हाउस में मंत्रीगण नहीं रहते। आज खुशकिस्मती से हमारे सभी मंत्री यहां हैं तब भी आपको एतराज है और हमारे तमाम सदस्यगण भी यहां मौजूद हैं लेकिन आपके ही ज्यादातर मेम्बरान गायब हैं।

भाई रियासत साहब ने उर्दू अकादमी के बारे में कहा। लेकिन उसके काम के बारे में कहा। उर्दू अदब और उर्दू की तरक्की के बारे में भाई रियासत साहब ने कोई ठोस सुझाव नहीं दिया। अगर आप ऐसे कुछ सुझाव देते और यकीनन सरकार को उस पर गौर करना चाहिये था। उस पर उन्होंने खासकर हमारे नाम का ही जिक्र किया। ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री जाहिदी, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, भाई रियासत साहब को आपने 25 मिनट दिया है आपने तो हमको भी कम से कम 15 मिनट दे दीजिये। खैर दो मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। भाई मोहन सिंह जी ने कहा कि हेलीकाप्टर को या जहाज को माननीय मुख्य मंत्री जी स्कूटर की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा इतना विशाल प्रदेश है जिसमें 56 जिले हैं और जिसमें 56 हजार समस्यायें भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

जाहिदी साहब, उत्तर प्रदेश में 56 जिले नहीं हैं बल्कि 58 जिले हैं।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

जी हां एक कानपुर देहात और बढ़ा है, तो मैं कह रहा था कि जितने जिले हैं उतनी समस्यायें हैं, और वह हेलीकाप्टर जो माननीय मुख्य मंत्री जी

इस्तेमाल करते थे, पुलिस वालों को जरूरत पड़ी, वह उन्हें दे दिया। और आपने कानपुर देहात के अलग से जिला बनाये जाने पर बात कही। तो इस सिलसिले में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कानपुर सिटी की और बात है, वह इण्डस्ट्रियल एरिया है और कानपुर देहात जो है, वह बहुत ही, हर मायने में बैकवर्ड है तो आपको अगर आपत्ति न होती तो आज कोई फायदा पहुंचता और उस फायदे को लोग महसूस करते, लेकिन उस पर भी एतराज कि उससे फायदा होगा। मैं समझता हूं कि जो सप्लीमेन्टरी बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसकी ताईद करता हूं और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी उसकी ताईद करेंगे।

[समय 12 बज कर 55 मिनट]

श्री भीखा लाल--

उपाध्यक्ष महोदय, यह इस वर्ष का दूसरा सप्लीमेन्टरी बजट है और यह सप्लीमेन्टरी बजट इस मौके पर लाया गया है जब कि वित्तीय वर्ष के खत्म होने के मुश्किल से 15 दिन बाकी रह गये हैं। मैं सोच रहा हूं कि शायद शासन ने, शासन के वित्तीय विभाग ने सभी खर्चों की कल्पना कर ली होगी और सभी खर्चों का अनुमान लगा लिया होगा और उन खर्चों को भी इसमें शामिल कर लिया होगा कि इसके अलावा फिर जल्दी से जल्दी सप्लीमेन्टरी बजट को न पास कराना पड़े। लेकिन मान्यवर, मैं समझता हूं कि जैसा कि परम्परा रही है मेरी यह कल्पना सही नहीं साबित होगी। इस बजट के पास होने के 15 दिन के बाद से ही....

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय भीखा लाल जी क्या हमेशा आपकी कल्पनायें गलत ही हुआ करती हैं ?

श्री भीखा लाल--

जी हां, हमेशा जो यह सदन पास करता है, नौकरशाही इसके विपरीत जा कर खर्च करती है। आप देखियेगा कि तीन चार साल के बाद ही फिर मांग लेकर सदन के सामने आयेंगे 1975-76, 1976-77 में किये गये खर्चे, जो उन सालों में इन्होंने खर्च कर दिया, उसकी मांग लेकर आज अनुदान लाये हैं। मेरी आशंका है कि इन्होंने सभी खर्चों की कल्पना कर ली होगी। यह खर्चे का बजट उस नौकरशाही के सुपुर्द करने जा रहे हैं जिसके ऊपर कम से कम मुख्य मंत्री जी को विश्वास नहीं रहा। मुख्य मंत्री जी अपने 6 महीने के शासनकाल में तीन चार मर्तबा इस्तीफा देने की बात कर चुके हैं। आज भी अखबारों के जरिये उन्होंने अपने इस्तीफे की बात कही है। उन्होंने प्रधान मंत्री से कहा है कि इस नौकरशाही का चक्रव्यूह जो बना है इसे तोड़ने में हम असमर्थ हैं इसलिये हमारा इस्तीफा मंजूर कर लें। हमारे मुख्य मंत्री जी की हालत बहुत बुरी है, वह कहते हैं कि हमारा इस्तीफा मंजूर कर लीजिये और श्रीमती इन्दिरा गांधी कहती हैं कि हमारे ऊपर वैसे ही बहुत सारे संकट हैं, और संकट में मत डालो, जाओ काम करो।

ये कहते हैं कि हम काम नहीं चला पा रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी बहुत ही भले व्यक्ति हैं। मैं इनको सलाह देता हूं कि आप श्रीमती इन्दिरा गांधी जी से इस्तीफे की बात मत कहिये, अगर आप सरकार नहीं चला सकते हैं, पार्टी

[श्री भीखा लाल—]

भी सरकार नहीं चला सकती हैं, तो इससे पहले कि कोई दूसरी बात हो जाय, आप अपना इस्तीफा लिख कर राज्य पाल को भेज दीजिये । लेकिन इस तरह से अस्थिरता का वातावरण न पैदा कीजिये, नहीं तो स्थिति यह होगी कि यह नौकरशाही समझेगा कि मुख्य मंत्री जी तो जाने वाले हैं और मुख्य मंत्री जी किसी सेक्रेटरी से फाइलें मांगा करेंगे और वह इनको फाइल नहीं देगा । यदि आप नौकरशाही में दोष पाते हैं तो सरकार को भंग कीजिये, इससे अपने को स्वतंत्र कीजिये परन्तु इस तरह अस्थिरता का वातावरण न पैदा कीजिये ।

इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुख्य मंत्री जी बहुत ही ईमानदार और मृदु भाषी हैं लेकिन उनकी यह मृदु भाषिता उनकी सहयोगी नहीं बन पा रही है । इस प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए खाली मृदु भाषी होना या ईमानदार होना या भलेमानुष होना पर्याप्त नहीं है । आपकी मंत्रिमंडल की टीम ईमानदार लोगों की हों और आपसे पूरी तरह सहयोग करें । क्या आपकी टीम में ऐसे लोग नहीं हैं या ऐसे लोग नहीं बैठे हैं जो डाकुओं को शरण देते हैं या जो डाकुओं और रिश्वतखोरों की पैरवी करते हैं ? कहते हैं कि रिश्वत ले ली है, न्याय मंत्री जी इसको माफ कर दीजिये और मुकदमा वापस ले लीजिये ।

मान्यवर, इस समय प्रदेश की हालत बहुत खराब है । कल मेरी राज्य मंत्री गृह विभाग, श्री राजेन्द्र त्रिपाठी जी से बात हो रही थी । उन्होंने कहा कि हमने बहुत भाग दौड़ करके यह काम किया है, उसका कुछ असर पड़ा है । मैंने उनकी इस बात की सराहना की कि आपकी भागदौड़ से पुलिस कुछ सक्रिय तो हुई, लेकिन मैं माननीय गृह मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी ग्राह मंत्री बन जायें । मैं कोई अपमानित करने के लिए नहीं कह रहा हूं । यह शब्द हमारी हिन्दू मैथालाजी में ग्राह और गज की एक कहानी में आता है । कहानी यह है कि एक गज पानी पीने जाता है और वहां उसका पैर ग्राह पकड़ लेता है । वह ईश्वर से अपना पैर छुड़ाने की प्रार्थना करता है तब ईश्वर उसका पैर ग्राह से छुड़वाते हैं और उसकी जान बच जाती है । गृह मंत्री जी, जो हमारी भ्रष्ट नौकरशाही है, सब को मैं नहीं कहता जो अराजक तत्व, बदमाश हैं, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, गरीबों पर हमला करने वाले जो हैं और मस्त हाथी की तरह समाज को रौंद रहे हैं, उनके आप पैर पकड़ लें ग्राह की तरह गरदन पकड़ते हैं । लेकिन जैसे उस समय सतयुगी भगवान गज की प्रार्थना पर दौड़ पड़े थे गज को छुड़ाने के लिए उसी प्रकार इन दुष्टों की प्रार्थना पर आपके पीछे बैठे हुए कलयुगी भगवान दौड़ पड़ते हैं और उनको छुड़ाने का पूरा प्रयास करते हैं । आप इस सम्बन्ध में इन भगवानों की बात ठुकराने का प्रयास करें ।

हमारे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मोनोपाली कायम हो रही है । परिवहन मंत्री जी से बात हुई, शासन ने फैसला किया कि रोडवेज की प्राइवेट बसों को भी, किसी भी प्राइवेट रूट पर अगर वह परमिट मांगें तो इंकार नहीं किया जायेगा, बहुत अच्छा फैसला किया, इससे छोटे व्यक्तियों को मदद मिलती, लेकिन मुझे आशंका थी कि यह लागू नहीं होगा । संविद की सरकार जिस समय थी उस समय के परिवहन मंत्री जी ने भी ऐसा ही आदेश निकाला था परमिट के बारे में तो जिनके पास पचास-पचास सौ-सौ गाड़ियां थीं वे ऐसा आदेश निकलते ही जितने भी परमिट की आवश्यकता उनको थी जल्द ही प्राप्त कर लिए और बाद में हाई कोर्ट जा कर स्टे ले आये थे इस बार भी इसी

प्रकार का स्टे प्राप्त कर लिया गया है इसलिए जो मोनोपली कायम हो रही है इसको तोड़ने की कोशिश करें ताकि जो छोटे ट्रांस्पोर्टर्स हैं उनको भी मौका मिले ।

एक और मोनोपली पिछले दो साल से कायम हो रही है। इक्साइज विभाग में कायम कर दिया है । हमारे इक्साइज के ठेके पहले नीलाम हुआ करते थे छोटे-छोटे ठेकेदारों को । एक एक दूकान उनको मिल जाती थी और अब होता है कि पूरे जिले की दूकानों की निलामी एक साथ होती है, लखनऊ शहर की सारी दूकानों का ठेका एक आदमी ले लेता है 50-60 लाख रुपये का । इतनी बड़ी रकम छोटा ठेकेदार लगा नहीं सकता ।

इस सम्बन्ध में अखबारों में भी निकला है कि नीलामी से पहले ही अधिकारियों को हथेलियां गर्म की जाने लगी हैं । इस तरह से जो मोनोपली कायम हो रही है उसको तोड़ने का प्रयास करें ताकि छोटे गरीब, मध्यम वर्ग के लोगों को जो रोजगार देना चाहते हैं वह उनको दे सकें और मान्यवर, समय थोड़ा है इसलिए डिटेल में नहीं जाना चाहता, बात और कहना चाहता हूं, वह बात चर्चा का विषय बन गयी है, और बराबर उसको उठाया जा रहा है कि पूरे देश में गवर्नर का पद सुपरफ्लूवस है । हमारे प्रदेश में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, गवर्नमेन्ट हाउस, जो लगभग आधे लखनऊ में बना है, इस में कोई स्कूल, इन्स्टीट्यूशन कायम किया जाये, इसके बजाय गवर्नमेन्ट हाउस में और नये कमरे बनाने के लिए करीब एक लाख रुपये का प्राविजन किया गया है । इस तरह के गलत फैसले करते जा रहे हैं, इस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई को आप बरबाद करते जा रहे हैं और जब कि हम संकट से गुजर रहे हैं।

इन 4 सालों से हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हुई है । हमारे कृषि प्रधान देश में कृषकों की स्थिति खराब है । आप किसानों का लगान माफ करने में आनाकानी कर रहे हैं लेकिन फिजूलखर्ची के मामलों में, ऐशोआराम की चीजों में तरह-तरह से खर्च कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये । इन शब्दों के साथ में इस सप्लीमेंटरी बजट का विरोध करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (मुख्य मंत्री)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, पहले तो मैं सतयुगी भगवानों को प्रणाम करके इतना ही कहना चाहता हूं कि हेलीकाप्टर पर चलो तो स्कूटर हो जाता है, तो इनको एतराज हो जाता है, पैदल चलो तो इनको एतराज है । भगवान सत्य तो बोलते ही हैं, दोनों बातें सत्य हों लेकिन इनके दोनों सत्यों में कभी सामंजस्य नहीं रहता है और यह सतयुगी भगवान ही कर सकते हैं इसलिए उधर के बैठने वालों को मैं सतयुगी भगवान जैसा मान लेता हूं । मैं कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं इस माननीय सदन के सामने । मेरठ हाईकोर्ट के सम्बन्ध में सदन में जिक्र आया था इस सम्बन्ध में गढ़वाल, कुमायूं, मुरादाबाद, बरेली, आगरा और मेरठ डिवीजन के अन्दर हाईकोर्ट की एक बेंच कायम हो, इसको मंत्रि-मंडल ने मान लिया है, और

(मेज थपथपाकर तालियां बजाई गईं)

उसका स्थान कहां हो, केन्द्र सरकार पर छोड़ दिया है कि वह निश्चित कर दें । मुरादाबाद के सेल्स टैक्स के बारे में माननीय रियासत साहब ने बात उठाई थी कि मैं आश्वस्त करता हूं कि सेल्स टैक्स के बारे में पूरी सुनिश्चितता के साथ विचार किया जायगा और यह केवल आश्वासन ही नहीं है इसका आप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--]

विश्वास रखिये कि जितना भी उसमें सम्भव है, वह पूरी की जायेगी। यह अवगत कराना कि मुरादाबाद की जो खामियां हैं वह पूरी नहीं हो सकती हैं और पैसा देकर मुरादाबाद के जख्म को दूर नहीं किया जा सकता है लेकिन फिर भी जो प्रयास किये गए हैं कि प्रत्येक मृतक के परिवार को पांच हजार से दस हजार रु0 की राशि बढ़े। साथ ही साथ 25 लाख छोटे-छोटे लोन देने के लिए भी प्राविधान है। इसके साथ ही नान फेरेस रोलिंग मिल के लिए एक करोड़ 79 लाख रु0 की योजना स्वीकार की गई है और 60 लाख रु0 सरकार ने कारपोरेशन को दे दिया है और शेष वह बैंक से पैसा एकत्रित करेंगे ताकि वह मिल जल्दी से कायम हो, यह प्रयास है।

यह हमारे जो भाई हैं, हमारी इस सरकार की प्रतिबद्धता है उनकी सुरक्षा के लिये और अगर ऐसी कोई अराजकता होगी तो जिस तरह से दस्युओं का दमन हो रहा है, उनका भी दमन होगा।

(मेज थपथपाकर तालियां बजाई गईं)

मान्यवर, उर्दू अकादमी की बात उठाई गई। उर्दू के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता है और यह बात सदन के सामने भी आ चुकी है उसके बाद उर्दू के प्रति सरकार की क्या नीति है या क्या कार्यक्रम है उसमें कोई आशंका प्रकट करने की गुंजाइश नहीं होती। इस सम्माननीय सदन में एक और घोषणा करना चाहता हूं कि हमारे डिग्री कालेज के अध्यापकों के सम्बन्ध में बात उठाई गई तो डिग्री कालेज के हमारे जो टीचर्स थे उनको अभी तक आवास भत्ता नहीं मिलता था, वह आवास भत्ता देने के लिए हम लोगों ने निर्णय ले लिया है।

(तालियां बजाई गईं)

मान्यवर, यह जिक्र आया था स्पेशल कोर्ट्स के बारे में। वस्तुतः इसपर राज्य सरकार संस्तुति ही दे सकती थी हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ने उसको मान लिया। यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आर्थिक अपराधियों के लिए कठोर से कठोर कदम उठाया जायेगा। इस सरकार ने केन्द्र सरकार को यह भी लिखा है कि समरी ट्रायल के पावर दिये जायें, जिससे यह जो बहुत बड़ा जाल है उसकी जड़ें हैं, उनको सक्षमता से काटा जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ जो सुझाव हैं, अच्छे सुझाव भी आये हैं, उनके लिए धन्यवाद देता हूं।

*श्री धरम पाल--

मान्यवर, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे समय दिया। किसी सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होती कि एक बजट के बाद दूसरा सप्लीमेंट्री बजट दे। मान्यवर, अक्सर देखा जाता है सड़क पर डमरू बजा कर इलाज करने वाले हकीम को सुनने के लिए अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है लेकिन बीमारी का निदान उस के पास नहीं होता। इसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही राय नहीं है । प्रदेश में वर्तमान मुख्य मंत्री जैसा व्यक्ति तो कोई दूसरा आया नहीं है और न आयेगा, लेकिन समस्याओं का निदान जिस प्रकार डमरू बजाने वाला नहीं कर सकता उसी प्रकार हमारे मौजूदा मुख्य मंत्री जी के द्वारा भी समस्याओं का समाधान होना सम्भव नहीं है । मान्यवर, दो सौ करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट यह अपने आप में अक्षमता का प्रमाण है सरकार के लिये । जिस सरकार का बजट मात्र बारह, तेरह सौ करोड़ रुपये का हो, मार्च के 14 दिन बीत चुके हैं, 16 दिन में इस सरकार ने प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का सब से अच्छा बहाना और तरीका ढूंढ़ लिया है ।

हमारे मंत्री यह कह रहे हैं कि हम बचत करना चाहते हैं । शान से प्रशासन चला रहे हैं । एक लाख कुछ हजार रुपये की माननीय विद्युत् मंत्री ने मांग की है अपने चहेते पर खर्च करने के लिये जिस को शक्ति भवन में आप ने बैठा रखा है । मैं क्या कहूं उन की रंगीनियों के बारे में । मान्यवर, यह व्यक्तिगत बात हो जाती है । व्यक्तिगत बातों में मैं जाना नहीं चाहता ।

(इस समय 1 बज कर 12 मिनट पर अधिष्ठाता श्री धर्म सिंह पीठासीन हुये) ।

प्रदेश की गाढ़ी कमाई लूटते हैं, आप देखें । मैं एक ही अनुरोध करूंगा कि मुख्य मंत्री जी का इस बारे में स्पष्ट आश्वासन होगा कि अपने मंत्रियों की ओर ध्यान दें, विभागों के खर्च पर रोक लगाई जाये । मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के इस पर क्या विचार हैं ? वह सदन को बतायेंगे । इस प्रदेश की गाढ़ी कमाई जिस प्रकार लूटी जा रही है आप ने देखा । इस बजट के अंदर 200 करोड़ का अनुपूरक मांग की गई है क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है बजट का 20 प्रतिशत मात्र 15 दिन के लिये मांग लिया जाय ? यह दिमाग का दिवालियापन नहीं है ? 15 दिन के लिए 20 प्रतिशत की मांग हो निश्चित रूप से यह रुपया भ्रष्ट अधिकारियों के जेब में जाने वाला है । आप का पेमेन्ट 31 मार्च को ही क्यों होता है ? दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में क्यों नहीं होता है चूंकि 31 मार्च को फन्ड लैप्स कर दिये जाते हैं । यह मेरा आरोप है ।

कहा जाता है कि हम अपनी सरकार का खर्च कम करेंगे । स्टेट मिनिस्टर्स को आप ने गाड़ी दी है, डिप्टी मिनिस्टर्स को आप ने गाड़ी दी है इस में हम को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मुख्य मंत्री के डिपार्टमेंट को छोड़ कर आप का कोई डिवीजन आफ वर्क नहीं है । स्टेट मिनिस्टर हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं । शिक्षा विभाग का स्टेट मिनिस्टर हो, पी0 डब्लू0 डी0 का स्टेट मिनिस्टर हो, डिप्टी मिनिस्टर हो, किसी के पास कोई काम नहीं है । जो उनके अधिकार होने चाहिये थे वे अधिकार उनको नहीं दिये गये हैं । तीन महीने हो गये हैं उनको नियुक्त किये हुये लेकिन काम का बटवारा नहीं किया गया है क्या अधिकार है आपको ऐसे मंत्रियों को....

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय धरमपाल जी ने स्टेट मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स के काम के बंटवारे के बारे में जिक्र किया है । मैं समझता हूं कि उनको पूरी जानकारी नहीं है । ऐसा कर दिया गया है कि हर विभाग में विस्तृत रूप से हर मंत्री को बता दिया गया है कि किस मंत्री को क्या कार्य करना है । इसलिये सम्मानित सदस्य पहले जानकारी प्राप्त कर लें और फिर ऐसी बात कहें ।

श्री धरम पाल—

मान्यवर, आपने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है लेकिन पी0 डब्लू0 डी0 के जो डिप्टी मिनिस्टर हुआ करते थे तो उनके पास जूनियर इंजीनियर्स का सारा

[श्री धरम पाल--]

मसला होता था उनको सारो पावर्स को विदड्रा कर दिया गया है । इसका स्पष्टीकरण मंत्री जी से दिलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपा कर अपना भाषण जारी रखें ।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेनी--

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं यह सप्लीमेंटरी बजट पर बोल रहें हैं अथवा मंत्रियों के विभाग के बंटवारे पर बोल रहे हैं ।

श्री धरम पाल--

चूंकि आपने खर्चा मांगा है उसको प्रशासन चलाने में किस तरह से चलायेंगे, इसलिये उसी पर मैं बोल रहा हूं । इसके अतिरिक्त कुछ और उदाहरण देना चाहता हूं । यह सरकार किसानों की मसीहा अपने को कहती है । किसान रैली के नाम पर भत्तों पर सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है । 1 बजे पहुंचने की सूचना देते हैं और 4 बजे जाने की सूचना देते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि कोई मंत्री 1 बजे रात से 4 बजे रात तक कौन से सरकारी काम का निपटारा करता है, कौन सी मीटिंग करता है ? बहराइच जनपद में अनेक मंत्री आये और 1 से 4 बजे रात में सत्ता पक्ष के विधायक, जिलाधिकारी, ट्रांसपोर्ट के अधिकारी और एस0पी0 से बातचीत हुई । इससे स्पष्ट है कि सरकारी कोष का दुरुपयोग किसान रैली में किया गया है । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट की घोर निन्दा करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सप्लीमेन्टरी बजट का हार्दिक समर्थन करता हूं । मान्यवर, इस प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है, कि सन् 1977 से लेकर सन् 1980 तक इस प्रदेश में एक ऐसी सरकार रही है, जिसको यह कहना ज्यादा उचित होगा कि कोई सरकार नहीं थी । मान्यवर, 1977 से 1980 तक इस प्रदेश में ऐसी स्थिति हो गयी थी, कि हर विभाग का ढांचा चरमरा गया था और एक ऐसी पार्टी शासन में आ गयी थी, जो अपनी पार्टी में ही अनुशासन नहीं कर पाती थी, वह पार्टी प्रदेश का क्या शासन चलायेगी । उसी का प्रतिफल यह है कि आज इस शासन को उसके सुधार के लिए भगीरथ प्रयास करना पड़ रहा है । उस समय किस तरह से पैसा फूंका गया है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी हाल ही में प्रस्तुत त्रैयलिंगम कमेटी की रिपोर्ट से जाहिर होता है । तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के दामाद होने के नाते उन्होंने इतनी बड़ी जमीन. .

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठें । जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं यहां उसका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार--

लेकिन हमारी सरकार ने जैसे ही शासन सत्ता सम्भाली....

श्री त्रिवेनी--

मुरादाबाद कहा जा सकता है तो रिपोर्ट भी कही जा सकती है ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

वैद्यलिंगम कमेटी की रिपोर्ट इज रिकार्डेड ऐज पब्लिक डाक्युमेन्ट । इसलिए यह कहा जा सकता है ।

श्री मोहन सिंह--

एक व्यवस्था का सवाल है । काशीनाथ जी ने....

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार--

यह आपका कमजोर पहलू है इसलिए और कोट नहीं कर रहा हूं । उत्तर प्रदेश में कांग्रेस (आई0) द्वारा शासन सम्भालने के बाद इस सदी की सबसे भयंकर बाढ़ आई जिसका इतिहास में कोई साम्य नहीं पायेंगे और उसके नतीजे ऐसे लगते थे कि शायद हम इससे उबर नहीं पायेंगे लेकिन हमारे शासन ने जो कदम उठाये उसका नतीजा आप सब देख सकते हैं कि प्रदेश में रबी की फसल लहलहा रही है अन्यथा ऐसा लगता था कि हमारे खेत बंजर पड़ जायेंगे और हम पनप नहीं पायेंगे उसमें पैसा खर्च हुआ और आज इस प्रदेश को एक ऐसा आदमी मिला है तो प्रगति के मार्ग में लाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है ।

मान्यवर, हेलीकाप्टर की बात आई कि उसका दुरुपयोग हो रहा है । मैं माननीय मोहन सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं कि उनके समय में उनका एक साथी गोरखपुर में घायल पड़ा हुआ था उसको यहां लाने की जरूरत थी लेकिन उसको वह नहीं मिल पाया और उनके एक उच्च नेता उसको लेकर एक तांत्रिक से मिलने के लिए सतना गए हुए थे और उनके साथी ने जान खो दी । तो आज उसी जहाज और हेलीकाप्टर का दुरुपयोग इसलिये नहीं हो रहा है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करने के लिये पुलिस को दे दिया गया है । माननीय मोहन सिंह जी मुस्करा रहे हैं, जो इस बात का साक्षी है क्योंकि वह कटिबद्ध बात काट नहीं पा रहे हैं ।

मान्यवर, हमारे यहां जो शासन व्यवस्था है इसके सामने बड़ी चुनौतियां आई हुई हैं आपकी विपक्ष शासन व्यवस्था ने ऐसा शून्य डाल दिया था उसे हमें सुधारना है और सवारना है । इस प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक ऐसा मुख्य मंत्री मिला है, जो केन्द्र से उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा हिस्सा लाने के लिए कटिबद्ध है और उसका केन्द्र में रहना काम आ रहा है ।

इस प्रदेश में और देश में एक प्रयास किया गया कि किसी प्रकार साम्प्रदायिक तनाव फैले लेकिन इस सरकार की कार्यकुशलता का यह प्रमाण है कि उनकी हर कोशिशों के बावजूद दंगे 4, 5 जिलों से ज्यादा नहीं फैल पाये और स्थिति यह हुई कि ईद के बाद जब दिवाली आई तो लोग भूल गये कि कभी साम्प्रदायिक दंगे भी यहां हुये ।

[श्री प्रमोद कुमार--]

आज स्थिति यह है कि हम बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था और बिगड़ी हुई अर्थ व्यवस्था को सम्भालने के लिए कटिबद्ध होकर प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं समझता हूं कि विरोधी दलों के लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि सप्लीमेन्टरी बजट आवश्यक है, उचित है तो जो उनके दिल में है उसे जबान पर भी लायें। इसका समर्थन करते हुए कि हमारी सरकार उनकी की गई गलतियों को दूर करना चाहती है उसमें वह हमारी मदद करें।

*श्री हुकम सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, मैं ज्यादा लम्बा चौड़ा भाषण न देकर चन्द शेर जो मेरे पास है वही पेश करना चाहता हूं इस लूली लगड़ी सरकार की सेवा में और वहीं अभिव्यक्ति है यहां के साधारण नागरिकों की--

क्या कहूं दिल पे क्या गुजरती है,
तेरे कूचे से जब गुजरता हूं,
रहजनों का तो खौफ नहीं,
रहबरो से मगर डर लगता है।

यह दशा है आपके प्रशासन की और यह हालत है आपकी पुलिस की। आज उतना डर डकैतों से नहीं है जितना यहां के पुलिस से है कि न जाने कब पकड़ कर ले जायें और इनकाउन्टर दिखा दे और खत्म कर दें। इसके साथ ही दूसरा शेर है--

ऐ आसमां तेरे खुदा का इतना खौफ नहीं,
पर ये जमीं तेरे बन्दों से डर लगता है।

श्री अम्मार रिजवी--

श्री हुकुम सिंह जी की बात पर एक शेर मुझे भी याद आता है--"इस सादगी पर कौन न मर जाए, लड़ते हैं पर हाथ में तलवार नहीं।

श्री हुकम सिंह--

अम्मार साहब तो हमारे पुराने मित्र हैं और तलवार की उनको जरूरत क्या है, जो उनके अन्दाज और अदायें ही काफी है। 'सितमगर तुमसे उम्मीदे वफा होगी, जिन्हें होगी, हमें देखना यह है कि तू जालिम कहां तक है।'

एक सदस्य--

यह शायरी आप कहां से ले आए?

श्री हुकम सिंह--

यह सब दरे-दीवार लिखा हुआ है और यह आपके कारनामें पैदा कर रहे हैं। हमें खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री ने हाईकोर्ट की बेंच के बारे में थोड़ा सा मुंह खोला है, लेकिन इस बात को इतना उलझा दिया है यह कहकर कि केन्द्र की सरकार पर यह छोड़ दिया गया है कि यह बेंच कहां खुलेगी। यह तो एक बड़ी चीज को बहुत छोटे और हल्के तरीके से टालने की बात है। क्या यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश सरकार की शक्ति में नहीं है कि वह खुद प्रदेश के किस मंडल में, किस जिले में खंड पीठ की स्थापना करना चाहती है, इसको जोर देकर कहें ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपनी सिफारिश में साफतौर पर यह लिखें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किस नगर में खंडपीठ की स्थापना चाहते हैं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

आपकी क्या सलाह है, आप सुझाव दे दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने सुझाव मांगा । सुझाव मेरा साफ है, उस पार्टी के मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने जिस स्थान का सुझाव दिया था, उसी स्थान पर खोलने के लिए नाम देने में आपको क्या दिक्कत है । इस सुझाव में आपको कोई परेशानी नहीं है ।

श्री त्रिवेनी--

आप अपने जिले का नाम बताएं, जहां आप हाईकोर्ट की बेंच चाहते हैं ।

श्री हुकम सिंह--

इसमें कोई किसी किस्म की बाधा नहीं है, आप किसी जनपद में खोलें तमाम उत्तर प्रदेश में जो वकीलों और जनता ने आन्दोलन किया, बड़े-बड़े प्रदर्शन किये, वे साफतौर पर मेरठ में चाहते हैं । तो आप साफतौर से केन्द्र सरकार से क्यों नहीं कहते हैं कि मेरठ में उस खंडपीठ की स्थापना की जाए ?

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल--

आप यह कह कर आपस में झगड़े पैदा कराना चाहते हैं ।

श्री हुकम सिंह--

सुलहकुल के नाम पर आज भी चर्चा हुई और दूसरे साथियों ने जिक्र किया । लाखों रुपया सुलहकुल के नाम पर खर्च किया गया और उससे उपलब्धि क्या हुई । कितना सुलहकुल यहां पर बन सका ? क्योंकि जिस दिन आगरा में यह जश्न मनाया जा रहा था, उसी दिन मुरादाबाद में खून-खराबी हो रही थी । आप यहां की जनता के एक अंग हैं, इस चीज को आप देखें, तो जिन लोगों की देखरेख में मुरादाबाद में खून-खराबी हुई है उनको क्या कहेंगे ? मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वह एस० एस० पी० जिसको आपने इस कारण से हटाया कि हजारों बेगुनाह मुसलमानों का खून उसने बहवाया, यह उस पर आरोप था, लेकिन उसी को आपने कानपुर का एस० एस० पी० तैनात कर दिया है । हमारे सामने दो समानान्तर बातें हैं । एक एस० एस० पी० को हटाया जाता है, एक आई० पी० एस० मंजूर अहमद को इस कारण से हटाते हैं कि वह वहां शान्ति व्यवस्था कायम नहीं कर सका । दूसरे विजय नारायण सिंह को भी इसी कारण से आप हटाते हैं, वह अपने यहां शान्ति व्यवस्था स्थापित नहीं रख सका और वह बेगुनाहों का खून बहाने का दोषी था, लेकिन आप उनको पोस्टिंग दे देते हैं ।

[श्री हुकम सिंह--]

मान्यवर, मैं तो समझता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी जिन संस्कारों में पले और जिनकी वे बातें करते हैं उनसे ऊपर उठेंगे लेकिन जात-पांत की दीवार खड़ी करके, सुलहकुल जैसा काम करके आप यहां पर कोई अमन कायम नहीं कर सकते हैं, अपने कारनामों से ।

अभी यहां पर किसान रैली की बात कही गयी लेकिन क्या आपने कभी अपने साथियों की बात को देखा ? मुजफ्फरनगर के खेलकूद मन्त्री हैं, वन विभाग तो उनसे ले लिया गया है, मैं नहीं समझता हूं कि वे क्या निर्माण कर रहे हैं लेकिन उनका एक नक्शा अवश्य देखा कि जिस समय किसान रैली निकल रही थी तो वे जी0 टी0 रोड पर कुर्सी बिछा कर बैठ गये थे और जितने भी ट्रक्स और बसेज वहां से निकलती हैं उन पर पोस्टर्स लगा देते थे कि "किसान रैली विद्या भूषण के सौजन्य से ।" किसान रैली तो श्रीमती इंदिरा गांधी के सौजन्य से हो रही थी न कि इनके सौजन्य से । यही नहीं सर्किट हाउस में हमारे कांग्रेस के एक विधायक और एक मन्त्री ने जिस शिष्टता का अधिकारियों के बीच में परिचय दिया वह एक मिसाल बन जाता है । यदि वे अधिकारीगण बीच में पड़कर इन दोनों को अलग-अलग न कर देते तो ये खेल-कूद मंत्री खेल-कूद की अपनी जानकारी का परिचय वहां पर दे देते ।

*श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, मैं वर्ष 1980-81 की द्वितीय अनुदानों का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ मुझे आश्चर्य है कि हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने और खास तौर से विरोध पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनकी यहां पर चर्चा करना मैं आवश्यक समझता हूं ।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि टेलीफोन, हेलीकाप्टर और बंगलों की साज-सज्जा की क्या जरूरत है । आज दुनिया के लोग अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं । दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है कि अगर हम यहां से लन्दन में किसी व्यक्ति से बात करना चाहें तो कर सकते हैं । मुझे पता नहीं कि हमारे विरोध पक्ष के भाई इतना पीछे क्यों जाना चाहते हैं । आज की दुनिया में वे इन भूलों को अपने ऊपर सार्थक सिद्ध न किया करें । आखिर टेलीफोन का आविष्कार क्यों हुआ ? उसका प्रयोग क्या है ? शासन इतने बड़े राज्य की सत्ता को सम्भालने के लिए अगर कहीं पर टेलीफोन करता है तो आपको क्या परेशानी है ? कौन सा देश है, जिसमें हैलीकाप्टर्स व वायुयानों को केवल अजायबघरों में रखने के लिए बनाया जाता है ताकि हम केवल उनके दर्शन कर सकें ? उनका आविष्कार ही इसलिए हुआ था कि हम उनका प्रयोग कर सकें । उत्तर प्रदेश 58 जिलों का प्रदेश है । दुनिया में न जाने कितने ऐसे मुल्क हैं, जो हमारे प्रदेश से क्षेत्रफल में कम हैं और उनकी जनसंख्या भी यहां से कम है । जब यह प्रदेश इतना बड़ा है तो यह आवश्यक हो जाता है कि इन चीजों का उपयोग करें । अगर आपने 301 की नोटिस दी है या आपने कोई अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछे हैं तो आप ही बतायें कि किस माध्यम से सूचना प्राप्त करके उनके उत्तर दिये जा सकें । आप ही बतायें कि क्या हमारे यहां पर टेलीफोन की आवश्यकता होती है या नहीं ? अगर आज कोई भी वारदात कुमायूं या गढ़वाल में हो जाती है तो वहां पर शीघ्रातिशीघ्र पहुंचने के लिए क्या हेलीकाप्टर की आवश्यकता है या नहीं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आखिर ऐसा आजकल कौन सा माध्यम है कि जिसके द्वारा एक घंटे में आवश्यकता पड़ने पर अल्मोड़ा पहुंचा जा सके या बलिया जाया जा सके ? सदन में किसी बात को कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब उसे अपने चरित्र पर स्वयं चरितार्थ करते हैं तो दिक्कत होती है । श्री मोहन सिंह जी ने कहा कि इतने टेलीफोन का इस्तेमाल किया गया, इतने हेलीकाप्टर का इस्तेमाल किया गया, आखिर यह हैं किसलिये ? हम इनका इस्तेमाल जानते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उनका इस्तेमाल करते हैं, मैं यह नहीं समझ पाया कि आखिर उनकी कल्पना क्या है ? सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश इंगलैंड की संसद में आज भी प्रतीक के रूप में लालटेन जलती है, पर क्या वहां पर आधुनिक आविष्कारों का प्रयोग नहीं किया जाता ? किया जाता है । आज दुनिया तो तेजी से आगे बढ़ रही है, यह विरोध पक्ष हमको पीछे ले जाना चाहता है । वे चाहते हैं कि जो नये–नये आविष्कार हो रहे हैं उनका हम उपयोग न करें । जहां अपेक्षित होगा हम उसका प्रयोग करेंगे ।

मान्यवर, यह इस प्रदेश का सौभाग्य है कि इस प्रदेश में पहले जहां लाखों का बजट बनता था आज उसकी जगह हम अरबों रुपयों का बजट खर्च करते है, क्या यह उन्नति का प्रतीक नहीं है ? दस्यु दमन के लिये हमें आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करना आवश्यक होता है । बुन्देलखंड जैसे सुदूर इलाकों में, कोई दुर्घटना होने पर, अगर तुरन्त हमें जाने की आवश्यकता है तो उसके लिये हेलीकाप्टर का प्रयोग उचित कहा जायेगा । पर उपदेश कुशल बहुतेरे । मैं सरकारी कर्मचारियों का हिमायती नहीं हूं, पर सरकारी कर्मचारी भी हमारे शासन का एक अंग हैं, हमें यह बात नहीं भूलना चाहिये । कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों में अवगुण हो सकते हैं, पर सब पर वह लांछन लगा देना, सब पर दोषारोपण कर देना उचित नहीं है । उससे ईमानदार कर्मचारियों को चोट पहुंचती है । इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री ऊदल––

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आज पहली बार उन्होंने इस माननीय सदन का, बहुत नहीं, जनरल बजट पर नहीं, सप्लीमेंटरी बजट पर ही, सम्मान किया। श्रीमन् हमारे सत्तारूढ़ दल के भाई कहते यह हैं कि सुझाव कुछ नहीं है । मैं आप से एक सैद्धांतिक सवाल उठाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस बात को सुन लें और अगर उस पर कोई अंकुश हो सकता हो, कोई नियंत्रण हो सकता हो, तो उसको किया जाय और न करने की वजह से आज ही नहीं, यह हमेशा से परम्परागत वित्तीय अनियमिततायें चल रही हैं । यह एसी परम्परायें पड़ गयी हैं कि वित्तीय अनियमितायें बड़े पैमाने पर हो रही हैं और वित्तीय नियमों का पालन न करने की वजह से यह एक्सेस जो अभी इसी बजट में, आज ही 74–75, 75–76 और 76–77 में, इसको जो पी0 ए0 सी0 के द्वारा समायोजित किया गया है, उसमें आप अगर देखेंगे, मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री भी देखें और वित्त मंत्री जी की विशेष जिम्मेदारी है कि उसको देखें और वित्त विभाग देखे कि उसमें वित्तीय नियमों का उल्लंघन हो रहा है, नियमों का उल्लंघन यों हुआ कि हमारा विधान मंडल जो स्वीकृत करता है उसी के अन्तर्गत विभागों को खर्च करने की या सरकार को खर्च करने की जिम्मेदारी है ।

[श्री ऊदल--]

अगर विधान मंडल को कोई पास करके, वित्तीय नियमों का उल्लंघन करके ऐक्सेस खर्च किया जाता है, तो वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है। इसको कैसे रोका जा सकता है। मैं यह सैद्धांतिक प्रश्न उठाता हूं और बात यह है कि यह मार्च का महीना है। आप भी श्रीमन्, लोक लेखा समिति में अब भी हैं, पहले आप वित्त मन्त्री भी रह चुके हैं कि मार्च का महीना है, हम दो सप्लीमेन्टरी बजट दे रहे हैं और आखिरी मार्च में श्रीमन्, एक हफ्ता मार्च रह जायगा, तब श्रीमन् कितने करोड़ रुपये का आहरण किया जायगा, श्रीमन्, क्या शासन के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी आपकी जानकारी में यह बात कहना चाहता हूं कि 31 मार्च को दो बजे रात तक बैंक खुले रहेंगे रुपये का आहरण किया जायगा और परसनल खातों से, व्यक्तिगत मदों और बहुत सा धन तो हमारा लैप्स हो जाता है। मैं जानना चाहता हूं और मैं आश्वासन चाहता हूं आप से कि क्या यह सरकार, वित्त मन्त्री जी, वित्त विभाग और माननीय मुख्य मन्त्री जी वित्तीय नियमों का अनुपालन करेंगे कि नहीं ?

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर वित्तीय नियम हमारे ऐसे हैं कि जिनकी वजह से काम करने में बाधा हो रही है, मैं इस राय का हूं कि अगर वित्तीय नियम कहीं बाधक हों, तो उसका संशोधन किया जाय, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम शासनतंत्र के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। मैं श्रीमन्, उसी के साथ-साथ यह बात भी कहना चाहता हूं कि करोड़ों-करोड़ों का घपला हो रहा है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि जहां इस तरह के अपराध होंगे, आर्थिक अपराध, उनका जैसे दस्युओं का दलन ये कर रहे हैं, उसी तरह से उनका दलन किया जायगा। बड़ी अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि पी० ए० सी० की और दूसरी कमेटियों की और कुछ आयोगों की रिकमेन्डेशन मंगा कर पढ़ें। करोड़ों रुपया अनियमित तरीके से खर्च हो जाता है। उसके ऊपर कैसे प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। न उसका एस्टीमेट बनता है, न सर्वे होता है, न नक्शा तैयार होता है, न डिजाइन तैयार होती है, नतीजा यह होता है कि बड़ी-बड़ी योजनाओं का पुनरीक्षण करना पड़ता है। लाखों का खर्चा बढ़ जाता है। सरकार अगर योजना बनाना चाहती है तो टाइम बाउन्ड प्रोग्राम होना चाहिए, डिजाइन डायरेक्ट्रेट मजबूत होना चाहिये, उसका नक्शा तैयार होना चाहिए। बार-बार पुनरीक्षण न करना पड़े, इसके लिये टाइम बाउन्ड प्रोग्राम बना कर, जो लोग पूरा नहीं करते, उनके ऊपर सख्ती से कार्यवाही करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि सरकार सोचे और कार्यवाही करे।

आज प्रदेश की शांति और व्यवस्था की हालत खराब है। अब भी मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपको बधाई देना चाहता हूं, बेहमई कान्ड के ऊपर मैंने आपकी आलोचना नहीं की, सुझाव ही दिये। मैं चाहता हूं कि उसमें कुछ और सक्रियता लाने की जरूरत है और भारत सरकार से इसमें मदद लेने की जरूरत है। मैंने अखबारों में पढ़ा कि मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री से राजस्थान के मुख्य मन्त्री से आप मिले, कुछ आपने योजनायें बनायीं, लेकिन यह अन्तर्प्रान्तीय मामला है, जब तक भारत सरकार का सहयोग इसमें नहीं होगा, तब तक यह नहीं होगा।

भारत सरकार से भी रुपया लेने की जरूरत है। अरबों रुपया खर्च होगा जमुना की घाटी में, जो बीहड़ है, जहां डकैती डालते हैं उन बीहड़ों को ठीक करने की

जरूरत है । उसको समतल बनाने में करोड़ों अरबों रुपया खर्च करना पड़ेगा तब जा कर आप वहां के निवासियों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और उनकी स्थिति को भी सुधार सकते हैं । पूरब में भी डकैती का जोर बढ़ रहा है । अभी 4-5 मार्च को रात में गांव चरयें, थाना फूलपुर, वाराणसी में डकैती पड़ी 3 व्यक्तियों को गोली से उड़ा दिना गया और हजारों रुपया लूट लिया । इसी प्रकार, गांव मानिकपुर, थाना भदोही में भी 3 व्यक्तियों को गोली से उड़ा दिया और हजारों रुपया लूट लिया । आप देखें, आप एलान करते हैं, मैं कहता हूं कि जहां के एस० एस० पी०, एस० पी० और थानेदार अक्षम हों, तो ऐसे व्यक्तियों को दण्डित किया जाना चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ चाहता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं, सरकार उस पर विचार करे ।

*श्री ध्रुवराय--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट जो आज हमारे सामने आया है, इस सन्दर्भ में मैं आपका ध्यान उस मूल बजट की ओर आकर्षित करता हूं, जो 2,769 करोड़ 90 लाख रु० का है और जिसमें 82·90 करोड़ रुपया घाटा दिखाया गया है । घाटे के बजट का मतलब होता है प्राइस पर कन्ट्रोल करना और स्टेगनेशन की स्थिति से दूर हटाना । 10 करोड़ रुपया ग्राम्य विकास की तरफ अधिक दिया गया है और 14 करोड़ रुपया पहाड़ी इलाकों के विकास की तरफ अधिक खर्च किया गया है । 329 करोड़ रुपया प्लान आउट ले और 114 करोड़ रुपया नान-प्लान आउट ले की तरफ है । यह बजट हमारे चतुर्मुखी विकास की ओर संकेत करता है । पी० डब्लू० डी०, इन्डस्ट्री सिंचाई विभाग और उद्योग विभाग का मान्यवर, यह जो हमारा मूल बजट है वह हमारे चहुंमुखी विकास की तरफ से 54 टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट और अन्य उद्योग की तरफ तथा हमको विकास की तरफ ले जा रहा है । अभी मान्यवर, हमारा जो उद्देश्य है वह चौमुखी विकास है । अभी विरोध पक्ष के माननीय सदस्य ने बताया था कि 7,20,000 रुपया मुरादाबाद में खर्च होने जा रहा है चूंकि नया डिवीजन बनने जा रहा है । 2 लाख रुपया ज्ञान और विज्ञान की कान्फ्रेन्स में खर्च हुआ । इससे ज्ञान, विज्ञान और महाविज्ञान तीनों उद्देश्यों में प्रगति हुई है । विकास के लिये यह चीजें जरूरी है क्योंकि बिना ज्ञान-विज्ञान के कोई कदम आगे नहीं बढ़ सकता है और इसकी खिलाफत करना विकास में रुकावट डालना है । हमारी टेक्नालोजी, औद्योगीकरण, सिंचाई की प्रगति इन्हीं बातों पर आधारित है । यह बजट की रकम उसी में वितरित हुई है । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से विरोधी पक्ष के सदस्यों से कहूंगा कि ग्राम्य विकास की तरफ अपना सहयोग दें । आपको मालूम है कि हमारा प्रान्त सबसे पिछड़ा है उद्योग में । उद्योग में जितनी प्रगति करनी चाहिये थी वह हम नहीं कर पाये हैं, इसका कारण जो भी रहा हो परन्तु हमारी नीतियों की तरफ हमारे विरोध पक्ष को चाहिए कि उसमें वह अपना सहयोग दें ताकि यह प्रान्त आगे बढ़े और विकास कर सके । इन शब्दों के साथ में इस अनुपूरक बजट का समर्थन करता हूं ।

[समय 1 बज कर 52 मिनट]

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । इस बजट में पहाड़ों के ऊपर जो कृपा दृष्टि की गयी है उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, मेरा जिला टेहरी गढ़वाल है । वहां आजादी से आज तक एक भी जूनियर हाई स्कूल या बेसिक विद्यालय के भवनों के निर्माण सरकार ने नहीं किया है । आजादी से आज 33 सालों के बाद भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री विद्यासागर नौटियाल--]

हमारे जिले में ऐसा उद्योग नहीं लगा हुआ है, जिसमें स्थानीय लोगों को काम मिले। मान्यवर, टेहरी बांध के अन्दर हजारों लोग काम करना चाहते हैं लेकिन हमारे जिले के लोगों को काम उसमें नहीं मिलता है। अभी 5 तारीख की रात को एक स्थानीय चालक के मलद्वार में गरम सलाखें घुसेड़ कर उसको कत्ल कर दिया गया और अभी तक सरकार की ओर से इस कान्ड के बारे में न कोई कार्यवाही की गयी है और न कोई गिरफ्तारी हुई बल्कि उल्टे जनता के खिलाफ पी0 ए0 सी0 और दफा 144 लगा दी गयी है। टेहरी बांध में काम करने वाले मजदूर यूनियन के नेताओं को 8 तारीख की रात को ऋषिकेश में सामूहिक तौर से गिरफ्तारियां हुई।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह सरकार तो जनकल्याण की बात करती है लेकिन टेहरी बांध के अन्दर मनेरी भाली के अन्दर पहाड़ों में बनने वाले बांध में किसका भला किया जा रहा है। हमारे वित्त मन्त्री बैठे हैं, वह विद्युत मन्त्री भी हैं, वह राजा राम के पड़ोस में बैठे थे, मुझे उम्मीद थी कि वह भरत का रूप धारण करने वाले हैं, शायद खड़ाऊ लेकर राजगद्दी की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आपकी योजनायें चल रही हैं उनमें क्या यह सच नहीं है कि हिन्दुस्तान के इजारेदार घरानों को प्रश्रय मिला है ? वह चाहे हिन्दुस्तान कांस्ट्रक्शन कम्पनी हो या थापर हों या बिरला हों, यह पहाड़ों को पूरा खा गये और सरकार ने उनको इजाजत दी कि यह पहाड़ों को लूटें और रौन्दें।

मान्यवर, वन विभाग का बजट पेश हुआ मैं उस समय बोलने का मौका नहीं पा सका। हमारे पर्वतीय विकास मन्त्री ने कहा कि 2 हजार 750 मीटर तक कटाई होगी उसके ऊपर कटाई नहीं होगी। 2 हजार 750 मीटर के ऊपर जंगल नहीं होता दूसरे दिन जब मैंने माननीय मुख्य मन्त्री से कहा कि 2 हजार 750 मीटर के ऊपर जंगल नहीं होता है तो मुख्य मन्त्री ने कहा आपने गलत सुना होगा यह 2,750 फुट है मीटर नहीं।

मैं शुरू से अन्त तक उनका भाषण सुनता रहा, मैंने गलत नहीं सुना। जो हमारे पर्वतीय विकास मन्त्री, वन मन्त्री बन कर बोलने आये थे पर्वतीय विकास से निर्वसन लेकर। मन्त्री जी को नहीं मालूम कि 2 हजार 750 मीटर है या 2 हजार 750 फुट है। मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को जितना ज्यादा इस सरकार ने नष्ट किया है उतना कभी भी नष्ट नहीं हुआ। मेरी एक भी चिट्ठी ऐसी नहीं है, जिसे सी0 आई0 डी0 वाले न खोलते हों और जो समय से मिलती हो। मैं दिखा सकता हूं मेरे पास ऐसी भी चिट्ठियां हैं, जिसे खोलकर पत्र और लिफाफे पर साथ मुहर लगा दी गई और फिर बन्द कर दिया गया। मान्यवर, चमोली के अन्दर सुदर्शन कठैत, मार्कसवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। गोपेश्वर के अन्दर हथकड़ी लगा कर उनको घुमाया गया यह हादसा 9 तारीख का है।

मान्यवर, एक मात्र चीज इस सरकार की पहाड़ों की देन है वह यह है कि पिछली सरकार ने दारू बन्द कर दी थी इस सरकार ने दारू नहीं खोली लेकिन आज हर पहाड़ी शहर के अन्दर 2-2, 3-3 दुकानें संजीवनी सुरा की खोल दी गई है और यह कहा जाता है कि इसमें पर्वतीय विकास मन्त्री जी का हाथ है। मान्यवर, कोटद्वार, श्रीनगर, पौड़ी, पीपल, कोठी, जोशीमठ में जो दुकानें हैं, जब हम पुलिस वालों से कहते हैं क्यों नहीं इनको बन्द करते हैं तो यह कहा जाता है यह लखनऊ से आर्डर लेकर आते हैं। पहाड़ के अन्दर ड्राई कहते हैं लेकिन ड्राई नहीं है। पहाड़ों में कस कर मदिरा बेची जा रही है। इन शब्दों के साथ पुनः कृतज्ञता प्रगट करता हूं।

*डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय मुझे अनुपूरक अनुदान पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, श्याम नारायण पांडेय की एक लाइन मुझे याद आती है हल्दीघाटी की--

निर्बल बकरों से बाघ लड़े, भिड़ गये सिंह मृग छवनों से,

हाथी पर हाथी टूट पड़े, पैदल बिछ गये बिछवनों से ।

सदन में बैठे हुये प्रजातन्त्र की दुहाई देने वाले हमारे सम्मानित सदस्य विरोध के नेता मोहन सिंह प्रजातन्त्र और लोकतन्त्र की चर्चा हमारे सामने नित्य करते हैं । लेकिन दुख की बात है । अनुपूरक बजट ऐसा है, जब खर्च बजट से आगे बढ़ता है तो यह प्रजातन्त्र का जो ढांचा है, जिसके तहत यह बजट आता है उसकी रूप रेखा कोई दूसरी नहीं हो सकती है इस सदन के सामने अनुपूरक बजट रखा गया है और विरोध पक्ष के सदस्य इसको पास करना चाहते हैं लेकिन सिद्धान्त रूप में इसका विरोध करते हैं इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है । मान्यवर, अभी माननीय मोहन सिंह ने अपनी जबान से स्वयं कहा, वह हमारे जनपद से ही बिलांग करते हैं और एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं संयोग से मन्त्री भी रहे हैं । सारी सुविधाओं को प्राप्त करने के बाद, उन सारे ऐशो आराम को भोगने के बाद उनको यह बात आज दोहरानी पड़ गयी, अपोजीशन में बैठे हैं उनको कहना ही पड़ा । मंत्रियों को क्या सुविधा है । यहां बैठे हुये विधायक भी जानते हैं । मंत्री को उन तमाम चीजों की जरूरत है, अगर मंत्री के पास टेलीफोन न हो, अगर मंत्री के पास साधन न हों, अगर मंत्री के पास वाहन न हो तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की 11 करोड़ जनता की रक्षा वह कैसे कर सकते हैं । इसलिये इन चीजों की मंत्रियों को आवश्यकता है ।

मान्यवर, 'नेसिसिटी इज दि मदर आफ इन्वेंशन । आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है इसको सबको मानना होगा । अगर हमें 100 रु0 बजट के माध्यम से खर्च करने के लिये दिया गया और 110 खर्च हो गया तो हमको बाध्यता है, हमारी मजबूरी है कि सदन के सामने उस 10 रुपये की मंजूरी लेनी होगी यह प्रजातन्त्र का तकाजा है और उसी के नाते अनुपूरक बजट को प्रस्तुत किया है । मान्यवर, अभी बाबू मोहन सिंह जी बोल रहे थे मोहन सिंह जी पढ़े लिखे आदमी हैं, रात भर खोजते हैं, दिन भर खोजते हैं और सुबह को यहां बरस जाते हैं एक बात उन्होंने कही कि मुख्य मन्त्री के आवास पर डेढ़ लाख या एक लाख रुपया खर्च किया गया है । मान्यवर, वह पुराने सदस्य हैं, ऐसा नहीं हैं कि एक दम से आकर सदन में बैठ गये हों, छात्र जीवन से उनकी राजनीतिक जिन्दगी रही है । उनको अनुभव है कि जिसमें हमारे मुख्य मंत्री निवास करते हैं उसमें सम्पूर्णानन्द भी रहे हैं, गोविन्द बल्लभ पन्त भी रहे हैं, सी0 बी0 गुप्ता भी रहे हैं, चरण सिंह भी रहे हैं । उन लोगों के पीरियड में खासकर मोहन सिंह जी के तीन वर्षों में जो आपने अनुपूरक बजट दिया है यह अनुपूरक बजट उससे कम है ।

श्री मोहन सिंह--

चौधरी साहब कभी नहीं रहे हैं । अपनी मालुमात को दुरुस्त कर लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

ऐसा नहीं है। राजनीतिक जीवन मेरा आपसे कम नहीं है, कई बार गुप्ता जी से मिलने का मौका मुझे मिला है। तो मान्यवर, एक चीज अभी हमारे बाबू हुकम सिंह जी ने कही, वह चले गये हैं। उस पर मुझे एक शेर याद आ गया --

ये मौजे बला उनको भी खिला दो चार थपेड़े हल्के से,

कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफां का नजारा करते हैं।

मान्यवर, सारी चीजें खत्म हो गयी लेकिन आज भी इच्छायें बनी हुयी हैं। यह रहनी भी चाहिये लेकिन उनके रहते हुये विरोध नहीं करना चाहिये। इसी-लिए अभी आपने टेलीफोन की बात कही। बाबू मोहन सिंह जी जब स्टेट मिनिस्टर थे तो उनका टेलीफोन बिल सबसे कम आया था जो 65 हजार था। इसलिए कि वह समाजवाद पर विश्वास करते हैं इसलिये उनका बिल सबसे कम था। मान्यवर, हमारे सम्मानित सदस्य, नाम तो याद नहीं है, हमारे धरम पाल जी हैं, हम तो व्यक्तिगत रूप से उनको नहीं जानते हैं लेकिन पता चला है कि वह ठेकेदार हैं, किस चीज के ठेकेदार हैं, यह मुझे नहीं मालूम।

श्री धरम पाल--

मान्यवर, इसकी जांच करा लें, अगर सही हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मगर गलत है तो माननीय सदस्य इस्तीफा दे दें।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मैं मुश्किल से चुनकर आया हूं।

श्री धरम पाल--

मान्यवर, असत्य बात नहीं कहनी चाहिये। जब कोई जानकारी नहीं थी भी किसी का नाम लेकर कोई वाक्य इस्तेमाल नहीं करना चाहिये। आप क्षमा मांगें, आइंदा असत्य न बोलें। कोई भी कमेटी नियुक्त कर दें, 15 वर्षों के अन्दर, विधायक तो मैं इन सालों में हुआ हूं, 15-16 वर्षों की जांच करा लें। ठेकेदार की हैसियत से एक पैसा भी किसी विभाग से अगर मैंने लिया होगा तो मैं सदन से त्याग-पत्र देने को तैयार हूं।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र --

मैंने जो सुना था, उसके आधार पर आप से कह रहा हूं लेकिन मान्यवर, एक बात पर और निवेदन करना चाहूंगा, हमारे सम्मानित सदस्यों ने जो

(शोर)

कहा कि विद्युत् मंत्री के दफ्तर के बाबू से विद्युत् मंत्री जी का क्या सम्बन्ध है। तो मान्यवर, बाबू और मंत्री का क्या जोड़ है, इससे सिवाय आफिशियल सम्बन्ध के अलावा और क्या हो सकता है। यह बड़े शर्म की बात है कि इतनी छोटी-छोटी बातें इस सम्मानित सदन में उठायी जाती हैं। यह मर्यादाओं का हनन है। माननीय मंत्री जी की मर्यादा पर एक कुठाराघात है और उस बाबू की भी अपनी कुछ मर्यादा है। दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा जैसा कि हमारे बाबू मोहन सिंह जी ने अभी कहा।

(शोर)

श्री धरम पाल--

मान्यवर, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा सदन में कि बाबू से उनके क्या सम्बन्ध हैं । मैंने तो मान्यवर, चहेता शब्द प्रयोग किया है कि वह बाबू माननीय मंत्री जी का बहुत चहेता है ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर एक निवेदन अन्त में और कहना चाहूंगा कि जैसा कि बाबू मोहन सिंह जी ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी चौबीसो घंटे हेलीकाप्टर पर उड़ा करते हैं । तो इतने लम्बे प्रदेश के अन्दर जितनी समस्यायें हैं उनको देखने के लिये दौरा करने के लिए यह तो एक हेलीकापटर की बात कर रहे हैं मैं तो कहूंगा कि इतने बड़े प्रदेश के लिए, उतनी ही बड़ी–बड़ी अथाह समस्याओं के समाधान के लिए कम से कम दो हेलीकाप्टर होने चाहिए ।

एक सदस्य--

हर विधायक के लिए एक एक होना चाहिए ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र --

दूसरी बात हमारे सम्मानित सदस्यों ने कहा कि माननीय उप मन्त्रियों को एक एक गाड़ी दी गयी है । तो मान्यवर, इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से कहना चाहूंगा माननीय मुख्य मन्त्री व अन्य मन्त्रियों के पास जितना काम है, उस कार्य को देखते हुए । 58 जिलों की समस्याओं को देखते हुये यह एक गाड़ी भी कम है । अन्त में मैं जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है, उसका समर्थन और विरोध पक्ष की ओर जो कटौती प्रस्ताव आया, उसका विरोध करता हूं ।

*श्री कुबेर भण्डारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, इस बजट का इसलिए विरोध कर रहा हूं कि गरीबों के पैसे को आज मंत्रीगण रंग-रेलियों और किसान रैलियों में खर्च रहे हैं । उत्तर प्रदेश बहुत गरीब और बैकवर्ड प्रदेश है । प्रदेश की प्रगति और गरीब जनता की खुशहाली को देखते हुए काम करना चाहिए । यह लोग ऐसा न करके बल्कि रंग–रेलियों और किसान रैली में खर्च कर रहे हैं और बची हुई थैली नौकर शाही की जेब में चली जाती है ।अब माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, बहुत सीधे और खूबसूरत हैं । लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है, उनमें । वह सर्वोदयी हैं । मुझे डर है कि वह कहीं आई० ए० एस० अधिकारियों के घोड़े पर सवार होकर कहीं इधर–उधर बहक न जाएं और मुझे डर लग रहा है कि वह कहीं रंग–रेलियों के बहाव में न बह जायें । एक बात चीत के दौरान माननीय मन्त्री जी ने कहा कि गंगा अब नवाबगंज होकर बहेगी ।

(शोर)

दूसरे मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा एक महिला हैं गोदावरी देवी की जो मंत्रियों की कारों में घूमती पायी जाती हैं और यही नहीं वह पुलिस कप्तान के साथ भी कारों में घूमती हैं रंग–रेलियां मनाती हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र --

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(शोर)

श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। अगर वह महिला मंत्रियों के साथ घूमें तो कोई बात नहीं, वह तो पुलिस कप्तान के साथ भी घूमती हैं।

मान्यवर, श्री जसवन्त सिंह जी के उम्र के एक मंत्री जी हैं श्रम मंत्री एक दम बूढ़े, उन्होंने उसको चेयरमैन बना दिया एक कमेटी का। कहां बूढ़े वो और कहां उसकी यह उमर। तो इस तरह से काम करें, जिससे मुझे एतराज न हो, ऐसा काम ही न किया जाय, तो एतराज कैसे होगा।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय भंडारी जी, कृपा करके आप जो अनुदान मांगें जा रहे हैं उन्हीं बजट पर ही बोलें।

श्री कुबेर भण्डारी--

वही मैं बता रहा हूं कि किस तरह की रंगरेलियों पर खर्च किया जा रहा है, उसी पर बोल रहा हूं। एक तरफ श्रम के लिये, उद्योग के लिये अनुदान पेश हो रहा है, दूसरी तरफ छोटे उद्योगों को पैसा मिल ही नहीं पाता है। बड़े उद्योग, छोटे उद्योगों को पनपने ही नहीं देंगे। यही देख लीजिये कि केन्द्र के गृह मंत्री जी लखनऊ आये, वे यहां उत्तर प्रदेश के दौरे पर आते हैं। उनकी अगवानी के लिये सारे मंत्री लोग और हमारे मुख्य मंत्री जी जाते हैं और उधर शराब के उद्योग के मोहन मेकिन साहब आते हैं। जब गृह मंत्री जी पहुंचते हैं तो मुख्य मंत्री जी उन्हें माला पहनाने के लिये आगे बढ़ते हैं पर वे मुख्य मंत्री जी को पहचानते ही नहीं और माला स्वीकार करते हैं उन बड़े उद्योगपति मोहन मेकिन की और गले में हाथ डाल कर कहते हैं तुम्हें बहुत परेशान किया गया। यह सरकार के कहने में हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री अपने मुख्य मंत्री को नहीं पहचान रहे हैं, उनके घर खाना खा रहे हैं। उनके यहां खाने में हमारे मुख्य मंत्री जी नहीं गये थे और इसलिये उनको पानी पीना पड़ा है। तो इस तरह से बजट का पैसा खर्च होगा।

श्रम पर अनुदान आया है, श्रमिक हर जगह परेशान हैं। एक तरफ तो आप चाहते हैं कि मजदूर, गरीब सुख और शांति से जीवन का निर्वहन करे दूसरी तरफ आपके अधिकारी डाक बंगलों में और रेस्ट हाउसेज में ठहरते हैं और उनके अतिथि सत्कार में पैसा खर्च होता है। मजदूर जो काम करता है उसको देते हैं आप केवल 120 रुपये और अधिकारियों को मोटी-मोटी तनख्वाहें देते हैं। आज तक जितने भी अनुदान पेश हुए हैं, 34 सालों से पेश होते आये हैं लेकिन देश के लोगों का कुछ भला नहीं हुआ है, उन्हें कुछ नहीं मिला है, उनको डीजल नहीं मिल रहा है, सीमेन्ट नहीं मिल रहा है, तेल नहीं मिल रहा है। आपकी सरकार से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अनुदान पेश करें, पुलिस विभाग, गृह विभाग उसे खतम करने में कोई कमी नहीं उठा रखेगा। खतम कर रहा है, करा रहा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो त्रिवेणी राय जी हैं, ये बहुत परेशान हैं आजमगढ़ के ऊसर को ले करके। आपकी सरकार 35 सालों में ऊसर को नहीं खतम कर पायी। देवरिया के लोगों के पास जमीन नहीं है, जमीन दिला दीजिये। ऊसर समाप्त होने का सामान जुट रहा है, मधुर सम्बन्ध हो रहे हैं, अब हम लोग ऊसर नहीं रहने देंगे।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नेता विरोधी पक्ष, विरोधी पक्ष की एक खास मंशा है, एक उनका खास इरादा है, एक उनका लक्ष्य है, उनका एक मनसूबा है और वह यह है कि प्रान्त में और देश में कुछ सुलगता रहे, कुछ आग लगी रहे और ये उसे लगवाते रहें। इस सदन का वह एक्सप्लायट करते हैं। यह जीवन कोई जड़ वस्तु नहीं है यह पृथ्वी कोई जड़ वस्तु नहीं। आदि काल से लेकर आज तक, मौजूदा समय में अनन्त काल तक यह यथावत् रही है और यथावत् रहेगी, इसमें परिवर्तन होना निश्चित है। इसमें हेलीकाप्टर भी होंगे, टेलीफोन भी होंगे, आई0 ए0 एस0 भी हो सकते हैं। यदि जरूरत पड़ेगी हमें तो सब कुछ हो सकता है। हमारी जरूरतें बढ़ती जाती हैं। कल एक लाख विद्यार्थी पढ़ते थे और आज चार लाख लोग पढ़ते हैं। तमाम डेवलेपमेन्ट होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं निवेदन करना चाहता हूं मोहन सिंह जी को, मैं उनकी प्रत्येक बात को सुनता हूं, नया व्यक्ति हूं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, इंसान अपनी आदत से नहीं जा सकता और वह है पर्सनल आक्षेप। इस तरह की बातें दुखद हैं। यह कहना कि मुख्य मंत्री बारात में कैसे गये, अपने घर में किस तरह से बैठते हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिये अगर इससे ऊपर हम आप उठ जायें तो बेहतर वातावरण बनेगा और बेहतर चीज पैदा होगी।

मुख्य मंत्री जी ने भी हाई कोर्ट की एक बेंच मेरठ डिवीजन में कायम करने की बात कही। वह सेन्टर को रेफर होगी। यह डिमाण्ड एक जगह नहीं सारे प्रान्त में फैल जायेगी और उससे जो लाइयर्स का संगठन है, जो लीगल नालेज है, इन सब चीजों में कमी आयेगी मेरा सुझाव है कि हर जिले में मोबाइल कोर्ट खोल दिये जायें और वहीं अपील हो, वहीं जज आये और केस का फैसला वहीं कर दे। रिट का अधिकार इलाहाबाद में हो। इस तरह से हर जिले के लोग सेटिस्फाई होंगे। दूसरा सुझाव यह है कि हर ब्लाक को तहसील का स्तर दे दें इससे सुविधाओं और तमाम चीजों में बेहतरी होगी।

अन्त में दो चीजें और कहना चाहता हूं। इस तरफ बहुत ही वाइटल स्टेप लेने की जरूरत है। कुछ वाइटल और प्रैक्टिकल स्टेप लेने की जरूरत है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जिले में कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां हर होली दीवाली की छुट्टी होती है और कुछ ऐसे हैं जहां ईद, बकरीद की ही छुट्टी होती है। इससे अलगाव की भावना पैदा होती है। किसी ने कहा है--पिटी दि नेशन डिवाइडेड इन्टू फ्रैग्मेन्ट्स, ईच फ्रैग्मेन्ट डीमिंग इट सेल्फ ए नेशन। दो तरह के स्कूल चलते हैं। एक शिशु मंदिर और दूसरा मकतब। वहां क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को। एक जगह मौलवी साहब कहते हैं कि सिनेमा न देखो, हंसो नहीं, सीरियस रहो और इसी प्रकार एक जगह पढ़ाया जाता है कि लाठी लेकर चलो, यवन हैं, बाहरी हैं और इसी प्रकार विरोध करते-करते आर0 एस0 एस0, मुस्लिम लीग, जमायते इस्लामी, खाकसार, रजाकार, इत्तहादुल मुसलमीन, इस्लामिक यथ मूवमेन्ट आदि-आदि।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो रहा है। जल्दी समाप्त कीजिये।

*श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने वित्तीय वर्ष 80-81 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर दिया। मान्यवर, अगर यह खर्च सही रूप में किये गये होते तो मैं क़तई तौर पर आज इसका विरोध नहीं करता लेकिन मान्यवर, आज मैं कुछ बातें माननीय सदन के सामने बताना चाहता हूं कि यह जो मांगें रखी गई हैं किस तरह से फिजूलखर्ची की गई है उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। अभी 24 दिसम्बर, 1980 को हमारे जनपद गोंडा के नगर बलरामपुर में एक पोस्टर दिखाई पड़ा जिसमें यह था कि माननीय विद्युत् मंत्री तथा राष्ट्र मंत्री किसान कांग्रेस (आई) 25 तारीख को बलरामपुर पधार रहे हैं हेलीकाप्टर के द्वारा। उनका प्रोग्राम सोहावल, फैजाबाद में, बस्ती में और इसी तरह से अन्य जगहों पर था। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब बजट रखा था तो उसमें यह कहा था कि हम इसमें मितव्ययिता से काम चलायेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि केवल किसान कांग्रेस (आई) के प्रचार के लिए अगर हमारे उत्तर प्रदेश से धन का इस्तेमाल होता है तो मैं निःसंदेह यह कहने के लिए सक्षम हूं कि यह फिजूलखर्ची हुई है और हमारे बजट का पैसा गलत तौर से खर्च हुआ।

इसी के साथ विद्युत् विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि इसमें डिजाइन और प्लानिंग विभाग हैं। आपके उसमें 300 इन्जीनियर्स काम करते हैं, लाखों की संख्या में उनको आप वेतन देते हैं लेकिन उनसे काम न लेकर आपने डिजाइन और प्लानिंग का ठेका दिया। जो टांडा का विद्युत् गृह बन रहा है उसमें करोड़ों रुपया 94 लाख रुपया उत्तर प्रदेश ने भुगतान किया है जो बिल्कुल ही गलत भुगतान हुआ है। इस तरह से करोड़ों रुपये का ठेका आपने दिया है और सिर्फ हमारे इस प्रदेश की गरीब जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ आपने डाला है। अगर इस तरह से मितव्ययिता के नाम पर खर्च किया जायेगा जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी तो निश्चय ही हम इस मत के हैं कि आप हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने के बजाय हमारे प्रदेश के ऊपर, गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर एक बोझ बनकर बैठे हुए हैं।

मान्यवर, जहां तक कानून और व्यवस्था का सम्बन्ध है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि और यह सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी इस समय सदन में मौजूद हैं। हमारे जनपद गोंडा में उतरौला थाना में एक मीरपुर ग्राम है। 1980 में 3 आदमियों की आंखें वहां के सामन्तों ने निकाल लिया। यह पहला वाकया है हमारे प्रान्त का जब ऐसी घटना हुई और जहां तक मेरा ख्याल है उस घटना की एफ० आई० आर० भी नहीं लिखी गई और अगर एफ० आई० आर० लिखी भी गई है तो कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। तो मान्यवर, यह अनुपूरक अनुदान किस लिए देते हैं जब हमारे समाज में रहने वाले, हमारे गरीबों को अगर यह सामन्त आतंकित करते रहेंगे तो यह किस प्रकार की अनुपूरक मांग है। इसके लिए आप क्या जस्टीफिकेशन देते हैं, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। अभी माननीय ऊदल जी ने जो चर्चा किया उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं उनकी बात से, उन्होंने तो 31 तारीख को रात तक कहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन मैं कहता हूं कि 31 तारीख को पूरी रात स्टेट बैंक खुला रहेगा और 1 अप्रैल, 2 अप्रैल तक उसका एकाउन्ट पूरा नहीं होगा और इस तरीके से वहां पर हजारों रुपये, लाखों रुपये गलत तरीके से निकाले जायेंगे और जो मांग आज आप पास करवायेंगे इसका नाजायज खर्च वहां पर होगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस पर अंकुश नहीं लगायेंगे तो आपने जो संकल्प लिया है पिछड़े हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने का, निश्चित रूप से आप इसमें सफल नहीं होंगे। मैं अपने सुझाव देना चाहता हूं, कोई आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन ये तथ्य हैं। अगर बुरी भी लगती है तो सच्चाई है और इसीलिए आपके लिए कटु होगी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो कम से कम जो आवश्यक खर्च है उसी पर हमारी इस प्रदेश की गरीब जनता का पैसा खर्च होना चाहिए और जो फिजूलखर्ची की बात आई है, प्रचार मात्र के लिए जो खर्च है, उसका दूर किया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जनपद बस्ती में एक मान्यवर हैं जो अभी हाल में इलेक्शन भी लड़े थे लेकिन हार गये थे, उनके गांव के ऊपर कोई सात मरतबे हमारे प्रदेश का हेलीकाप्टर घूमेगा, केवल उस गांव का चक्कर करने के लिए, तो निश्चित रूप से आप इस प्रदेश को पीछे ले जा रहे हैं।

मान्यवर, जहां तक कृषि उत्पादन का सम्बन्ध है...

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, एक मिनट का और समय लूंगा। कृषि में बोलने का अवसर हमको नहीं मिला लेकिन मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपको जो आपकी तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने शाबाशी दी और बधाई दी। आपने इस वर्ष 230 लाख कुन्तल खाद्यान्न उत्पादित कराया। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि 86 लाख टन खाद्यान्न आपको खरीफ की फसल में पैदा करना था जिसमें आप 84 लाख टन ही पैदा कर पाये। दो लाख टन कम पैदा कर पाये। वर्ष 1978-79 में इसी प्रदेश ने 231 लाख टन खाद्यान्न पैदा किया था। 23 लाख टन तिलहन इसी प्रदेश ने पैदा किया था। वर्ष 1977-78 में जबकि हमारा खाद्यान्न 210 लाख टन था, 212 लाख टन 1978-79 में इसी प्रदेश ने दिया और इस प्रकार प्रदेश की क्षमता में 19 लाख टन की वृद्धि की गई। अभी जो वर्ष 1981-82 का बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें जो हमारा इस्टीमेट है उसमें मात्र 10 लाख टन की वृद्धि की बात कही गयी है। 240 लाख टन आप पैदा करना चाहते हैं।

एक सदस्य--

रेडियो झूठिस्तान के आंकड़े हैं क्या ?

श्री अकबर हुसैन--

प्रदेश की क्षमता में हर वर्ष 20 लाख टन की वृद्धि होनी चाहिए। आप केवल 10 लाख की वृद्धि करेंगे तो मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप प्रदेश को आगे नहीं ले जा रहे हैं, इसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि इस पर जरूर ध्यान दें। धन्यवाद।

*गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ तथ्यों की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अनुपूरक बजट पर माननीय सदस्यों ने गम्भीरतापूर्वक

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—]

विचार करते हुए कुछ तथ्यों को उजागर किया है लेकिन उन तथ्यों के पीछे क्या भावनायें हैं उन भावनाओं की गहराई में जाने का अवसर तो नहीं है लेकिन मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि वर्तमान शासन न क्षमता में वृद्धि के लिए जो कुछ कार्य किये हैं और उन कार्यों का लेखा—जोखा जो अनुदानों को पास कराने में लगता है वह यह माननीय सदन लेता है तो वह लेता है, यह अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो परम्पराओं को आधार रखने की थी जिन पर माननीय मोहन सिंह ने ध्यान दिला दिया और कहा कि स्वर्गीय चन्द्रभानु गुप्त के दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर उनके शव को ले आने के लिए 50 हजार रुपये की धनराशि अगर कोई मद में उनको दिखाई पड़े तो वे कह दें कि क्यों और कैसे वह हुआ। मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 11 मार्च को जब उनका निधन हुआ तो दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश शासन का विमान अच्छी हालत में नहीं था, ठीक नहीं था और 11 मार्च की तारीख करीब—करीब माननीय मोहन सिंह जी के मंत्री रहने के कुछ ही महीने बाद पड़ी थी और ऐसी स्थिति में विमान की दुर्दशा जैसा कि दीक्षित जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि किस तरह से आपने उसका सदुपयोग किया कि एक तांत्रिक के पास जाने के बाद विमान का स्वरूप ऐसा बिगड़ गया कि उसकी मरम्मत आज तक नहीं हो सकी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश शासन ने उन महान परम्पराओं के लिए अपने प्रति अपनी ओर से एक भाव प्रकट किया था और एक महान नेता जिन्होंने देश के लिए बड़ी सेवायें की हैं और जिनके बारे में इस सम्मानित सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भाव प्रकट हुये थे उनको और 50 हजार रुपये की बात कह कर उनको इंगित करना उपयुक्त नहीं था। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। मान्यवर, अगर कक दृष्टि शब्द संसदीय भाषा में आता है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय मोहन सिंह जी ऐसे समझदार आदमी हैं मैं उनको नीरक्षीर की दृष्टि से हंस के रूप में उनको देखता हूं काक दृष्टि उनकी नहीं थी, यह शब्द उनके लिये प्रयुक्त नहीं करता।

मान्यवर, विमान, टेलीफोन, भवन, विद्युत् आदि पर खर्च की ओर माननीय सदस्य ने हमारा ध्यान आकर्षित किया और कहा कि शासन इस तरह से फिजूल—खर्ची कर रहा है। यह फिजूलखर्ची नहीं है बल्कि मितव्ययिता है। इस शासन का ध्येय अपने लोगों की क्षमता में वृद्धि करना है और उसके लिए सदन से खर्च को मांगना है।

आपने नौकरशाही के विषय में चिन्ता प्रकट की है। जब किसी अखबार में कोई समाचार निकल जाता है तो माननीय सदस्य को चिन्ता होने लगती है कि नौकरशाही की लगाम ढीली हो गई। मान्यवर, मैं बता दूं कि वह समय बीत गया जब नौकरशाही निरंकुश थी। वर्तमान शासन नौकरशाही पर पूर्णरूप से नियंत्रण रखे हुए है। आपके समय में एक दरोगा सिफारिश करके एक एस० एस० पी० का ट्रांसफर करा देता था, बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर कर देता था लेकिन आज के समय में एक पुलिस या डी० वाई० एस० पी० जिसका अपराध पाया गया है उसको वर्तमान मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बिना किसी हिचक के उनको नौकरी से निकाल दिया है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

किस बिना पर निकाल दिया है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

एक इंजीनियर के खिलाफ एक झूठा मुकदमा उन्होंने दर्ज किया था । उसकी जांच हुई और जांच करने पर यह देखा गया कि वह पुलिस की सेवा में रहने के योग्य नहीं है, इसलिए उसको सेवामुक्त कर दिया गया । माननीय रियासत हुसैन साहब ने एक बात कही । मान्यवर, जब मैं यहां पहले आपकी सेवा में आया था तो मैं यहां की लाइब्रेरी में गया और विधिवत मैंने सारी चीजों को कार्यवाही को पढ़ा और यह सोचा कि माननीय बुजुर्ग सदस्यों की कुछ बातें सीखी जायं तथा समझी जायं । लेकिन लगता यह है कि सदन में जो भाव प्रकट करते हैं वह अंकित कराने के लिए होते हैं । इस प्रकार यहां और बाहर के भावों में बहुत अन्तर होता है । माननीय सदस्य ने कहा कि मुरादाबाद में कुछ नहीं किया वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सम्मानित सदन में अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर साहसपूर्ण कदम उठाया था और आपने देखा होगा कि वहां के मुसलमानों और हिन्दुओं में एकता के भाव जाग्रत हुए हैं और कुछ लोगों ने जो षड़यंत्र रचा था विद्वेष की भावना फैलाने का उसका नकाब उठाया...

श्री रियासत हुसैन--

एक भी आदमी को बता दें जो छूट कर अपनी जगह पहुंचा हो सिर्फ एक वर्ग को छोड़कर जिसके दो आदमी बन्द हैं...

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य ने कहा कि एक वर्ग के लोग जेल में बन्द हैं और दूसरे वर्ग के लोग छोड़ दिये गये । यह सच नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय रियासत साहब, आप बैठें । वह बैठ नहीं रहे हैं आपकी बात के लिए ।

श्री रियासत हुसैन--

एक प्वाइंट आफ इनफारमेशन के लिए...

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें आपकी बात पर वह बैठ नहीं रहे हैं । जब वह बैठेंगे तभी आप कह सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

चूंकि समय कम है इसलिए मैं माननीय सदस्य से सब बातें नहीं कह पा रहा हूं । माननीय सदस्य ने कहा कि एक वर्ग के लोग छोड़ दिये गये । यह उचित नहीं है, शासन ने जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे जो किसी सीमा तक अपराधी दिखाई दिये, सब को पकड़ा लेकिन अगर माननीय बोर्ड ने, माननीय न्यायाधीश ने अगर किसी को छोड़ा है तो उसमें किसी का दोष नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

अगर आप एक मिनट बैठ जायं तो मैं एक इनफारमेशन दूं । क्या माननीय मंत्री जी इस बात का स्पष्टीकरण देंगे कि दोनों वर्गों के कितने आदमी आपके जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पकड़े गये और उनमें से कितने लोगों को, एडवाइजरी बोर्ड को छोड़िये, आपकी सरकार के आदेश से छोड़ दिया गया ? अगर यह सूचना दे दें तो पता लग जायेगा ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, यह प्रश्न पूछ लिये होते तो मैं लिख कर सूचना दे देता । मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और उनके भाव की ओर इंगित करना चाहता हूं, माननीय सदस्य समाजवादी विचारधारा के हैं क्योंकि समाजवादी विचारधारा का प्रतीक उनके सर पर फहराता रहता है लेकिन उसके नीचे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भाषा वह बोलते हैं कृपया उसकी ओर भी ध्यान देंगे तो ऐसा लगता है जो पढ़ने वाले लोग हैं वे उससे भिन्न भाव कहीं न निकालें जो कि माननीय सदस्य के सिर पर फहराता है । (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, आपने हमको 20 मिनट का समय दिया था ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय वित्त मंत्री के लिए समय कम है यह मैं बताना चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मुरादाबाद में उन तमाम नागरिकों ने जिन्होंने जो यह दुर्घटना हुई थी उसके बाद दोनों वर्गों में मेल करने के लिए जो रोल अदा किया है उसके लिए हम कृतज्ञता अर्पित करते हैं उनमें से हाफिज सिद्दीक साहब भी हैं जिन्होंने वोट की परवाह न कर एकता के लिए अपने को आहुति में डाला ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

आपके अधिकारियों ने उनको गिरफ्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कहा कि उनकी कार से हथियार बांटे जा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

पूरे प्रदेश और मुरादाबाद की जनता हाफिज साहब के लिए अनुग्रहीत है कि उन्होंने एकता के लिए काम किया है । माननीय सदस्य को शायद जानकारी नहीं होगी वहां पर अमरोहा में गणेश चौथ मनाया फिर हिन्दू और मुसलमानों ने मिल कर मुसलमानों का त्योहार मनाया और आगे हिन्दुओं का त्योहार पड़ा तो दोनों ने हिन्दुओं का त्योहार मनाया ।

श्रीमन्, एक मिनट का समय और आपसे चाहूंगा । एक चीज में और निवेदन करना चाहता हूं । मान्यवर ऊदल जी ने कहा कि अपराध जिसके क्षेत्र में बढ़ जाएं उन अधिकारियों को दंडित किया जाए । मैं उनका अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने यह सुझाव दिया कि कड़ाई की जाए । मैं उनको बताना चाहता हूं कि वर्तमान मुख्य मंत्री और सरकार इस बात के लिए कृतसंकल्प है कि किसी भी प्रकार का प्रभाव शासन पर इस बारे में न पड़े और न पड़ना चाहिए और हमारे दल के लोग भी नहीं डालते हैं । आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी वर्तमान बजट में प्राविधान किये गये हैं, वह आपकी

31 मार्च वाली चिन्ता को समाप्त करने के लिए किये गये हैं। वह पुरानी परिपाटी जो आपके समय से चली आ रही थी उसको खत्म करके इस बात के प्राविधान किये गये हैं कि 31 मार्च तक आना–पाई का हिसाब हो जाए और जो भी खर्च किया जाये और वह माननीय सदस्य की सहमति से किया जाए।

*श्री कुंवर सिंह नेगी––

मान्यवर, सरकार के ऐशो–आराम और फिजूल खर्ची के लिए यहां पर काफी कहा गया है। मुख्य मंत्री जी सादगी के प्रतीक माने जाते हैं और उनके बारे में जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि वह हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं, मुख्य मंत्री के नाते उन्हें करना चाहिए। किन्तु पिछली 5–6 फरवरी की शाम को मुख्य मंत्री जी इलाहाबाद गये, तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपके इलाहाबाद आने का मकसद क्या है? तो उन्होंने कहा कि यह मेरी यात्रा विशेष महत्व की है। 5 बजे वह उतरे और वहां से सीधे वह मुख्य न्यायाधीश के घर चले गये और वहां पर उनके साथ उनकी करीब एक घंटे तक गुप्त वार्ता, मंत्रणा होती रही। यह प्रदेश में पहली बार हुआ कि प्रदेश के मुख्य मंत्री यह प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश से इस प्रकार से गुपचुप बातचीत गुप्त रूप से करे। उनकी इस प्रकार की गुप्त वार्ता से सबके मन में एक गलत धारणा पैदा हो रही है। उनको प्रत्येक के मन का शक–संदेह दूर होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी अपना स्पष्टीकरण सदन में दें कि इस गुप्त वार्ता का प्रयोजन क्या था।

भ्रष्टाचार के बारे में कहा गया है, लेकिन उन्होंने तो इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया है। अभी जो किसान रैली हुई, उसमें 135 स्पेशल ट्रेन चली थीं और 35 हजार गाड़ियां उसमें लगीं। उसमें उत्तर प्रदेश से करीब 10 लाख आदमी दिल्ली गये थे। इस प्रकार से यहां से करीब 25 हजार गाड़ियां गईं। और जो सरकार का खर्च हुआ, उन तमाम लोगों पर जो खर्च लगा, इस प्रकार सरकार ने 25–30 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है। प्रत्येक मंत्री को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी वह अपने–अपने क्षेत्र से गाड़ियों और आदमियों आदि का इंतजाम करें। यहां से 25 हजार जो गाड़ियां गईं, उनका रोड–टैक्स और पैसेन्जर–टैक्स नहीं जमा किया गया है। इस तरह से सरकार के आय की चोरी की गई है, इसकी जांच की जानी चाहिए।

अभी हमारे साथी विद्यासागर जी ने कहा कि पहाड़ों पर मद्यनिषेध के बावजूद संजीवनी सुरा और दूसरी अन्य मादक दवाओं की वहां भरमार हो गई है। इनके लाइसेन्स के लिए किसी नियम का पालन नहीं होता है, केवल यही काफी है कि उसे कांग्रेस (अ ई0) का सदस्य होना चाहिए। इसी बात पर उसे लाइसेन्स मिल जाता है। लोग दुकानों पर बोर्ड क्या लगा रहे हैं–– 'संजय सुरा भंडार'। मान्यवर, इस किस्म की सैकड़ों दुकानें वहां पर खुली हुयी हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक हैं। यही नहीं इनमें भी बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। मेरी प्रार्थना है कि इसकी जांच होनी चाहिए।

(वित्त मंत्री के पुकारे जाने पर)

श्री मोहन सिंह––

मान्यवर, मुझसे कुछ बातें छूट गयी थीं जिन्हें मैं अब कहना चाहता हूं। एक तो मेरा सुझाव यह है कि इन्हें पूंजी जुटाने की जरूरत है और अभी अक्तूबर के महीने में जब पिछले बजट का सत्र समाप्त हुआ था तो कुछ बिक्री कर अधिकारियों को बन्द करके उनको मारा पीटा और अपमानित किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

आप केवल स्पष्टीकरण दे सकते हैं, बीच में प्रश्न नहीं कर सकते हैं ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अक्तूबर के बाद में इस राज्य में कोई ऐसे समेंट का काम नहीं हुआ । वह बन्द हो गया । मुजफ्फरनगर में बिक्री कर अधिकारियों को हथकड़ी लगाकर घुमाया गया और जेल में बन्द कर दिया गया । आपने पिछले सत्र में भी कहा था कि आप जांच करा रहे हैं । इससे उनका डिमोरेलाइजेशन हुआ है और वहां के भ्रष्ट व्यापारियों का मनोबल बढ़ा है । आज 400 कर्मचारियों को भंडारागार निगम की सेवा से नाजायज तौर पर निकाला जा रहा है । मेरी प्रार्थना है कि उनकी रक्षा करायें ।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस वर्ष की अनुपूरक अनुदानों के बारे में अपने-अपने विचार प्रकट किए हैं ।

इस वर्ष में पहली अनुपूरक की मांग की पहली किस्त माह अक्तूबर में प्रस्तुत की गयी थी जो 310 करोड़ 37 लाख रुपये की थी और जो आज यहां पर दूसरी किस्त प्रस्तुत कर रहा हूं यह 204 करोड़ 13 लाख रुपये की है । इस सम्बन्ध में कुछ कहने से पूर्व मैं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गयी हैं जिनका मैं समर्थन करता हूं कि वित्तीय नियंत्रण रहना चाहिए । माननीय मोहन सिंह, माननीय रियासत साहब ने कहा कि वित्तीय नियमों का पालन होना चाहिए । इससे मैं भी सहमत हूं कि वित्तीय अनुशासन रहना चाहिए ताकि अनावश्यक खर्च न हों, अननुमानित खर्चे न हों ।

यह द्वितीय अनुपूरक मांग जो पेश की गयी है, उसका भाग है । वित्तीय अनुशासन लाने के लिए सबसे पहला काम यह है कि समय पर बजट आ जाय ताकि पूरा समय मिल जाय प्रस्तावों और सुझावों को परीक्षण करने के लिए और उनकी स्वीकृति देने के लिए और मुझे आशा है कि आपके सहयोग से 31 मार्च तक यह बजट पास हो जायेगा तो हमें पूरे 12 महीने मिलेंगे जिससे हम इस प्रक्रिया को ठीक कर सकें । द्वितीय किस्त भी इसलिए पेश की गयी है ताकि बहुत कम चीजें रह जायें और उनको नियमित करना पड़े । जिन 3 वर्षों की किस्त के बारे में संकेत किया गया, मेरा निवेदन है कि यह द्वितीय किस्त इसलिए पेश की गयी है कि इस चीज की जरूरत न पड़े लेकिन बावजूद सब कोशिशों के इस बात की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो केन्द्रीय सरकार से सीधे आ जाते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की गयी होती है । इसलिए हमारे संविधान में एक्सेस ग्रान्ट का प्राविधान है ।

3 साल की अनुपूरक अनुदान भी हम आपकी लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुरूप कर रहे हैं लेकिन मैं सहमत हूं और हम प्रयास कर रहे हैं कि हर खर्चे का अनुमान ठीक से लगे और बजट में वे प्रस्ताव स्वीकृत हों जिनका परीक्षण हो गया हो । हमने इस सम्बन्ध में सभी विभागों को निर्देश दे दिए हैं कि इस वर्ष हम यह करें ।

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी न कुछ अनौपचारिक खर्चों के बारे में जिक्र किया । मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ मांगे ऐसी आती हैं, जैसे हाई कोर्ट के बेन्च स्थापित करने की मांग होती रही है और की जाती है अब भी, तो उसमें खर्च करना पड़ेगा, प्रशासन का विकेन्द्रीकरण भी करना पड़ता है, उसमें भी कुछ व्यय होता है । लेकिन मैं इतना सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितना भी हम व्यय करते हैं, उस व्यय के मुकाबले में हमें लाभ उससे कहीं अधिक होता है ।

मंत्रियों के घरों पर विद्युत उपकरण या टेलीफोन आदि लगाने की बात भी हो गयी । हम तो यह मानते हैं कि अपना कर्त्तव्य पूरा करने के लिये हमें जिन सुविधाओं की भी आवश्यकता पड़े वह मिलना चाहिये । 4 साल तक मैं भी नेता विरोधी दल रहा हूं और मैं जानता हूं कि नेता विरोधी दल का कार्य कितना कठिन है । बिना टेलीफोन के, बिना गाड़ी के, बिना स्टाफ के, जब काम करना पड़ता था तो मैं जानता हूं कि कितनी कठिनाइयां आती थीं । आज जो हमने नेता, विरोधी दल को गाड़ी, टेलीफोन, स्टाफ, मकान आदि की सुविधायें दी हैं, तो यह उन पर कोई अहसान नहीं किया है, हम जानते हैं कि उनको इसकी कितनी जरूरत पड़ती है । एक मिनिस्टर तो एक ही विभाग का काम केवल देखता है, जबकि नेता, विरोधी दल को सारे विभागों को देखना पड़ता है । इसलिये सुविधाओं की बात करना ठीक नहीं है ।

एक बात माननीय सदस्य ने हरिजन और समाज कल्याण विभाग के बारे में कही । हम तो यह व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में हरिजन कल्याण हो और समाज कल्याण हो ।

माननीय रियासत हुसैन ने मुरादाबाद के बारे में कुछ बातें कहीं । कुछ का जवाब तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसी वक्त दे दिया । कुछ बातें उन्होंने सेल्सटैक्स के बारे में कहीं हैं । जिन लोगों से सेल्सटैक्स वसूल होना सम्भव नहीं है, उनके केस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा । लेकिन मैं कुछ और बात भी बताना चाहता हूं जो शायद आपसे नजरन्दाज हो गयी । मुरादाबाद में 25 ऐसे कारखाने थे जो कि बहुत नुकसान में आ गये थे । ब्रासवेयर कार्पोरेशन को उन्हें 16 परसेंट का ब्याज देना पड़ रहा था, और इस प्रकार काफी कर्जा बढ़ता जा रहा था । हमने 75 फीसदी ब्याज की रकम अनुदान के रूप में देने की व्यवस्था की है । वहां पर करीब 150 इकाइयों की मशीनें नष्ट हो गयीं । हमने उनके लिये यह व्यवस्था की है कि 10 हजार रुपये हम उन्हें मशीन लगाने के लिये देंगे । बैंकों से भी 80 फीसदी दिलवायेंगे । इसके अलावा मार्जिन मनी भी 20 परसेंट देने की व्यवस्था की गयी है ।

एक हजार के लगभग ऐसी इकाइयां हैं जिनके पास पूंजी नहीं है, वे बहुत छोटे लोग हैं, उनको भी ढाई-ढाई हजार रुपये देने की व्यवस्था की गयी है । इसे हम 5 सालों में वसूल करेंगे ।

श्री रियासत हुसैन—

जब माननीय मुख्य मंत्री जी मुरादाबाद गये थे तो उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि कर्फ्यू पीरियड में जिन लोगों के कारखाने नहीं चले हैं उनसे बिजली के बिल का पैसा उस पीरियड का वसूल नहीं किया जायेगा, जब कि बिजली कम्पनी वाले उसे वसूल कर रहे हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अगर कोई घोषणा की है, मैं उसको पता कर लूंगा, तो उसका अवश्य आदर किया जायेगा ।

एक बात डेरी विकास के बारे में कही गयी । उस ओर भी हमारा प्रयास है । डेरी आपरेशन फ्लड (ट्) के अन्तर्गत भी हम 50-80 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं और यह भी हमने देखा कि बहुत से सारे हमारे डेरी फार्म खराब हालत में थे उसको ठीक करा कर चलाने के लिए हमने रुपया दिया । चीनी मिल जो किसानों को पैसा नहीं दे पाती थीं, उनके लिए भी हमें पैसे की व्यवस्था करनी पड़ी । इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जरजर अवस्था है, उसको धीरे-धीरे इम्प्रूव करें । उत्पादन के बारे में हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि 1979-80 में उत्पादन घटा । लेकिन इस साल उस घाटे को पूरा करके भी हम आगे जायेंगे । हमारा जो पिछले साल का वक्त था वह मुसीबत से निकलने का वक्त था । अनुपूरक अनुदानों का अगर हम विश्लेषण करें तो 3 तरह से किया जा सकता है । नान-प्लान इक्सपेंडीचर जो 177.93 लाख है, इसमें वह खाली कागजी वाला मामला है । 35 करोड़ 65 लाख फ्लड आपरेशन के बारे में है और 18 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर के लिए एडवांस है । अब दूसरा विश्लेषण अगर आप देखें, जिसका प्राविजन 61.22 लाख रुपया किया गया है ।

मान्यवर, कुछ महत्वपूर्ण चीजें इस माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं जो हमने अग्रिमों की पूर्ति की है, उसमें बाढ़ से हुई हानि के कारण जो हमने अनुमान किया वह करीब 2 करोड़ के हैं । दैवी आपदा में 16 करोड़ के करीब हैं । पंतनगर यूनिवर्सिटी में एक करोड़ 29 लाख है । बुन्देलखण्ड यूनिवर्सिटी के लिए 1 करोड़, 20 लाख की व्यवस्था किया है, क्योंकि उसका हम विकास करना चाहते हैं । इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण मद हैं और आयोजनागत जो व्यय हम कर रहे हैं, उनमें जो त्वरित ग्रामीण जल सम्पूर्ति के कार्यक्रम हैं, उनमें 5 करोड़ के करीब हैं । लघु और सीमान्त कृषकों के अतिरिक्त अन्य कृषकों को सही स्थिति दर पर, फास्फेट तथा पोटाश उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु अनुदान एक करोड़ रुपया । मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि 4 करोड़ रुपये का प्राविजन करके वहां पर एक ऐसी निर्माण इकाई कायम करें, जिससे कि वहां का काम सुन्दर ढंग से चलने लगे ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बड़ी भारी योजनायें हैं, जिन पर काफी व्यय हो रहा है जिनका आकलन शुरू में नहीं लगा सकते ।

प्रयास यह किया जाना चाहिये कि हम समय पर चीजों का आंकलन करें और समय पर चीजों को करें । माननीय मोहन सिंह जी ने दो बातें कही हैं कान्सपिरेसी है, मनोबल टूट रहा है और वसूली कम हो रही है । पिछले 15 दिन में 80 फीसदी हम वसूल कर चुके थे, अनुमान से ज्यादा वसूली कर पायेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है । अपराधी मनोवृत्ति के व्यक्ति को छोड़ने का इरादा नहीं है । ईमानदार अफसर को भी संरक्षण देंगे । इन शब्दों के साथ मैं उन

सभी सुझावों के लिये आभार प्रकट करता हूं और प्रयास करूंगा कि जब तक वित्त विभाग मेरे पास है, मैं उन्हें पूरा कर सकूं ।

एक सदस्य--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी भण्डारागार वाली बात बता दें । 400 लड़कों को निकाल रहे हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त--

जिस तरह के एप्वाइन्टमेण्ट्स कोआपरेटिव सेक्टर में किये गये हैं, आप स्वयं आकर देख लें । एड हाक बेसिस पर इतने दुनिया भर के एप्वाइंटमेंट्स कर दिये गये । इसको रेग्युलर करना हमारे बस के बाहर है । माननीय सहकारिता मन्त्री जी यहां हैं, वे इसे देखेंगे, लेकिन भण्डारागार निगम का कार्य जिस तरह से हुआ है, मैं उस पर कहना नहीं चाहता । इस प्रदेश में वित्तीय अनुशासन लाकर मैं बजट को प्रगति का माध्यम बनाने की चेष्टा करूंगा ।

(इस समय 3 बजे श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, उर्दू एकेडमी की बात रियासत हुसैन साहब ने उठायी थी । इसमें काउन्सिल के लोग भी रखे जायं वरना वह आपके कण्ट्रोल में नहीं रहेगा और 10 लाख रुपया बेकार चला जायगा ।

श्री ब्रह्मदत्त--

मैं आपकी भावना माननीय मुख्य मन्त्री जी तक पहुंचा दूंगा ।

1980-81 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 3-मंत्रि परिषद्

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3-मन्त्रि परिषद् के अन्तर्गत 1000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-3-मन्त्रि परिषद् के अन्तर्गत 1000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 7--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 9—स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग

स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री (श्री शिव नाथ सिंह कुशवाहा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9—स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग के अन्तर्गत 8,74,84,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9—स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग के अन्तर्गत 8,74,84,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

[समय 3 बज कर 5 मिनट]

अनुदान संख्या—11 परिवहन

परिवहन राज्य मंत्री (श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11—परिवहन विभाग के अन्तर्गत 3,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11—परिवहन विभाग के अन्तर्गत 3,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 17—सचिवालय

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से व श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17—सचिवालय के अन्तर्गत 68,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17—सचिवालय के अन्तर्गत 68,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 19--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से व श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 22,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 22,45,000 रुपय की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 20--सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से व श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20 सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग के अन्तर्गत 74,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20-सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग के अन्तर्गत 74,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 22--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से व श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 1,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 1,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 23--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत

[श्री बैजनाथ कुरील—]

60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980–81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980–81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 24—कोषागार तथा लेखा प्रशासन

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980–81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980–8 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (पुलिस)

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 1,08 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980–81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 1,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980–81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (कारागार)

कारागार मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 41,46 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980–81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 41,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 27-उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)--

मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27-उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 35,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27-उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 35,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 28-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 51,12 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 51,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 33-शिक्षा विभाग

शिक्षा उप मंत्री (श्री निर्मल कुमार)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33-शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33-शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 34—प्राविधिक शिक्षा विभाग

शिक्षा उप मंत्री (श्री निर्मल कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 36—सांस्कृतिक कार्य

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 2,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 2,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 38—चिकित्सा

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 39—परिवार कल्याण

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरी सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 6,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अंतर्गत 6,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 40-सार्वजनिक स्वास्थ्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 8,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 8,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 41-आवास भवन

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41-सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 8,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41-सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 8,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 से लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 43-सूचना विभाग

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43-सूचना विभाग के अन्तर्गत 19,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43--सूचना विभाग के अन्तर्गत 19,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 44—श्रम कल्याण

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 25,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिए स्वीकार की जाए ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 25,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 45—श्रम विभाग (सेवायोजन)

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 45—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिए स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 46—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री छेदा लाल चौधरी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिए स्वीकार की जाए ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 48—दैवी आपदाओं के कारण सहायता

राजस्व मंत्री (श्री बैज नाथ कुरील)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48—राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत 16,15,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48—राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत 16,15,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 49—सहकारिता

सहकारिता मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 5,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 5,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 50—पर्वतीय विकास

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 3,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 3,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 51—नियोजन

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51—नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51--नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 52--कृषि

कृषि राज्य मंत्री (श्री शिवराज सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52--कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 3,05,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52-कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 3,05,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)

कृषि राज्य मंत्री (श्री शिवराज सिंह)--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 14,68,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 14,68,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 54--गन्ना विकास

गन्ना विकास मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54--गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत 22,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54--गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत 22,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 55--ग्राम्य विकास

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55--ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55--ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 56--पंचायती राज

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56--पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 2,95,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56--पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 2,95,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 57--क्षेत्रीय विकास

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57--क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57--क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 58--खाद्य तथा रसद

खाद्य मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 65,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 65,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 59--पशुधन

कृषि राज्य मंत्री (श्री शिवराज सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59--पशुधन विभाग के अन्तर्गत 40,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59--पशुधन विभाग के अन्तर्गत 40,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 61--मत्स्य

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61--मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 3,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61--मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 3,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 62--वन

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62--वन विभाग के अन्तर्गत 3,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62--वन विभाग के अन्तर्गत 3,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 63–भारी एवं मध्यम उद्योग

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980–81 के लिए स्वीकार की जाय ।

उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980–81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 64–चीनी उद्योग

राजस्व उपमंत्री (श्री जंराज गौतम)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64–उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980–81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64–उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980–81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 65–ग्राम एवं लघु उद्योग

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)—

मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 3,74,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980–81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत 3,74,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980–81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 66—खानें तथा खनिज

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)—

मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66—उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66—उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिये स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 67—विद्युत्

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67—विद्युत् विभाग के अन्तर्गत 1,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67—विद्युत विभाग के अन्तर्गत 1,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 68—सिंचाई (निर्माण कार्य राजस्व लेखा)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी)—

मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य राजस्व लेखा) के अन्तर्गत 1,70,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य—राजस्व लेखा) के अन्तर्गत 1,70,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980—81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 70—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत

10,02,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 10,02,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 74--पर्यटन

पर्यटन मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या-75-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 1,84,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 1,84,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 76-सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76-सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 3,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76-सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 3000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

("हां" की आवाज तेज होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

राय की हां की आवाज काफी तेज है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 82-सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82-सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 7,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82-सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 7000 रुपयों की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 85--सहकारिता विभाग पूंजीगत परिव्यय

सहकारिता मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 85--सहकारिता विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,83,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 85--सहकारिता विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,83,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ऊदल--

श्रीमन्, होली के दिन हैं । त्रिवेणी राय जो जिस प्रकार बोल रहे हैं डपोरशंख भी ऐसे ही बोलता था..(हंसी)

श्री त्रिवेनी--

वह भ्रम तो मिट जाना चाहिए था ।

अनुदान संख्या 86--पर्वतीय विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 86--पर्वतीय विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 6,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86--पर्वतीय विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 6,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 87--उद्योग विभाग-पूंजीगत परिव्यय

उद्योग मन्त्री (श्री नियाज हसन खां)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87--उद्योग विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,65,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87--उद्योग विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,65,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 93--कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय

कृषि राज्य मन्त्री (श्री शिवराज सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 93--कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 19,25,96,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 93--कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 19,25,96,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 102--सिंचाई निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 102--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 102--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 104--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 104--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 3,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 104--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 3,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 106--पर्यटन विभाग-पूंजीगत परिव्यय

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 106--पर्यटन विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 106--पर्यटन विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 110--स्वायत्त शासन विभाग-ऋण और अग्रिम

स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री (श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 110--स्वायत्त शासन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 110—स्वायत्त शासन विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 111—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम

स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री (श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 111—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 2,80,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 111—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 2,80 70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 112—राजस्व विभाग—ऋण और अग्रिम

राजस्व मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 112—राजस्व विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 70,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 112—रजास्व विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 70,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 114—उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम

उद्योग मन्त्री (श्री नियाज हसन खां)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 114—उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 38,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 114--उद्योग विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 38,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 115--पर्वतीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 115--पर्वतीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 115--पर्वतीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 118--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग-ऋण और अग्रिम)

राजस्व उप मंत्री (श्री जैराज गौतम)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 118-उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 2,24,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 118-उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 2,24,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या-119 सहकारिता विभाग (ऋण और अग्रिम

सहकारिता मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 119--सहकारिता विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 2,53,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 119--सहकारिता विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 2,53,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 120-कृषि विभाग-ऋण और अग्रिम

कृषि राज्य मंत्री (श्री शिवराज सिंह)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-120 कृषि विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 72,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 120-कृषि विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 72,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-122 पशुधन विभाग (ऋण और अग्रिम)

कृषि राज्य मंत्री (श्री शिवराज सिंह)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 122--पशुधन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 4,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 122-पशुधन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 4,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-124 परिवहन विभाग--ऋण और अग्रिम

परिवहन राज्य मंत्री (श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 124--परिवहन विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 4,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 124--परिवहन विभाग ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 4,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 125--वित्त विभाग-ऋण और अग्रिम

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 125--वित्त विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत

[श्री ब्रह्म दत्त--]

75,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 125--वित्त विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 75,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1981

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब इसकी प्रतियां वितरित की जाय ।

श्री मोहन सिंह--

चलने दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले आप मोहन सिंह जी को प्रति दे दीजिए, तब आगे चला जाए ।

श्री ब्रह्मदत्त--

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(कुछ रुक कर)

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मुझे इस पर दो मिनट सुन लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने सोचा कि जब आपके कुबेर भंडारी ही उधर चले गये, तो आपका क्या बोलना और क्या न बोलना ?

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं इसमें दो-तीन बातों की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस सरकार की 4 मामलों में केन्द्र सरकार में और नेशनल लेविल पर बड़ी इमेज गिरी है। प्रदेश में जो ड्राइवर के सम्बन्ध में वाक्या हुआ, जिसकी गूंज पार्लियामेन्ट तक में हुई, उस पर कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया। यद्यपि कल त्रिपाठी जी ने उस पर वक्तव्य दिया, जवाब दिया लीपापोती काफी की, लेकिन वह कोई सन्तोषजनक उत्तर नही था। तो नेशनल पत्रों में उसकी हेडिंग यह है—"हन्ड्रेड्स वेयर डन टू डेथ"। लेकिन यह इतना बड़ा छप गया, जिससे नेशनल लेवेल पर सरकार की इमेज बहुत गिरी। इनका कारनामा यह है कि आज 14 तारीख तक फूलन देवी के गैंग को वह सरकार लिक्विडेट नहीं कर सकी ....।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या इसका भी विनियोग विधेयक से सम्बन्ध है ?

श्री रियासत हुसैन—

है, मैं यह पेश कर रहा हूं कि किस वजूहात से इसको स्वीकार नहीं होना चाहिए।

श्री त्रिवेनी—

व्यवस्था का प्रश्न है। सामान्य बजट पर क्या रियासत जी इसकी चर्चा कर सकते थे। इस समय इसका अवसर नहीं था। मौत हो गयी तो विधेयक से इसका क्या ताल्लुक है ?

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था के नाम पर आप अव्यवस्था चाहते हैं इस पर आप क्या चाहते हैं ?

श्री त्रिवेनी—

विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही है और माननीय सदस्य जनरल बजट की बात कर रहे हैं। जो आज तक परम्परा रही है उसे कायम रखिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे लगता है आप सदन में सतर्क अटेन्टिव नहीं थे। मैं पहले ही कह चुका था। अगर आपने सुना होता तो आपने यह बात न कही होती।

श्री रियासत हुसैन—

कल सुप्रीम कोर्ट में जो नई चीनी वितरण प्रणाली के बारे में हुआ उस पर विचार करना होगा। 14 तारीख तो आ गयी लेकिन इस महीने की चीनी का वितरण पूरे प्रदेश में किस प्रणाली के जरिये होगा यह प्रश्न खड़ा हो गया है। ये दो चार बातें हैं जिनको लेकर मैं विरोध प्रकट कर रहा हूं।

श्री ऊदल—

मैंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाये थे जिनका माननीय वित्त मंत्री ने एक ही शब्द में जवाब दिया कि समय-समय पर भारत सरकार से अनुदान मिलते हैं, एक्सेस होती है यह प्रश्न नहीं है। हमारे यहां एक परिपाटी पड़ गयी है एक्सेस करने की। जो

[श्री ऊदल—]

विभाग एक्सेस करते हैं वे सरेंडर भी करते हैं। इसको देखना चाहिए। विभागों का दायित्व होता है कि उनकी जो आवश्यकता है वह सप्लीमेन्टरी बजट में आ जाय लेकिन उसमें न आ कर आकस्मिकता निधि से लेते हैं, इस पर रोक लगना चाहिए। 31 मार्च आ रहा है, रुपया निकाल कर लोग पर्सनल खातों में डाल लेते हैं। पिछले साल का आप देख लें उसको विभाग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। नतीजा यह होता है कि टैक्सेज लगने की नौबत आ जाती है। शासन के पास सही तस्वीर नहीं आ पाती है। इसको चेक करना चाहिए। योजनाओं के बारे में पहले से विचार हो जाना चाहिए। इन मुद्दों पर माननीय मंत्री को विचार करना चाहिए।

श्री ब्रह्म दत्त—

ये सभी सुझावों जो माननीय सदस्यों ने दिये हैं महत्वपूर्ण हैं, गम्भीर हैं और हम उनके प्रति सजग हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1980–81) का (द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3 अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1980–81 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1981

31 मार्च, 1981 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए।

विधेयक

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्ष नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1980–81 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 1981 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश का संचित निधि में से वर्ष 1980–81 के लिये 2,04,13,31,000 रुपये का विनियोग

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए, जो 31 मार्च, 1981 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 2,04,13,31,000 रु0 (दो अरब चार करोड़ तेरह लाख इकतीस हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1981 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिए)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0
1	राज्य विधान मण्डल	..	1,000	1,000
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय	..	1,28,000	1,28,000
3	मंत्रि परिषद्	1,000	..	1,000
4	न्याय विभाग	..	9,63,000	9,63,000
6	संस्थागत वित्त विभाग (वृत्तिकर एवं बिक्रीकर)	..	52,000	52,000
7	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	1,000	20,000	21,000
8	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	..	95,000	95,000
9	स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग	8,74,84,000	..	8,74,84,000

1	2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0
11	परिवहन विभाग	3,000	..	3,000
*16	लोक सेवा आयोग	..	1,97,000	1,97,000
17	सचिवालय	68,02,000	..	68,02,000
19	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	22,45,000	..	22,45,000
20	सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग	74,71,000	..	74,71,000
22	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	1,61,000	..	1,61,000
23	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	60,000	50,000	1,10,000
24	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	2,000	..	2,000
25	गृह विभाग (पुलिस)	1,08,000	..	1,08,000
26	गृह विभाग (कारागार)	41,46,000	..	41,46,000
27	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	35,00,000	..	35,00,000
28	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	51,12,000	95,000	52,07,000
33	शिक्षा विभाग	14,000	..	14,000
34	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2,000	..	2,000
36	सांस्कृतिक कार्य विभाग	2,92,000	..	2,92,000
38	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	2,000	..	2,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

39	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	6,000	15,000	21,000
40	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	8,34,000	..	8,34,000
41	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	8,54,000	5,56,000	14,10,000
43	सूचना विभाग	19,35,000	..	19,35,000
44	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	25,46,000	..	25,46,000
45	श्रम विभाग (सेवायोजन)	1,000	..	1,000
46	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग	11,000	..	11,000
47	सहायता और पुनर्वासन विभाग	..	71,000	71,000
48	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता)	16,15,00,000	..	16,15,00,000
49	सहकारिता विभाग	5,000	..	5,000
50	पर्वतीय विकास विभाग	3,50,000	..	3,50,000
51	नियोजन विभाग	1,000	..	1,000
52	कृषि विभाग (कृषि)	3,05,13,000	40,000	3,05,53,000
53	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	14,68,000	40,000	15,08,000
54	गन्ना विकास विभाग	22,34,000	..	22,34,000
55	ग्राम्य विकास विभाग	2,000	9,000	11,000
56	पंचायती राज विभाग	2,95,01,000	..	2,95,01,000
57	क्षेत्रीय विकास विभाग	1,000	..	1,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0
58	खाद्य तथा रसद विभाग	65,89,000	..	65,89,000
59	पशुधन विभाग	40,77,000	..	40,77,000
61	मत्स्य विभाग	3,69,000	..	3,69,000
62	वन विभाग	3,000	13,000	16,000
63	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	11,000	..	11,000
64	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)	1,000	..	1,000
65	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	3,74,14,000	..	3,74,14,000
66	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)	10,00,000	3,000	10,03,000
67	विद्युत् विभाग	1,64,000	..	1,64,000
68	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य–राजस्व लेखा)	1,70,00,000	..	1,70,00,000
70	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	10,02,00,000	..	10,02,00,000
74	पर्यटन विभाग	1,000	..	1,000
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	1,84,52,000	..	1,84,52,000
76	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	3,000	..	3,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

82	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	7,000	..	7,000
85	सहकारिता विभाग–पूंजीगत परिव्यय	1,83,95,000	..	1,83,95,000
86	पर्वतीय विकास विभाग–पूंजीगत परिव्यय	6,000	1,000	7,000
87	उद्योग विभाग–पूंजीगत परिव्यय	3,65,00,000	..	3,65,00,000
93	कृषि विभाग—पूंजीगत परिव्यय	19,25,96,000	..	19,25,96,000
102	सिंचाई विभाग—निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	1,000	1,63,000	1,64,000
104	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय)	3,000	..	3,000
106	पर्यटन विभाग—पूंजीगत परिव्यय	3,91,000	..	3,91,000
*107	राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण	..	1,11,35,48,000	1,11,35,48,000
110	स्वायत्त शासन विभाग—ऋण और अग्रिम	10,00,000	..	10,00,000
111	आवास विभाग—ऋण और अग्रिम	2,80,70,000	..	2,80,70,000
112	राजस्व विभाग—ऋण और अग्रिम	70,00,000	..	70,00,000
114	उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम	38,83,000	..	38,83,000
115	पर्वतीय विकास विभाग—ऋण और अग्रिम	2,000	..	2,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0
118	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)--ऋण और अग्रिम	2,24,30,000	..	2,24,30,000
119	सहकारिता विभाग--ऋण और अग्रिम	2,53,73,000	..	2,53,73,000
120	कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम	72,45,000	..	72,45,000
122	पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम	4,17,000	..	4,17,000
124	परिवहन विभाग--ऋण और अग्रिम	4,00,00,000	..	4,00,00,000
125	वित्त विभाग--ऋण और अग्रिम	75,00,000	..	75,00,000
	योग ..	92,52,71,000	1,11,60,60,000	2,04,13,31,000

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3 अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 का द्वितीय अनपूरक) विधेयक, 1981 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1980-81 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1981 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

[समय 4 बजे]

1974-75 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान-अनुदान

संख्या 7--भू-राजस्व

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7--भू-राजस्व के अन्तर्गत 19,22,229 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7--भू-राजस्व के अन्तर्गत 19, 22, 229 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 10--राज्य आबकारी

राजस्व उप मन्त्री (श्री जैराम गौतम)--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10--राज्य आबकारी के अन्तर्गत 17,70,694 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10--राज्य आबकारी के अन्तर्गत 17,70,694 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 20--कोषागार तथा लेखा प्रशासन

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20--कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत 1,06,607 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20--कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत 1,06,607 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 21--पुलिस

गृह राज्य मंत्री (श्री रजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21--पुलिस के अन्तर्गत 2,42,29,503 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21--पुलिस के अन्तर्गत 2,42,29,503 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 23--लेखन सामग्री और मुद्रण

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23--लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत 8,67,643 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23--लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत 8,67,643 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें के अन्तर्गत 32,94,085 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें के अन्तर्गत 32,94,085 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 8,36,12,090 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 8,36,12,090 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 42—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42—विशेष तथा पिछड़े हुये क्षेत्र के अन्तर्गत 8,57,08,595 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42—विशेष तथा पिछड़े हुये क्षेत्र के अन्तर्गत 8,57,08,595 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 53--उद्योग

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53--उद्योग के अन्तर्गत 2,04,018 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53--उद्योग के अन्तर्गत 2,04,018 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 56--विद्युत् विकास

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56--विद्युत् विकास के अन्तर्गत 2,14,844 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56--विद्युत् विकास के अन्तर्गत 2,14,844 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 57--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57--राजस्व से किये जाने वाले निर्माण कार्य के अन्तर्गत 7,68,49,709 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 7,68,49,709 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 58––सिंचाई अधिष्ठान

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58––सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत 5,88,89,417 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974–75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58––सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत 5,88,89,417 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974–75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 62––सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)––

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62––सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान के अन्तर्गत 5,89,24,108 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974–75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62––सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान के अन्तर्गत 5,89,24,108 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974–75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 67––सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)––

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67––सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 13,81,52,822 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974–75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67––सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 13,81,52,822 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974–75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 71—आवासन पर पूंजी परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71—आवासन पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 1,14,66,867 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71—आवासन पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 1,14,66,867 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 76—जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76—जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर के अन्तर्गत 1,59,78,102 रुपये की मांग, वित्तीय मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76—जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर के अन्तर्गत 1,59,78,102 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 77—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

कृषि उपमंत्री (श्री सीताराम निषाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 9,97,17,540 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 9,97,17,540 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974-75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 82––सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82––सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 81,11,25,670 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974–75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82––सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 81,11,25,670 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974–75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 83––बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83––बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 12,62,21,869 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974–75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83––बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 12,62,21,869 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974–75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 88––[illegible]ण और अग्रिम–शिक्षा

शिक्षा उप मंत्री (श्री निर्मल कुमार)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 88––[illegible]ण और अग्रिम–शिक्षा के अन्तर्गत 2,19,41,785 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974–75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88––[illegible]ण और अग्रिम–शिक्षा के अन्तर्गत 2,19,41,785 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1974–75 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

1975-76 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 23—लेखन—सामग्री तथा मुद्रण

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23—लेखन—सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत 19,28,625 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत 19,28,625 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत 9,44,502 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत 9,44,502 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवाएं

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवाओं के अन्तर्गत 9,32,073 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवाओं के अन्तर्गत 9,32,073 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 26––अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें

वित्त राज्य मंत्री (श्री काशीनाथ मिश्र)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26––अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें के अन्तर्गत 87,15,158 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975–76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26––अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें के अन्तर्गत 87,15,158 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975–76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 32––परिवार नियोजन

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32––परिवार नियोजन के अन्तर्गत 31,50,801 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975–76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32––परिवार नियोजन के अन्तर्गत 31,50,801 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975–76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 33––सार्वजनिक स्वास्थ्य

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33––सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 1,42,98,395 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975–76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33––सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 1,42,98,395 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975–76 के सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 34––आवास भवन

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34––आवास भवन के अन्तर्गत 5,20,783 रुपये

की मांग, वित्तीय वर्ष 1975–76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34—आवास भवन के अन्तर्गत 5,20,783 रुपए की मांग, वित्तीय वर्ष 1975–76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 35—नगर विकास

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35—नगर विकास के अन्तर्गत 32,78,465 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975–76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35—नगर विकास के अन्तर्गत 32,78,465 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975–76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 39—दैवी आपदाओं के कारण सहायता

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39—दैवी आपदाओं के कारण सहायता के अन्तर्गत 19,35,150 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975–76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39—दैवी आपदाओं के कारण सहायता के अन्तर्गत 19,35,150 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975–76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 42—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत 1,71,38,761 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975–76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42, विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत 1,71,38,761 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बन्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 46--भूमि और जल संरक्षण

कृषि उप मंत्री (श्री सीताराम निषाद)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46--भूमि और जल संरक्षण के अन्तर्गत 4,05,980 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46--भूमि और जल संरक्षण के अन्तर्गत 4,05,980 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 48--खाद्य तथा पोषाहार

सहकारिता मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48--खाद्य तथा पोषाहार के अन्तर्गत 11,60,247 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48--खाद्य तथा पोषाहार के अन्तर्गत 11,60,247 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 49--पशुपालन

सहकारिता मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49--पशुपालन के अन्तर्गत 73,15,447 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49--पशुपालन के अन्तर्गत 73,15,447 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 58--सिंचाई अधिष्ठान

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58--सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत 4,60,77,473 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58--सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत 4,60,77,473 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 59--सिविल विमानन

सिंचाई मंत्री (श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59--सिविल विमानन के अन्तर्गत 6,61,408 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59--सिविल विमानन के अन्तर्गत 6,61,408 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 60--संचार साधन

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60--संचार साधन के अन्तर्गत 1,14,05,800 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60--संचार साधन के अन्तर्गत 1,14,05,800 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 64--सड़क तथा जल परिवहन

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64--सड़क तथा जल परिवहन के अन्तर्गत 29,733

रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64--सड़क तथा जल परिवहन के अन्तर्गत 29,733 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 67--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 10,58,89,727 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 10,58,89,727 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 70--आवास भवनों पर पूंजी परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70--आवास भवनों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 85,527 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70--आवास भवनों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 85,527 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 76--कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

कृषि उप मंत्री (श्री सीताराम निषाद)--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76--कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 2,36,75,003 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76--कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 2,36,75,003 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 77--सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

कृषि उप मंत्री (श्री सीताराम निषाद)--

मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77--सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 22,18,349 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77--सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 22,18,349 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 81--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी)--

मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 23,94,92,040 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 23,94,92,040 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 82--बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी)--

मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82--बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 7,93,13,179 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82--बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 7,93,13,179 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 85--पर्यटन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री गोपाल रामदास)--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 85--पर्यटन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 57 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाये।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 85--पर्यटन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 57 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 91--ऋण और अग्रिम-सहकारिता

सहकारिता मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 91--ऋण और अग्रिम--सहकारिता के अन्तर्गत 8,80,185 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाये।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 91--ऋण और अग्रिम-सहकारिता के अन्तर्गत 8,80,185 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 94--ऋण और अग्रिम विद्युत

वित्त राज्य मन्त्री (श्री काशी नाथ मिश्र)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94--ऋण और अग्रिम--विद्युत के अन्तर्गत 20,20,78,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, देख लिया जाय कि ये इतनी जल्दी-जल्दी बोले हैं, कार्यवाही में लिखा गया है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

मान्यवर, यह गंगा में बहते हैं और आप सरयू में, इसमें मैं कहां आता हूं ?

(हंसी)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94--ऋण और अग्रिम विद्युत के अन्तगत 20,20,78,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1975-76 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

1976-77 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 9--भूमि और भवन-कर

स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9--भूमि और भवन कर के अन्तर्गत 2,210 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1976-77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9--भूमि और भवन कर के अन्तर्गत 2,210 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1976-77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 26--अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें

वित्त राज्य मन्त्री (श्री काशी नाथ मिश्र)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26--अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनों के अन्तर्गत 22,53,741 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1976-77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26--अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन के अन्तर्गत 22,53,741 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1976-77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 27--प्रकीर्ण सामान्य सेवायें

वित्त राज्य मन्त्री (श्री काशीनाथ मिश्र)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27--प्रकीर्ण सामान्य सेवायें के अन्तर्गत

2,57,699 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1976–77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27——प्रकीर्ण सामान्य सेवायें के अन्तर्गत 2,57,699 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1976–77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 32——परिवार नियोजन

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री हरि सिंह)——

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32——परिवार नियोजन के अन्तर्गत 1,81,96,821 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1976–77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32——परिवार नियोजन के अन्तर्गत 1,81,96,821 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 47——क्षेत्र विकास

कृषि उप मन्त्री (श्री सीता राम निषाद)——

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47——क्षेत्र विकास के अन्तर्गत 32,24,632 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1976–77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47——क्षेत्र विकास के अन्तर्गत 32,24,632 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1876–77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 49——पशुपालन

कृषि उप मन्त्री (श्री सीता राम निषाद)——

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49——पशुपालन के अन्तर्गत 3,98,831 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1976–77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49--पशुपालन के अन्तर्गत 3,98,831 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1976-77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 52--वन

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52--वन के अन्तर्गत 56,235 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52--वन के अन्तर्गत 56,235 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 57--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 3,27,84,158 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1976-77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 3,27,84,158 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1976-77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 60--संचार साधन

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आप की अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60--संचार साधन के अन्तर्गत 1,17,61,625 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60--संचार साधन के अन्तर्गत 1,17,61,625 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 67--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 12,47,15,940 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी-परिव्यय के अन्तर्गत 12,47,15,940 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 70--आवास भवनों पर पूंजी परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70--आवास भवनों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 32,93,549 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1976-77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70--आवास भवनों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 32,93,549 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदान के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 81--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी)--

मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 32,52,07,585 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81--सिंचाई कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 32,52,07,585 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 82---बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी)---

मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82--बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 6,67,16,144 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82---बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 6,67,16,144 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 83 ---संचार साधनों पर पूंजी परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83--संचार साधनों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 1,27,21,093 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83--संचार साधनों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 1,27,21,093 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 85---पर्यटन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री गोपाल रामदास)---

मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 85--पर्यटन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 8,00,000 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 85--पर्यटन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत 8,00,000 की मांग वित्तीय वर्ष 1976-77 से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1974-75, 1975-76 और 1976-77 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1981

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (1974-75, 1975-76 और 1976-77 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1974-75, 1975-76 और 1976-77 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(विधेयक की प्रतियां बांटी गयीं)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1974-75, 1975-76 और 1976-77 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं ।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1974-75, 1975-76 और 1976-77 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग(1974-75, 1975-76 और 1976-77 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 5 प्रथम, द्वितीय व तृतीय अनुसूची, खन्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक उत्तर प्रदेश विनियोग (1974-75, 1975-76 और 1976-77 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1981

दिनांक 31 मार्च, 1975, दिनांक 31 मार्च, 1976 और दिनांक 31 मार्च 1977 को समाप्त हुए वित्तीय वर्षों के कतिपय सेवाओं पर उनके निमित्त और उन वर्षों के लिए स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती व्यय हुई धनराशियों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लि

विधेयक

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है --

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग, 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के बढ़ती व्यय का विनियमन) अधिनियम, 1981 कहा जायगा ।

वर्ष 1974-75 के कतिपय व्यय को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से 1,62,12,28,935 रुपये का दिया जाना

2--उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से, प्रथम अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट धनराशियों को, जिसका कुल यो 1,62,12,28,935 रुपये (केवल एक अरब, बासठ करोड़ बारह लाख, अट्ठाईस हजार, नौ सौ पैंतीस रुपये) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिए जो दिनांक 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिए स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा ।

वर्ष 1975-76 के कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश की संचित निधि में 77,39,47,455 रुपये का दिया जाना

3--उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से, द्वितीय अनुसूची में से स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट धनराशियों का जिनका, कुल योग 77,39,47,455 रुपये (केवल सतहत्तर करोड़, उनतालिस लाख सैंतालिस हजार चार सौ पचपन रुपये) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिए दिनांक 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिए स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिए प्राधिकृत किया गया समझा जायगा ।

वर्ष 1976-77 के कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से 1,15,38,55,603 रुपये का दिया जाना

4--उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से, तृतीय अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट धनराशियों को, जिनका कुल योग 1,15,38,55,603 रुपये (केवल एक अरब, पन्द्रह करोड़ अड़तिस लाख, पचपन हजार, छ सौ तीन रुपये) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिए जो दिनांक 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर उन सेवाओं के निमित्त और उक्त वर्ष के लिए स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिए प्राधिकृत किया गया समझा जायगा ।

विनियोग

5—इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों के दिये और काम में लाये जाने का प्राधिकृत किया गया समझा गया है, उन धनराशियों का विनियोग —

(क) दिनांक 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में प्रथम अनुसूची में ;

(ख) दिनांक 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में द्वितीय अनुसूची में; और

(ग) दिनांक 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में तृतीय अनुसूची में ;

उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा और किया गया समझा जायगा ।

विधान सभा

प्रथम अनुसूची

(धारा 2 और 5 देखिये)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	बढ़ती		
		स्वीकृत मांग	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3	
		रु0	रु0	रु0
7—मू-राजस्व		19,22,229	..	19,22,229
10—राज्य आबकारी		17,70,694	..	17,70,694
20—कोषागार तथा लेखा प्रशासन		1,06,607	..	1,06,607
21—पुलिस		2,42,29,503	..	2,42,29,503
23—लेखन-सामग्री और मुद्रण		8,67,643	..	8,67,643
25—अन्य प्रशासनिक सेवायें		..	4,429	4,429
26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें		32,94,085	..	32,94,085
33—सार्वजनिक स्वास्थ्य		8,36,12,0,90	230	8,36,12,320
34—आवासन		..	19,370	19,370

उत्तर प्रदेश विधान सभा

2 —विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र	8,57,08,595	..	8,57,08,595
52—वन	..	5,951	5,951
53—उद्योग	2,04,018	..	2,04,018
56—विद्युत् विकास	2,14,844	..	2,14,844
57—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य	7,68,49,709	..	7,68,49,709
58—सिंचाई अधिष्ठान	5,88,89,417	..	5,88,89,417
62—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान	5,89,24,108	..	5,89,24,108
67—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	13,81,52,822	..	13,81,52,822
71—आवासन पर पूंजी परिव्यय	1,14,66,867	..	1,14,66,867
72—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजी परिव्यय	..	758	758
76—जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर	1,59,78,102	..	1,59,78,102
77—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	9,97,17,540	..	9,97,17,540
82—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	81,11,25,670	..	81,11,25,670
83—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	12,62,21,869	..	12,62,21,869
88—ऋण और अग्रिम-शिक्षा	2,19,41,785	..	2,19,41,785
योग ..	1,62,11,98,197	30,738	1,62,12,28,935

उत्तर प्रदेश विधान सभा

द्वितीय अनुसूची
(धारा 3 और 5 देखिए)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	बढ़ती		
		स्वीकृत मांग	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3	
		रु0	रु0	रु0
2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय	..	23,389	23,389
23	लेखन–सामग्री तथा मुद्रण	19,28,625	..	19,28,625
24	सार्वजनिक निर्माण कार्य	9,44,502	..	9,44,502
25	अन्य प्रशासनिक सेवायें	9,32,073	30	9,32,103
26	अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें	87,15,158	..	87,15,158
32	परिवार नियोजन	31,50,801	..	31,50,801
33	सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,42,98,395	..	1,42,98,395
34	आवास भवन	5,20,783	..	5,20,783
35	नगर विकास	32,78,465	..	32,78,465
39	दैवी आपदाओं के कारण सहायता	19,35,150	..	19,35,150
42	विशेष तथा पिछड़े हुये क्षेत्र	1,71,38,761	..	1,71,38,761
44	कृषि	..	691	691
46	भूमि और जल संरक्षण	4,05,980	..	4,05,980

उत्तर प्रदेश विधान सभा

48	खाद्य तथा पोषाहार	11,60,247	..	11,60,247
49	पशुपालन	73,15,447	..	73,15,447
58	सिंचाई अधिष्ठान	4,60,77,473	..	4,60,77,473
59	सिविल विमानन	6,61,408	..	6,61,408
60	संचार साधन	1,14,05,800	..	1,14,05,800
62	सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान	..	220	220
64	सड़क तथा जल परिवहन	29,733	..	29,733
67	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	10,58,89,727	..	10,58,89,727
68	कार्यात्मक भवनों पर पूंजी परिव्यय	..	52,735	52,735
70	आवास भवनों पर पूंजी परिव्यय	85,527	..	85,527
74	विभिन्न उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	..	3,39,522	3,39,522
76	कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	2,36,75,003	..	2,36,75,003
77	सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	22,18,349	..	22,18,349
81	सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	23,94,92,040	..	23,49,92,040
82	बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	7,93,13,179	..	7,93,13,179
85	पर्यटन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	57	..	57
91	ऋण और अग्रिम–सहकारिता	8,80,185	..	8,80,185
94	ऋण और अग्रिम–विद्युत्	20,20,78,000	..	20,20,78,000
	योग ..	77,35,30,868	4,16,587	77,39,47,455

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तृतीय अनुसूची

(धारा 4 और 5 देखिए)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	बढ़ती		
		स्वीकृत मांग	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3	
		रु0	रु0	रु0
4	न्याय प्रशासन	..	1,38,877	1,38,877
9	भूमि और भवन–कर	2,210	..	2,210
17	लोक सेवा आयोग	..	1,34,670	1,34,670
26	अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें	22,53,741	..	22,53,741
27	प्रकीर्ण सामान्य सेवायें	2,57,699	..	2,57,699
32	परिवार नियोजन	1,81,96,821	..	1,81,96,821
47	क्षेत्र विकास	32,24,632	..	32,24,632

उत्तर प्रदेश विधान सभा

49	पशुपालन	3,98,831	..	3,98,831
52	वन	56,235	..	56,235
57	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य	3,27,84,158	..	3,27,84,158
60	संचार साधन	1,17,61,625	..	1,17,61,625
67	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	12,47,15,940	..	12,47,15,940
70	आवास भवनों पर पूंजी परिव्यय	32,93,549	..	32,93,549
81	सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	32,52,07,585	..	32,52,07,585
82	बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	6,67,16,144	..	6,67,16,144
83	संचार साधनों पर पूंजी परिव्यय	1,27,21,093	..	1,27,21,093
85	पर्यटन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	8,00,000	..	8,00,000
86	राज्य सरकार के ऋण	..	55,11,91,793	55,11,91,793
	योग ..	60,23,90,263	55,14,65,340	1,15,38,55,603

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 तथा प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1974-75, 1975-76 और 1976-77 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1981 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1974-75, 1975-76 और 1976-77 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1981 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मण्डी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981†

[5 बज कर 4 मिनट]

*पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिज़वी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मण्डी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, जिला परिषदों का पिछला चुनाव नवम्बर, 1974 में हुआ था । उसके बाद तत्कालीन सरकार ने 10 अगस्त, 1977 को यह निर्णय लिया कि जिला परिषदों को भंग कर दिया जाय । फिर यह अधिकार 7-10-1977 को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को दे दिया गया और जिला परिषदें भंग करके सारे अधिकार जिला परिषदों के जिलाधिकारी को दे दिये थे उसके बाद इसका कार्यकाल बढ़ता रहा । इसका 31 मार्च तक का कार्यकाल है । लेकिन चूंकि इस तरफ सेशन्स था और उसकी वजह से यह सम्भव नहीं है कि चुनाव उस दिन तक कराया जा सके, इस वजह से सम्मानित सदन की आज्ञा अपेक्षित है कि इसका कार्यकाल एक साल के लिये बढ़ा दिया जाय । मंडी समितियों का भी चुनाव होना है और उसी से यह इंटरलिंक्ड है कि उनका जो भी गठन होगा उसके अन्तर्गत वही सम्मानित सदस्य होंगे जो कि ब्लाक प्रमुखों आदि द्वारा गठित होंगे । इसलिये मंडी समितियों का चुनाव भी जिला परिषदों के चुनाव से जुड़ा हुआ है । इसलिये दोनों का कार्यकाल बढ़ाने के लिये इस बिल के द्वारा सम्मानित सदस्यों से अपेक्षा की गई है । मुझे उम्मीद है कि यह सम्मानित सदन इसको पारित करेगा ।

---

†दिनांक 31 मार्च, 1981 के आसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मंडी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(श्री भीखा लाल के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने मोहन सिंह जी का नाम इसलिये लिया कि माननीय नेता विरोधी दल ने उनको अधिकृत कर दिया था प्रस्ताव करने के लिये ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इसकी चर्चा बार-बार इस सदन में और बाहर हो चुकी है और माननीय मंत्री जी और उनके सहयोगी मंत्रियों ने प्रदेश की जनता को निरन्तर यह आश्वासन दिया है कि शीघ्रातिशीघ्र जिला परिषदों और मंडी समितियों के चुनाव करा दिये जायेंगे । लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन आश्वासनों के बावजूद कुछ ऐसे बहाने बनाकर कि प्रदेश में जनगणना का कार्य चल रहा है इसलिये चुनाव कराना संभव नहीं है । इसको अनावश्यक ढंग से टाला जा रहा है और यह बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है और यह कहा जा रहा है कि जनता पार्टी की सरकार ने इन जिला परिषदों को भंग कर दिया और 1972 से मंडी समितियों के चुनाव नहीं हुये, यह कहना आपके लिये शोभा नहीं देता । मुझे सख्त अफसोस है कि स्वायत्तशासी संस्थाओं का मूल्य राज्य सरकार के समक्ष नहीं है । चाहे इधर के बैठने वाले लोग हों या उधर बैठने वाले लोग हों, यह हमारे देश के संविधान की बड़ी विडम्बना है कि उसमें इसका प्राविधान नहीं है । यदि प्राविधान नहीं है तो उसमें प्राविधान करना होगा और अपने नियमों में प्राविधान करना होगा । कोई भी राज्य सरकार आसानी से स्वायत्तशासी संस्थाओं को समाप्त न करके उनमें स्टेचूटरी प्रावीजन करने होंगे । जो भी सरकार आती है वह उन स्वायत्तशासी संस्थाओं को अपने चंगुल में रखना चाहती है और चुनाव नहीं कराती है । नतीजा यह होता है कि वे अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते हैं ।

पिछले कई वर्षों से चुनाव न होने की वजह से जिलाधिकारी के हाथों में सब काम दे दिये गये हैं । जिलाधिकारी को टाउन एरिया, जिला परिषदें, नगर पालिकायें, मंडी समितियों आदि का सारा काम सौंपा गया है और उन्हीं के माध्यम से आप कानून व्यवस्था की हालत सुधारना चाहते हैं । जितनी भी वितरण प्रणाली है वह भी आप उन्हीं के माध्यम से कराना चाहते हैं । यह कदापि सम्भव नहीं है वह जिलाधिकारी यह सब कार्य संतोषजनक ढंग से चला सके । कितने दिन तक ऐसा होता रहेगा, इसकी कोई गारन्टी नहीं है । 4/5 जिला परिषदों को अपवाद स्वरूप छोड़कर अधिकांश जिला परिषदों में वेतन आज भी नहीं बांटा जा रहा है, टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा है । मंडी समितियों में भ्रष्टाचार है ।

खाद्यान्न योजना को भी आप उन्हीं के माध्यम से कार्यान्वित करना चाहते हैं, अन्त्योदय योजना को आप उनके द्वारा पूरा कराना चाहते है और जन प्रतिनिधियों को उनमें साझेदार नहीं रहने देना चाहते हैं । आप कहते हैं कि आपके सामने परेशानी है, मैं स्वीकार करता हूं लेकिन इतना समय बढ़ाना उचित नहीं है । यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो चुनाव नहीं करा रहे हैं उनका मुख्य कारण यह है कि इनको आशंका है कि जब भी चुनाव होंगे इनके आदमी नहीं आ पायेंगे। यदि इनके कारण मान भी लिये जायं तो इतना तो इनको मानने के लिए तैयार होना चाहिये कि यह सर्वदलीय समिति वहां पर गठित कर दें और उसमें हम भी जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनको भी सम्मान दें। ऐसा मानकर साझेदारी से कामचलाऊ ढंग से जनता के प्रतिनिधियों की साझेदारी नहीं करेंगे तो यह अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करेंगे। चूंकि इनका अपार बहुमत है पास यह इसको करा लेंगे और अगर हम जोर से भी बोलेंगा तो वह स्वीकार नहीं होगा यह तो दिन भर उधर बैठ कर नाश्ता करेंगे और हम तो सुबह से निराहार बैठे रहेंगे। इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इन सुझावों पर यदि उनका थोड़ा सा भी लोकतंत्र में आदर है जिन्होंने इनको यहां पर जिता कर भेजा है उनके लिए थोड़ा सा भी सम्मान है तो हमारे सुझावों को कार्यान्वित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आपको यह विभेद नहीं करना चाहिये था। ऐसा आप क्यों करते हैं कि अपने दल के लोगों को भोजन देते हैं और दूसरों को नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी—

ऐसा तो नहीं है श्रीमन्, नाश्ता सब जगह भिजवाया गया। माननीय मोहन सिंह की यह आदत है कि हर चीज को पाकर भी इनकार करते हैं यह इनकी पुरानी आदत है।

श्री भीखालाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मोहन सिंह जी ने जो संशोधन रखा है उसके समर्थन में मैं चंद शब्द कहना चाहता हूं। मान्यवर, यह स्वायत्तशासी संस्थायें एक विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत के मातहत कायम की गयी थी और अब ऐसा मालूम होता है कि धीरे-धीरे यह सरकार केन्द्रीयकरण की ओर बढ़ रही है और इनको जनप्रतिनिधियों के हाथों में न रखकर नौकरशाही के हाथों में रख रही है। 1977 में जिला परिषदें भंग की गयी यह उस वक्त भी अच्छा काम नहीं किया गया और आज जो आप चुनाव टाल रहे हैं यह भी अच्छा काम नहीं है। मैं इसे प्रवर समिति में भेजने की बात इसलिए कर रहा हूं कि आपने इसमें एक साल का कार्यकाल मांगा है इससे आपकी नियत साफ नहीं मालूम देती है। अब चुनाव कराये जा सकते हैं क्योंकि सेशन का काम खत्म हो गया है वैसे यह एक बहाना है। चुनाव 6 महीने में भी हो सकते हैं लेकिन इसमें तो यह एक साल का समय ले रहे हैं इससे इनकी नियत साफ नहीं लगती है। 12 साल हो गये पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ और 74 से जिला परिषदों का चुनाव नहीं हुआ। आज ये संस्थायें नौकरशाही के सुपुर्द हैं और इसी आधार पर विधान परिषद् में जो लोकलबाडीज से चुनाव जीत कर आते हैं वह जगहें रिक्त पड़ी हैं और वह तब तक रहेंगी जब तक इन संस्थाओं के चुनाव नहीं हो जाते हैं। बार-बार कई दफा घोषणा करने के बाद भी कि चुनाव जल्दी करायेंगे, चुनाव नहीं कराये गये। तो जैसा मोहन सिंह जी ने कहा कि चुनाव जिला परिषदों का तमाम काम ठप पड़ा हुआ है।

[श्री भीखा लाल---]

खाद्यान्न योजना के बदले राष्ट्रीय ग्रामीण योजना जो सरकार ने चलाई है उसमें सभी विभागों का काम सुपुर्द है, जिला परिषदें भी उसके लिए भागीदार हैं जिनके भंग होने से नौकरशाही वह काम कर रही है और जनप्रतिनिधियों का कोई योगदान नहीं है। इसलिए मान्यवर, यह कदम बहुत गलत है। जैसा कि मोहन सिंह जी ने कहा कि सरकार चुनाव इसलिए टाल रही है कि वह बहुमत में नहीं आयेगी। मुझे दूसरी आशंका है कि और आपको आगाह करना चाहता हूं कि अभी तो शायद थोड़ा बहुत आप उनमें पहुंच जायं लेकिन ज्यादा दिन टालेंगे तो जितने पहुंचने हैं उतने भी नहीं पहुंचेंगे क्योंकि आपके पैर के नीचे से जमीन धीरे-धीरे खिसकती जा रही है। इसलिये चुनावों को जल्द कराना चाहिये और इसकी मियाद नहीं बढ़नी चाहिए मैं यह जो संशोधन प्रस्तुत है उनका समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, मुझे तो बड़ा दुःख हुआ, क्योंकि पिछले साल भी रिजवी साहब ने इसके लिए समय मांगा था और उस वक्त यह कहा था कि एक ऐडवाइजरी कमेटी इनके लिए बनाने का प्रस्ताव है, उस पर मैंने ही स्पष्टीकरण मांगा था कि माननीय अध्यक्षों के कान्फ्रेंस की सिफारिशों के अनुसार जिला परिषदों की जो ऐडवाइजरी कमेटी होगी, उसके उपाध्यक्ष नामिनेटेड होंगे, वह नामिनेट करेंगे और अध्यक्ष उसका जिलाधीश होगा। मैंने कहा था कि जिसकी अध्यक्षता जिलाधीश करेंगे उसमें हम भाग लेंगे या नहीं अथवा नान आफिशियल मेम्बर की कमेटी में नान-आफिशियल को ही अध्यक्षता करनी चाहिए और जिलाधीश की अध्यक्षता में हम लोगों का नान-आफिशियल का बैठना उचित नहीं होगा। लेकिन जब आज हमने मूव किया तो इस मुद्दे पर बड़ी तकलीफ हमें हुई, क्योंकि उस विषय पर उन्होंने कोई बात नहीं कही जैसा कि पिछली बार उन्होंने आश्वासन दिया था।

दूसरे मुझे इस बात से भी तकलीफ हुई कि काशीनाथ मिश्र, जो बराबर में बैठे हुए हैं का चौखम्भा राज्य कहां चला गया और आपके सामने जो महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है, उनका पंचायती राज्य कहां गया? इस बारे में वह अभी तक कोई एश्योरेंश नहीं दे पाये। अशोक मेहता कमेटी की सिफारिशें, जिनकी वजह से यह चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, उसको आप किस हद तक आगे बढ़ा पाये हैं या नहीं बढ़ा पाये हैं, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है। डाइरेक्ट चुनाव क्या होंगे, जैसे अब तक होते रहे हैं, या रेकमेण्डेशन के अनुसार इन्डाइरेक्ट चुनाव कराने के लिए वह कोई अमेंडमेंट ला रहे हैं। तो जो आप 31-3-82 तक की बात कह रहे हैं, उससे आपकी नीयत में शक मालूम पड़ता है। 30 जून तक का समय मांग कर आप इसे आसानी से करा सकते थे।

जनगणना का काम समाप्त हो गया, बड़े मजे से ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषदों तक के चुनाव आप कर सकते हैं। दफ्तर वाले सब तैयार हैं, लेकिन आप 31-3-82 तक का समय मांग रहे हैं। या तो मैं यह समझ लूं और यह समझ रहा हूं क्योंकि दोनों ऐक्ट्स को मिलाकर वह मुख्य मंत्री के नाम से आ गया है। एक के लिए कृषि मंत्री और दूसरे के लिए ग्राम्य विकास मंत्री मांग करते आए हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस बार इसमें आया है, उससे मुझे अब ऐसा मालूम पड़ता है कि जो आज अखबारों की खबरों में भी छपा है कि मुख्य मंत्री जो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वास्तव में अब वह भी जाने वाले हैं। इसलिए इनके समाप्त होने की प्रक्रिया तक की गई है। अब समय मांगें तो इसका भी ध्यान रखें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ब्लाक प्रमुख के चुनाव कराने के बारे में सन् 64 का ऐक्ट है, आप अब तक चुनाव नहीं करा पाये हैं। सूबे में 40 मंडियों का निर्माण हो चुका है, 14 में काम भी शुरू हुआ है और कुछ मंडियों का निर्माण हो रहा है। तो यह सारा कांस्ट्रक्शन का काम अरबों में जाएगा। मंडी स्थलों पर अरबों रुपये का काम हो रहा है, उनको जिला परिषदों के कर्मचारी और आपके कर्मचारी मनमाने ढंग से कर रहे हैं। आपने इसमें यह भी जोड़ दिया है कि 6 मार्च, 82 से अब तक की अवधि के काम का रेगुलराइजेशन आप मांग रहे हैं। जितने भी आपके अधिकारी हैं उन्होंने इस अवधि में जो कुछ भी कर डाला है, उसकी भी अनुमति आप सदन से मांग रहे हैं। उस सब की अनुमति आपसे मांग रहा हूं आउट आफ दी वे 6 मार्च, 1981 के बाद इन दिनों में जो कुछ भी आपके अधिकार फिर दें उस सबके लिये हाउस कह दे कि आपके अधिकारियों ने ठीक किया। अगर आपका दिल साफ है तो आपको इस दौरान में अपने अधिकारियों के कार्य-कलाप को सदन के पटल पर रखना चाहिये था। लेकिन आपने उसे रखा नहीं खैर आप उसको सदन से स्वीकृति माँग रहे हैं इस बिल के जरिये यह कुछ उचित प्रतीत नहीं होता।

यह खामी पैदा हो रही है। इसलिये हम चाहते हैं कि 6 मार्च के बाद प्रवर समिति में उन कार्यों की फेहरिस्त आ जायगी जो आपके अधिकारियों ने किये और वहां यह देख लिया जायगा कि वे कार्य नियम विरुद्ध तो नहीं हैं। फिर सदन उसकी मंजूरी दे देगा। वर्ना हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में रिट हो गयी और सदन की आलोचना हुई तो क्या होगा ? लिहाजा 15 दिन का समय कोई बड़ा समय नहीं है। वे सारे कारनामें प्रवर समिति के सामने आ जायेंगे तब यह बिल पास किया जाय।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से हमारे लिये एक पाबन्दी लगी हुई है। त्रिवेन्द्रम 1978 में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जिसके निर्णय की सूचना जो 20 जुलाई को सदस्यों की गई थी माननीय सदस्यों पर यह पाबन्दी लगाई गयी थी जिले के अन्दर ऐसी शासकीय समितियों में सदस्य भाग न लें जिसकी अध्यक्षता सरकारी व्यक्ति करता हो।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अध्यक्षों के जिस फैसले का जिक्र कर रहे हैं क्या उसको मूल रूप से आप पढ़ेंगे ?

श्री विद्यासागर नौटियाल--

वह तो इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं बतलाता हूं उसमें यह नहीं था। आपको प्रतिबन्धित नहीं किया गया था बल्कि आपको सलाह दी गयी थी कि जिसमें सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी अध्यक्ष हो उसमें विधायकों को शामिल नहीं होना चाहिये।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, आपकी सलाह हमारे लिये आदेश है । आपके आदेश का अनुपालन करते हुए मेरे जिले में जितनी शासकीय समितियां हैं उनसे मैं बाहर खड़ा हो जाता हूं । अब मेरे जिले का बहुत काम रुका हुआ है । सरकारी अधिकारी क्या-क्या उत्पात मचाते रहे हैं और जा कर हम पूछ भी नहीं सकते हैं कि किस किस विभाग में क्या कर रहे हैं क्योंकि अगर चले जाते हैं तो इस सदन को हम अवमानना करते हैं ? यह सरकार जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों का चुनाव नहीं करा रही है । यहां तो पूरी तरह से एक ऐसी सरकार चल रही है जो केवल बजट लाने का काम करती है बाकी तो सारा काम ब्यूरोक्रेसी और तानशाहों के हाथ में है । हमारी तो यहां पर कोई आवाज ही नहीं है, हम तो केवल अपने फेफड़ों से सदन में लड़ सकते हैं । इसलिए मेरी माननीय मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रार्थना है कि वे इस पर पुनर्विचार करें और जैसा कि भाई रियासत साहब ने कहा वे इस पर फिर से जिस तरह का बिल चाहें ला सकते हैं ।

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही अनुगृहीत हूं आपने माननीय सदस्यों का जिन्होंने अपने बहुत कीमती सुझाव दिए हैं । इस समय जो स्थिति है और जितना थोड़ा समय रह गया है, इसमें किसी प्रकार की कार्यवाही करना सम्भव नहीं है इसी कारण से इसके कार्यकाल को बढ़ाया जाय ? जो शंका माननीय रियासत साहब ने व्यक्त की है उनको हमेशा ही हमारी नियत पर शुबहा रहता है । हम अपनी नीयत साफ करते-करते परेशान हैं लेकिन उनका शुबहा कभी जाती नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री नौटियाल जी के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्री नौटियाल जी की नियत साफ है । मुझे एक शेर याद आ रहा है जो इस प्रकार से है :

या रब न समझे हैं, न समझेंगे मेरी बात,
दे और दिल न उनको जो न दे मुझ को जबान ।।

श्री रियासत हुसैन--

यह शेर तो कई बार कहा जा चुका है ।

श्री अम्मार रिजवी--

जैसी अदालत होती है वैसी ही पैरवी की जाती है । इसलिये वैसा ही एक शेर सुनाया जा रहा था !

माननीय मोहन सिंह जी ने एक सुझाव दिया वह बहुत ही अच्छा सुझाव है कि किसी न किसी रूप से जिला परिषद् को सक्रिय करना चाहिये । मैं उनकी और माननीय नौटियाल साहब की बात से सहमत हूं कि जन प्रतिनिधियों का अपना एक स्थान होता है और जिन कमेटीज में वे बैठें उन्हें एक प्रतिष्ठित स्थान पर ही बैठना चाहिये था उनका है । आजकल जिला परिषदें जिलाधीशों के पास में हैं

और वे वह नहीं कर सकती हैं जो जन प्रतिनिधि कर सकते हैं मैं समझता हूं कि जो उन्होंने और दूसरे माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उनकी रोशनी में हम एक अच्छा कदम उठा सकेंगे। और जो उनकी शंकायें और शक हैं वे दूर हो सकेंगी। अतः मैं माननीय मोहन सिंह जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे अपने प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री मोहन सिंह से) क्या आप वापस लेते हैं ?

श्री मोहन सिंह--

जी नहीं। मैं अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लेता।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मंडी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मंडी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 4 खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मंडी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का कार्यकाल अग्रेतर बढ़ाने और अन्तिम उल्लिखित अधिनियमिति के अधीन की गयी या की गयी तात्पर्यित कार्यवाही को विधिमान्य करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मण्डी समिति (कार्यकल का विस्तार) अधिनियम, 1981 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "31 मार्च, 1981" के स्थान पर शब्द और अंक "31 मार्च, 1982" रख दिये जायेंगे।

3--उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में उपधारा (1) में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे और दिनांक 5 मार्च, 1981 से रखे गये समझे जायेंगे । उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

4--मूल अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जिला मजिस्ट्रेट या मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा किया गया या किया गया तात्पर्यित कोई कार्य, या की गयी या की गयी तात्पर्यित कोई कार्यवाही, या दिया गया या दिया गया तात्पर्यित कोई आदेश (जिसके अन्तर्गत उद्गृहीत कोई कर या प्रभारित कोई शुल्क भी है) इस प्रकार विधिमान्य, और सदैव विधिमान्य रहा, समझा जायगा मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे । वैधीकरण

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4 तथा खंड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मंडी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मंडी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत कुल पांच सूचनायें प्राप्त हुई थी, जिनमें से एक सूचना स्वीकृत हुई श्री प्रदीप कुमार यादव की जो दिनांक 12-3-81 को दिन के लगभग 11 बजे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गोली चलाने से 4 छात्रों के गम्भीर रूप से घायल होने से छात्रों, अभिभावकों एवं अध्यापकों में व्याप्त असुरक्षा एवं आतंक के विषय में है यह उसका विषय था ।

श्री रियासत हुसैन--

शेष जो हैं, उनका स्टेटमेन्ट दिलवा दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुई क्योंकि वे किसी न किसी मद में स्वीकार कर ली गयी हैं, जैसा कि आप चाहते हैं कि वह आने वाली है या आ रही है ।

एटा थाने के थानाध्यक्ष श्री शारदा प्रसाद दीक्षित द्वारा लगभग एक लाख रुपये की चांदी लूटने के बाद बर्दी व असलहा सहित फरार होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या 21--इसमें थानाध्यक्ष श्री शारदा प्रसाद दीक्षित, के बारे में एक बयान होना था उसके बारे में निवेदन आया है कि यह बयान स्थगित कर दिया जाय और क्योंकि अभी पूरी सूचना एकत्र नहीं हुई है । तो आप सबको यह राय है कि उस वक्त तक के लिए रोक दिया जाय ।

(रोक दिया जाय की आवाज)

ठीक है, अब 23 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री इस पर बयान देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और 16 तारीख को 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 30 मिनट पर सोमवार, 16 मार्च, 1981 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
14 मार्च, 1981

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ 196 पर)

प्रश्न	उत्तर
7--क्या सहकारिता मंत्री को इसकी जानकारी है कि सीतापुर जिला सहकारी बैंक के मुख्यालय पर दिनांक 15 तथा 16 जून, 1980 को लिपिक पद के लिए होने वाला साक्षात्कार रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार स्थगित कर दिया गया जिससे कि लगभग 1000 अभ्यर्थी मुख्यालय पर आकर वापस लौट गये, यदि हां, तो क्यों स्थगित साक्षात्कार अगली किस तिथि को होगा तथा अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता दिया जायेगा, यदि नहीं, तो क्यों ?	7--जी हां। उक्त साक्षात्कार में 654 अभ्यर्थी बुलाए गये थे। अभ्यर्थियों की शिकायत के आधार पर उप निबन्धक (केन्द्रीय) लखनऊ के अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक, सीतापुर के साक्षात्कार स्वीकृत करने का अनुरोध किया। स्थगन सम्बन्धी विज्ञप्ति दिनांक 14-6-80 के दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित कर दी गई थी। साक्षात्कार की अगली तिथि अभी निश्चित नही की गई है। अभ्यर्थियों को भेजे गये साक्षात्कार पत्र में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि उन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय न होगा।

राम नारायण पाठक,

सहकारिता राज्य मंत्री।

पी0एस0यू0पी0--41 वि0सभा--24-8-82--835 (पी0डी0)